खण्ड-390, अंक-8
बुधवार, 17 फाल्गुन, शक संवत् 1910
(8 मार्च, 1989 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 390 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (भारत)

1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य ..	1-2
प्रश्नोत्तर ..	3-84
बरेली जनपद में बरदोजी के व्यवसाय में लगे हजारों कारीगरों को स्वास्थ्य रक्षा के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	84
जिला बहराइच के सार्वजनिक निर्माण विभाग में निर्माण इकाई के अभियन्ताओं द्वारा कथित रूप से किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	85
जिला आजमगढ़ की मोहम्मदपुर ब्लाक में सिंचाई विभाग द्वारा स्वीकृत पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	85
जिला देवरिया की पथरदेवा ब्लाक में पथरदेवा में पानी की टंकी बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	85
जिला गाजीपुर की ब्लाक बिरनों में भोजपुर पंसेरवा से हरिहरपुर-नसतपुर तक का मार्ग लेपन स्तर तक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	86-87
जिला गाजीपुर के ब्लाक बाराचवर में भरवनी कला से गोसलपुर मार्ग को लेपन स्तर तक बनाये जाने के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	87
जिला बलिया में गंगा नदी के दक्षिणी क्षेत्र में राजकीय चिकित्सालय में चिकित्साधिकारी की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	87
दिनांक 6 मार्च, 1989 को शिवरात्रि के पर्व पर बनारस की पुलिस द्वारा श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी के साथ किये गये अभद्र व्यवहार विषयक सूचना ..	88-111
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	111-113
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें ..	113
वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 4--उद्योग विभाग (खानें और खनिज), अनुदान संख्या 7--उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या 8--उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण), अनुदान संख्या 9--उद्योग विभाग, (निर्यात प्रोत्साहन), अनुदान संख्या 5--उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग), अनुदान संख्या 6--उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (स्वीकृत) ..	113-115
परिशिष्ट ..	117-1

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 8 मार्च, 1989

विधान सभा की बैठक, समा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री विलोक चन्द्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अकबर अहमद (डम्पी), श्री (नैनीताल)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अमीर आलम खां, श्री (मुजफ्फरनगर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, (बरेली)
अरुण प्रताप सिंह, श्री (गोण्डा)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
कल्याण सिंह, श्री (अलीगढ़)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
किरन पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डा० (आगरा)
गजराज सिंह, श्री (गाजियाबाद)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी शंकर, श्री (इटावा)
चमन लाल चमन, श्री (सहारनपुर)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
जय नारायण शर्मा, श्री (मेरठ)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
नरेश चन्द्र, श्री (लखनऊ)
निर्मल पाल शर्मा, श्री (सहारनपुर)
पुष्पा सिवल, श्रीमती (मुरादाबाद)
प्रेमपाल सिंह, श्री (एटा)
प्रेमीला बड्थ्वार मेहरा, श्रीमती (बदायूं)
फूल सिंह सोवाई, श्री (मुजफ्फरनगर)
बलदेव सिंह, कैप्टेन (अलीगढ़)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बसन्त सिंह गहलोत, श्री (बिजनौर)
बाबू सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
बुधपाल सिंह, "खुर्जावाले", श्री (बुलन्दशहर)
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मनोहर लाल, श्री (उन्नाव)
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मरहम सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
महावीर सिंह राणा, श्री (सहारनपुर)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मुस्तमन्द अली खां, श्री (मथुरा)
मोहम्मद असलम खां, श्री (सहारनपुर)
राजीव कुमार सिंह, श्री (बाराबंकी)
राम औतार मिश्र, श्री (उर्फ नमकू) (शाहजहांपुर)
राम गोविन्द चौधरी, श्री (बलिया)
रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री (बाराबंकी)
राम सजीवन, श्री (बांदा)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
शतरुद्र प्रकाश, श्री (वाराणसी)
शोभनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव बालक पासी, श्री (रायबरेली)
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री (गोरखपुर)

शेर बहादुर सिंह, श्री	(फैजाबाद)	सुरेन्द्र कपिल, श्री	(सहारनपुर)
श्याम सुरत उपाध्याय, श्री	(इलाहाबाद)	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	(रायबरेली)
श्रीनाथ सिंह, श्री	(वाराणसी)	सुरेन्द्र सिंह, श्री	(मुजफ्फरनगर)
सज्जन बड़थ्वाल, श्री	(चमोली)	सैयद सईदुल हसन, श्री	(बुलन्दशहर)
सुखपाल पाण्डे, श्री	(बस्ती)	स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	(लखनऊ)
सुधीर सिंह, श्री	(देवरिया)	हर नारायण सिंह, श्री	(रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री	(गोरखपुर)		

प्रश्नोत्तर

बुधवार, दिनांक 8 मार्च, 1989

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

धान की पैदावार को प्रदेश सीमा के बाहर बेचने पर रोक

**1.—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धान की पैदावार को प्रदेश सीमा के बाहर बेचने पर रोक लगा दी गई है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है और यह रोक किस सीमा तक है ? क्या सरकार प्रदेश के धान उत्पादकों के हितों का ध्यान रखते हुए उन्हें लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके इसके लिए यह रोक हटाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

जी हां, धान को प्रदेश से बाहर ले जाने पर रोक लगाई गई है । रोक लगाने का कारण यह है कि प्रदेश सरकार को केन्द्रीय पूल के लिए लेवी में अधिक से अधिक चावल प्राप्त हो सके और प्रदेश में चावल की उपलब्धता को बनाए रखा जा सके । प्रदेश से बाहर धान का निर्यात केवल सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, उप सम्भागीय खाद्य नियंत्रक अथवा सम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुज्ञा-पत्र पर ही किया जा सकता है ।

प्रदेश के धान उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराने के लिए प्रदेश सरकार ने क्रय एजेन्सियों के माध्यम से मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान खरीद का कार्यक्रम चलाया है और इस योजना के अन्तर्गत जहां भी धान के बाजार भाव समर्थन मूल्य से कम होते हैं वहां पर क्रय एजेन्सियों द्वारा धान की खरीद की जाती है अतः धान के निर्यात पर लगाये गये प्रतिबन्ध को हटाने का औचित्य नहीं प्रतीत होता है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

माननीय, यह सरकार किसानों के साथ जितनी भी ज्यादती हो सकती है वह कर रही है । सम्भागीय खाद्य नियंत्रक तथा सम्भागीय विपणन अधिकारी से घूसखोरी के आधार पर परमिट लेकर यदि कोई चाहे तो लाखों टन चावल प्रदेश के बाहर ले जा सकता है लेकिन अपनी मरजी से काश्तकार यदि एक बोरा चावल भी कहीं ले जाता है तो उसका चालान कर दिया जाता है । हमारे यहां देवरिया थाने में ही ऐसे 6 लोगों का चालान कर दिया गया है जो केवल 6-7 किलोमीटर की दूरी पर धान ले जा रहे थे । आज स्थिति यह है कि किसानों को कहीं भी प्रोत्साहन मूल्य नहीं मिल रहा है । किसान आपके केन्द्रों पर अपना माल लेकर ही नहीं जा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया प्रश्न पूछें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

माननीय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुये, इस प्रतिबन्ध को हटाने तथा किसान को अपना माल बेचने की पूरी छूट देने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

माननीय, इस प्रश्न पर मैंने कल भी माननीय सदस्य को संतुष्ट करने का प्रयास किया था ....

श्री सूर्य प्रताप शाही—

माननीय, मुस्करा के हमको लूटा आपने ....

(इंदी)

श्री हुकुम सिंह—

माननीय, जहां तक किसानों को अपने धान को बेचने की छूट का प्रश्न है वे प्रदेश के अन्दर कहीं भी बेच सकते हैं और उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। समर्थन मूल्य से कम कीमत मिलने की जो बात कही गयी है, सरकार अपनी एजेन्सियों द्वारा उनके माल को खरीदकर उन्हें समर्थन मूल्य दिलायेगी और इस बात का पूरा प्रयास करेगी कि किसानों को समर्थन मूल्य से कम कीमत पर अपना माल बेचने के लिए विवश न होना पड़े।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय, माननीय मंत्री जी का उत्तर तथ्यों से बिलकुल विपरीत है, इसमें उत्तर प्रदेश से धान बाहर ले जाने की बात है। हम लोग उस इलाके के रहने वाले हैं जहां पर धान पैदा होता है। देवरिया के बार्डर पर धान बाहर ले जाने के लिए प्रतिबन्ध लगा हुआ है माननीय मंत्री जी कहते हैं कि यह प्रतिबन्ध हटा लेने से मूल्य गिर जायेंगे यद्यपि इसमें मूल्यों के गिरने की कोई बात नहीं है। क्योंकि जब हमारा धान बिहार प्रदेश में जायेगा तो किसानों को इसके उत्पाद का अधिक मूल्य मिल जायेगा लेकिन बिहार में धान ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है कि वहां पर हमारा धान नहीं जायेगा। तो क्या मन्त्री जी इस लगे हुये प्रतिबन्ध को हटाने के लिए आश्वासन देंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

माननीय, किसानों को धान बाहर बेचने में मूल्य अधिक मिलेगा, इस बात को हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के हर हर बिहार राज्य में यहां के किसानों को धान का अधिक मूल्य मिल रहा है यह बात केवल आकर्षण के लिए है। यह किसानों के आकर्षण की बात नहीं है बल्कि इसका आकर्षण व्यापारियों के लिए है और इस तरह से वे लेवी से बच जायेंगे। माननीय, यदि आप देवरिया की सारी स्थिति को देख लें तो आपको पता चलेगा कि वहां किसानों का शोषण इसलिये होता है कि वहां के किसान इतने छोटे हैं कि अपनी उपज को बाजार तक नहीं ले जा पाते हैं बल्कि पंद्रिक ट्रेडर उनसे वहीं पर ले लेता है और फिर उसे मण्डी में लाकर बेचता है। ये छूट जो चाहते हैं यह ट्रेडर के लिये होगी, किसानों के लिए नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी होगी कि धान की खरीद समर्थन मूल्य के आधार पर कैसे होती है। इसके लिए कोई क्रय केन्द्र नहीं खोला गया है। किसान अपनी उपज को ट्रेडर के यहां बेच देता है, इस तरह से किसानों का शोषण तो आप कर ही रहे हैं। जबकि चावल के निर्यात पर कोई रोक नहीं है। अगर धान से चावल बना लें तो प्रतिबन्ध नहीं है किन्तु धान के निर्यात पर रोक है।

में केवल इस बात को जानना चाहता हूं कि इस संबंध में शासन का मुख्य उद्देश्य क्या है ? उत्पादक को उसके उत्पाद का सही मूल्य मिल जाय, लेकिन प्रकारान्तर से इसका लाभ मिल मालिकों को ही होता है ? यदि आप निर्यात के प्रतिबन्ध को खोलने के लिए तैयार नहीं हैं तो यह नीति किसानों के हित के विरुद्ध होगी ।

श्री हुकुम सिंह—

माननीय, पहले मैं सरकार के उद्देश्य के बारे में बतला दूं कि सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि किसानों को अपने उत्पाद का सही मूल्य मिल सके । अब सवाल इस बात का है कि जो धान का उत्पाद होता है, इसके लिए प्रदेश में उद्योग लगे हुए हैं । उत्तर प्रदेश में सैकड़ों चावल की मिलें हैं और यहां से चावल के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । चावल बाहर जायेगा तो बढ़ा हुआ मूल्य प्राप्त करने में कोई अवरोध नहीं है लेकिन अगर यहां से धान बाहर जायेगा तो यहां के उद्योगों को हानि होगी और अन्ततोगत्वा इसका प्रभाव किसानों पर भी पड़ेगा ।

श्री राम शरण दास—

माननीय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा और उनकी नोटिस में भी यह बात है, लेकिन अगर ये मुनकिर हो जायं तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है । श्रीमान माननीय मंत्री जी का क्षेत्र और मेरा क्षेत्र दोनों ही हरियाणा के बार्डर पर है इनके यहां समर्थन मूल्य 160 रु0 है और हमारे यहां बासमती 200 रुपया में बिकती है यमुना के इस किनारे पर जहां मैं रह रहा हूं और यमुना के उस पार 500 रु0 में बासमती बिकती है । लेकिन हमारा किसान 10 मील के फासले पर जाकर ना बेच सके और यह तो स्वयं भुक्तभोगी हैं कि इनके यहां के 4 किसानों के ट्रैक्टर पकड़े गये, उनकी बासमती पकड़ी गयी और यह कहते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं भला चूहे खाने हैं और हमारी सरकार किसानों का बहुत हित करती है और हम स्वयं एक किसान के बेटे हैं । इनको माननीय, शर्म आनी चाहिए और मंत्रि मंडल से फौरन त्याग-पत्र दे देना चाहिए अगर मैं इनकी जगह पर होता तो इस स्थिति में एक मिनट भी मंत्री बनना पसंद न करता कि इनके रहते हुए उत्तर प्रदेश का किसान लुटता रहे और इनके व्यापारी उसी धान को जो किसान नहीं ले जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह रातों रात पहुंचाते रहे । इन्हीं की पार्टी के एक एम0 एल0 ए0 पूरे ट्रक के ट्रक हरियाणा को पहुंचाते रहे, जिनको एफ0 आई0 आर0 भी दर्ज है एक थाने में....

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया आप प्रश्न करें, यह बातें तो बहुत हो गयी हैं ।

श्री राम शरण दास—

इनके एम0 एल0 ए0 ही माननीय, इन धानों की तस्करी करवाते हैं और अगर किसान बेचारा एक बोरा भी यमुना पार ले जाना चाहे तो उसे यमुना क्रास करने नहीं दिया जाता है और उसका चालान कर दिया जाता है । तो माननीय, हमारा प्रश्न यह है कि अगर आप वास्तविक रूप में किसान हितैषी हैं तो साफ-साफ यह घोषणा कर दीजिये कि किसानों के ऊपर से यह पाबंदी नहीं हटायेंगे और ऐसे ही किसानों की लूट हम करते रहेंगे या फिर मंत्री-मण्डल से अलग होंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

माननीय, कहीं न कहीं पर कोई कमी अवश्य है या हमारे समझाने में या माननीय सदस्य के समझने में, वैसे मैं अपनी ही कमी को महसूस करता हूं । यह मैं मानता हूं कि हरियाणा में और हमारे यहां भाव में अन्तर रहा, लेकिन कुछ दिनों के लिए इसी भाव के कारण मैं वहां की मण्डी भी गया और वहां को

स्थिति को गहरायी से देखा और समीक्षा की और यह भी देखा कि उत्तर प्रदेश का जो व्यापारी कल्चर है वह इतना डेवलप नहीं हो पाया, जितना कि होना चाहिये था। इधर हमारी ओर का व्यापारी तो किसान बनकर मन्डियों में गया और किसान बनकर ही अपना माल बेच आया। लेकिन पश्चिम में सहारनपुर को छोड़कर। मैं पूरब की मन्डियों में भी गया हूं, सीतापुर है, लखीमपुर है, यहां का किसान सीधा धान मिलों पर ले जाते हैं, वह मन्डियों में जाकर नहीं बेचता है। इनके यहां तो यह होना चाहिये कि इन किसानों को जो सीधे धान ले जाते हैं, इन्हें कम्पटीटिव रेट दिलवायें, और इनके लिये निर्यात भी खोल दिया जाये, लेकिन दूसरी ओर यदि मिल बन्द कर दिये जायें तो मात्र निर्यात से भी किसानों का शोषण होगा। और उसे जो लाभ होना चाहिये वह नहीं होगा।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में यह स्वीकार कर लिया है कि धान का मूल्य जब नीचे गिरेगा तब यह खरीदारी शुरू करेंगे और इस प्रकार से यह फ्लोर प्राइस को सीलिंग प्राइस बनाना चाहते हैं और दूसरी बात जो उन्होंने स्वीकार की है कि किसान के हितों के लिये नहीं होगा बल्कि मिल मालिकों के हितों को सामने रखते हुये चावलों के निर्यात को खोलेंगे परन्तु धान का निर्यात नहीं खोलेंगे। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकार की जो पिछली नीति थी उसी के अनुसार क्या जो समर्थन मूल्य है, वही फ्लोर प्राइस है या सीलिंग प्राइस है, वैसे अभी तक तो शासन की घोषित नीति तो यह रही है कि समर्थन मूल्य ही फ्लोर प्राईस है और अधिकतम मूल्य किसान को मिले और सरकार उसमें रुकावट नहीं डालेगी और दूसरा प्रश्न मान्यवर मेरा है कि हालांकि मैं इस पर व्यक्तिगत आधार पर विरोध करता हूं परन्तु यदि प्रदेश में चावल की उपलब्धता बढ़ाने के लिये आवश्यक है कि लेवी ली जाय, लेकिन चावल की लेवी लेकर धान मिलों को फायदा न पहुंचाया जाये तथा किसानों से धान पर लेवी लेकर, उनसे शेष धान को निर्यात के लिये खुली छूट देंगे ताकि जिससे पूरी चावल की मिलें भी चलती रहें।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, जहां तक समर्थन मूल्य का सवाल है वह न्यूनतम मूल्य है, अधिकतम मूल्य नहीं है। धान की कीमत 195 रुपये से 200 रुपये तक है। यह आज की स्थिति नहीं है, बल्कि दो साल पहले से चल रही है। 10 दिन के लिये इटावा और गोरखपुर में और बस्ती में, दो तीन जगहों पर दाम गिरे थे, तो तुरन्त कार्यवाही की गयी। एक तरफ हम यह प्रयास कर रहे हैं कि मिलें लगे और व्यापारी मंडी में जायें और धान का क्रय करें। अगर थोड़ा बहुत ज्यादा रेट मिला भी है, तो वह इस कारण से मिला है कि उस धान का कोई हिसाब किताब नहीं है, टैक्स की चोरी होती है अगर हम निर्यात को खोल देंगे तो ज्यादा दाम नहीं मिलेगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, इस प्रश्न में स्पष्ट है कि क्या सरकार प्रदेश के धान उत्पादकों को ध्यान में रखते हुये उन्हें लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये प्रयास करेगी। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि 1 कुन्तल धान पैदा करने में कितनी लागत आती है और उससे कितना अधिक दिलाने को समर्थन मूल्य मांगते हैं और कितने और अधिक देने के लिये लाभकारी मूल्य मांगते हैं। जिस तरह से जनता पार्टी के शासन काल में प्रदेश को रीजन्स में बांट दिया गया था और वहां लाने ले जाने में कोई रुकावट नहीं थी। तो क्या उसी तरह की व्यवस्था लागू करेंगे यदि नहीं करेंगे तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं नम्रता से आपका संरक्षण चाहता हूं जो प्रश्न किया गया है, उसको देख लें। इस बात को लेकर कल भी चर्चा हुयी और आज फिर उसी पर घुमा फिर कर पूछने की कोशिश की है। मैंने अपनी नीति को बता दिया है कि निर्यात के खोलने से व्यापारियों को भला होगा किसानों का भला नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह सरकार की किसान विरोधी नीति है। इस पर आप चर्चा करा दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिखकर भेज दें।

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास—

यह सरकार की किसान विरोधी नीति है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं, तो लिख कर भेज दें। आप बतायें, आप क्या चाहते हैं?

(श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री शारदा नन्द अंचल, श्री जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री राम शरण दास, श्री भगौती सिंह, श्री महेन्द्र भाटी, श्री मौसान सिंह, श्री धनराज यादव तथा श्री नरेश पाल सिंह सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये तथा नारे लगाने लगे जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन यहां बैठने का आपका मुद्दा क्या है? काहे के लिये आप यहां बैठ हैं।

(विरोधी पक्ष के कुछ सदस्य सदन के बेल में किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी के नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया)।

श्री राम शरण दास—

सवाल का जवाब दिलायें

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

सवाल का जवाब तो मिल रहा है। अगर आप सन्तुष्ट नहीं हैं तो यहां बैठने से क्या लाभ है। आप लोग आसन ग्रहण करें।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

160 रुपये समर्थन मूल्य है । सही जवाब दिलायें ।

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया आसन ग्रहण करें । वहां से बतायें कि आप क्या चाहते हैं । तब तो मैं सरकार से जवाब दिलाऊं । यहां बैठकर तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं...।

(व्यवधान)

राम शरण दास जी, कृपया अपने स्थान पर जायें ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के प्रयास से सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

सभी माननीय सदस्य इस बात के लिए जिज्ञासु हैं कि सरकार स्पष्टीकरण दे ।

श्री उपाध्यक्ष—

सवाल तो मैं दो-एक और पुछवा दूंगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमन्, मैं भी आपका संरक्षण चाहूंगा । समूचा विपक्ष इस सवाल पर उद्वेलित है कि माननीय मन्त्री जी ने कल की बात का हवाला दिया है और मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । श्रीमन्, मेरा प्रश्न स्पष्ट था कि जब यहां पर जनता पार्टी की सरकार थी तो उसने कुछ ऐटोचूड दिया था, कुछ रिलैक्सेशन दिया था और प्रदेश को रीजन्स में बांट दिया था । एक रीजन के अन्दर किसान को अपने माल को लाने और ले जाने की आजादी होगी ताकि उसे उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके । इसमें गोपनीयता की क्या बात थी ? मैंने कहा था कि क्या सरकार उसी तरह से रिलैक्सेशन देने के लिये तैयार है या नहीं ?

दूसरी बात यह है कि जब आप समर्थन मूल्य तय करते हो, लाभकारी मूल्य तय करते हो तो लागत मूल्य पर कितना किसान को प्रति क्विंटल ज्यादा दिलाते हैं तब आप कितना मानते हैं और अगर लागत मूल्य से ज्यादा दिलाते हैं तब आप कितना लाभकारी मूल्य मानते हैं ? यह मेरा प्रश्न था ।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने जवाब दिया था

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जनता पार्टी का हवाला दिया कि उसने यहां पर रीजन्स बनाये थे । कांग्रेस पार्टी तो पूरे देश को एक रीजन मानती है । गेहूं पर आपने पाबन्दी लगायी थी । हमने सारी पाबन्दी हटा दी और पूरे देश में चीनी, गुड़, चावल कहीं भी ले जा सकते हैं । कोई पाबन्दी किसी प्रकार की नहीं है । केवल

धान के लिये आपने कहा और इसके बारे में मैंने कहा कि क्योंकि यहां पर आपके अपने उद्योग हैं, ऐसा करने से उसका आशय यह होगा कि किसान का शोषण होगा और यहां को मिलें बन्द हो जायेंगी.... ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं आपकी इजाजत से एक सवाल पूछना चाहता हूं । अभी माननीय मन्त्री जी ने सरकार की ओर से उद्योगों की बात कहीं है । मैं इतना जानना चाहूंगा कि आप आज उद्योगों का समर्थन कर रहे हैं तो क्या किसान की लाश पर उद्योग वालों को अपनी रोटी सेकने का मौका दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं अपना प्रश्न पुनः दुहराना चाहता हूं और आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं और एक बात बताना चाहता हूं । अभी माननीय मन्त्री जी ने जितना उत्तर दिया है उसमें उन्होंने उद्योग को संरक्षण देने की बात कही है कि उनको संरक्षण मिलना चाहिये । लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या किसान की लाश पर उसकी चिता पर उद्योग वालों को अपनी रोटी सेंकने का मौका दिया जायेगा ? धान पर उसके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाकर सरकार इस तरह का काम कर रही है जिससे किसान अपनी चिता पर जले और उद्योग वाले अपनी रोटी सेकें । माननीय मन्त्री जी ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि परमिट देने का प्राविधान है उसे लेकर धान का निर्यात किया जाना चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि क्या आज तक एक भी परमिट किसी काश्तकार को दिया गया है ? मेरी जानकारी है कि बड़े व्यापारियों को ही परमिट दिये गये हैं । उससे वह भारी लाभ कमाकर बाहर भेज रहे हैं लेकिन काश्तकारों को यह सुविधा न देकर उनको नुकसान करा रही है और वह अपने उत्पाद को बाहर न भेज कर सही मूल्य नहीं प्राप्त कर पा रहा है । सरकार समर्थन मूल्य की बात करती है तो समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य में धरती आसमान का अंतर है । तो इस तरह से तो किसान बरबाद हो जायेगा । तो क्या सरकार इस मामले में पुनर्विचार करेगी और घोषणा करेगी कि धान पर लगे सभी निर्यात प्रतिबंधों को समाप्त करेगी ?

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, एक भाग में आपने कहा कि परमिट व्यवस्था रखी है व्यापारियों को परमिट दिया गया है और किसानों को परमिट नहीं दिया गया है । तो मैं बताना चाहता हूं कि किसी व्यापारी को भी परमिट नहीं दिया गया है । परमिट का प्राविधान इसलिये रखा है कि कभी-कभी कुछ किसान रहने वाले हरियाणा के हैं और खेती उत्तर प्रदेश में करते हैं वह अपनी खेती को राज्य से बाहर ले जा सकें इसलिये परमिट का प्राविधान रखा गया है, किसी व्यापारी को धान का परमिट नहीं दिया गया है... ।

(व्यवधान)

दूसरी बात बड़ी भारी शिकायत इस बात की होती है कि किसान को धान बाहर ले जाने का अवसर मिलता तो दाम उसे ज्यादा मिल सकते हैं । तो मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि बाजार में जो धान आता है वह कौन सा धान आता है जो

सरप्लस होता है । प्रदेश के कृषि विभाग के जो आंकड़े हैं उसमें इस वर्ष कुल 130 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ और उसमें से केवल 27 लाख मीट्रिक टन बाजार में आया यानि 1.3 लाख मी0 ट0 अभी किसान के घर में है । वह छोटे-छोटे किसान जो हैं उनके घर में है जो बाजार में लाता नहीं और उसे मूसल से कूट कर चावल बना कर खाता है । अब आप कौन से किसान की बात करते हैं तो विवश होकर चावल बना कर खाता है या बड़े किसानों की । 5 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो सरप्लस पैदा करते हैं और निर्यात से फायदा किसको होता है जिनके पास सैकड़ों एकड़ भूमि है और किसी न किसी के नाम से जमीन उसने रखी है । तो इससे सामान्य किसान का फायदा होने वाला नहीं है ।

श्री राम शरण दास—

मेरा सीधा-सीधा सुझाव है हमें परमिट नहीं चाहिये किसान को तो छूट चाहिए । किसान जो पैदा करता है उसे अपना माल बेचने की छूट होनी चाहिये जहां चाहे वह बेचे । हमें परमिट की आवश्यकता नहीं है । किसान जो पैदा करता है उस पर कोई पाबंदी बाहर ले जाने की न हो । अगर सरकार पाबंदी लगाती है वह डकैत है, डकैतों से भी बुरी हालत है । यह कहते हैं किसानों ने घर में थोड़ा-थोड़ा रखा होगा तो आप डकैतों डलवा लो कट्टे देकर लूट लो । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी नैतिकता है, थोड़ी सी भी सद्भावना है और अपने आप को किसान कहते हो तो कहो कि हम पाबंदी हटा रहे हैं नहीं तो इस्तीफा दे दो । इसके अलावा हम कोई बात सुनने को तैयार नहीं हैं ।

(व्यवधान)

हम कान में अंगुली डाल लेते हैं । इसके विरोध में हम सदन त्याग करते हैं ।

(श्री राम शरण दास सदन त्याग कर चले गये)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

सरकार किसान को लाभकारी मूल्य देने को तैयार नहीं है इसलिये सरकार की इस किसान विरोधी नीति के विरोध में हम और हमारा दल बहिर्गमन करता है ।

(व्यवधान)

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, यह एक महत्वपूर्ण मसला है । सरकार की इस किसान विरोधी नीति के खिलाफ हम सदन का त्याग करते हैं ।

(सम्पूर्ण विपक्ष सदन त्याग कर चला गया ।)

सिंचाई विभाग द्वारा नदियों से कटने वाली ग्राम आबादी को पत्थर के ठोकर लगाकर कटाव से बचाने की व्यवस्था को समाप्त करने का औचित्य

**2—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार सिंचाई विभाग द्वारा नदियों से कटने वाली ग्राम आबादी के पत्थर के ठोकर लगाकर कटाव से बचाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या मंत्री जी सम्बन्धित शासनादेश की प्रतिलिपि को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 117 पर)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री मुईद अहमद)—

जी हाँ।

व्यवहारिक रूप से किसी भी नदी की कटान को रोकने में काफी धन की आवश्यकता होती है तथा उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात् भी प्रत्येक वर्ष उनके रख-रखाव आदि पर भी काफी लागत आती है। फिर भी उद्देश्य की सही पूर्ति नहीं हो पाती है क्योंकि न तो प्रभावित ग्रामों/क्षेत्रों की सुरक्षा हो पाती है और उसमें धनराशि लगने के फलस्वरूप अन्य योजनाओं पर भी प्रभाव पड़ता है। अतः बड़े-बड़े शहरों को छोड़कर अन्य कटान रोकने का कार्य न करके ऐसे ग्रामों/क्षेत्रों को किसी अन्य सुरक्षित स्थानों पर बसाया जाय तो ज्यादा लाभदायक होगा।

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (1980) ने भी इस विषय में इसी प्रकार की संस्तुति की है।

प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 117 पर)

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि गांवों को बचाने में लाभ नहीं है लेकिन शहरों और नगरों को बचाने में लाभ है। इससे शासन की नीति स्पष्ट है कि गांवों के बारे में उनकी कोई हमदर्दी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि गांवों को नदियों के कटान से बचाने के लिये पत्थरों के ठोकर लगाये जाते हैं और उन पर व्यय अधिक होता है, तो मंत्री जी जिस आधार पर यह जानकारी दे रहे हैं उसकी क्या वह सूची देंगे कि इतना खर्च हुआ और लाभ नहीं हुआ? यदि सूची नहीं है तो मेरी इस बात को सही मानते हुए मिसाल के रूप में मैं बरेली जनपद के बारे में बता सकता हूं कि इट्टव्याधुरा, धनीपुर, जौनेर, बाकौली इत्यादि गांवों में 1985-86 में बाढ़ से सुरक्षा करने के लिये किये गये 2-2, 3-3 लाख रुपये के कार्य किये गये और 15-15, 20-20 लाख रुपये की संपत्तियां बच गई थीं, तो क्या सरकार ने मानक कोई निर्धारित किये हैं कि कितनी लागत आने के बाद कितनी संपत्ति के गांव बचाये जायं और ऐसे गांव जिनमें लागत और लाभ का अनुपात किस सीमा तक हो, उनको बचाने का कार्य करे।

सिंचाई मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

श्री जयदीप सिंह बरार जी मानक बना दें। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 1,12,000 गांव हैं जिसमें 76,000 गांव नदियों के किनारे बसे हैं। आपने 4-5 गांवों का नाम लिया जिनको बचाने में दो-ढाई लाख रुपये खर्च हुये, तो 76,000 गांवों को बचाने में कितना खर्च होगा। गांवों को बचाने का कार्यक्रम बाढ़ से है। गांवों को बचाने में उत्तर प्रदेश में 40-50-100 किलोमीटर बंधों का निर्माण हुआ जिससे गांव बचे हैं। जो गांव बंधों और नदियों के बीच में पड़ जाते हैं तो उन गांवों के लोगों को बचाया जाता है और अलग बसाया जाता है, यह तात्पर्य उत्तर से है।

वर्तमान में अगर आप चाहते हैं कि सभी गांवों को बचाने की बात की जायें तो एक गांव को बचाने में आपके कथनानुसार 2 लाख × 76,000 रुपये होगा। यह तो सैकड़ों वर्ष कार्यक्रम को चलाने में लग जायेंगे और इतने दिनों नदियों की धाराये रुकेगी नहीं, इसलिये जो चल रहा है वह उचित है।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मंत्री जी ने बाढ़ की बात कर दी। मैंने तो नदियों के कटान से गांवों को बचाने का प्रश्न किया था। मान्यवर, 1985 का निर्देश है जिसके अनुसार आज तक आपने किस गांव को अन्यत्र बसाने का काम किया है, बरेली के किसी गांव का नाम आप बता दें? इसलिये न तो आप गांवों को अन्यत्र बसा रहे हैं और न जिला योजना

एवं एन० आर० ई० पी० के अन्तर्गत ले रहे हैं और न आर० एल० ई० जी० पी० योजना में भारत सरकार को ही भेजने का काम कर रहे हैं जबकि भारत सरकार मना नहीं करेगी । तो मैं जानना चाहता हूं कि लागत और लाभ की कितनी संपत्ति बच रही है और कितना खर्च हो रहा है, उसका मानक निर्धारित करके ऐसे गांव जो कम लागत में बच सकें कटान से पत्थर की ठोकरों का निर्माण आर० एल० जी० ई० पी० योजना में कराने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, व्यक्तिगत गांवों का कार्यक्रम आर० एल० जी० ई० पी० और एन० आर० ई० पी० में जिला योजना के अन्तर्गत है । यह उनसे आप कार्य करावें । इसमें कोई रोक नहीं है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मैं यह जानना चाहता हूं, यह सही है कि 76 हजार नदी के किनारे के गांव हैं, लेकिन सब तो कटते नहीं है, इनकी एवरेज संख्या तो बहुत सीमित है । मंत्री जी को भी पता होगा, हम नदियों के बीच में रहते हैं, हमारे यहां भी बाढ़ आती है और कटान में 1 तहसील में 4-5 गांवों का मुश्किल से नम्बर आता है । यह कार्य करने से 2-4 लाख में करोड़ों की सम्पति बच जाती है । तो भारी सम्पत्ति का बचाव थोड़ा सा पैसा खर्च करके किया जा सकता है, तो क्या वह इस पर पुनर्विचार करने का कष्ट करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

समूह गांव जहां हैं, आपके यहां 116 मीटर बन्द है, जिससे गांव समूहों का बचाव होता है । बलिया में विभिन्न स्थानों पर गांव समूह को बचाने के लिए डाले हुए हैं । व्यक्तिगत गांव की बात हो रही है । बाढ़ परियोजना तो चालू ही है । पश्चिमी क्षेत्र के जनपद सहारनपुर, मेरठ, बुलन्दशहर, आगरा, मथुरा आदि जहां नहीं बाढ़ आती है, वहां बाढ़ से बचाव की हमारी योजना है, और उसी प्रकार से पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, बलिया, बनारस, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर आदि जिलों के लिए भी बाढ़ योजना है ।

श्री शारदा नन्द अंचल--

बलिया जिले में कितने गांव को आपने दूसरे स्थान पर बसाया है ?

(उत्तर नहीं दिलाया गया)

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

श्रीमन्, बलिया जनपद में शिवपुर-दियर, औहदीदियर, बेलछपरा, इकौना और निमछपरा आदि ऐसे गांव हैं, जो बांध और नदी के बीच में पड़ते हैं, तो जब मैंने प्रश्न किया था तो आपका उत्तर था कि नदी के किनारे का जो क्षेत्र है, इसमें कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है और मंत्री जी के यह कहने का मतलब है कि बसाने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो इन इतने गांवों के लोगों ने जो आवेदन किया है कि हम संकट में हैं, हमें बचाने की व्यवस्था की जाए, लेकिन नहीं की गई, अब इन नदियों के कटान को देखते हुए उनके आवेदन-पत्र पर आप विचार करेंगे चाहे अन्यत्र बसाकर या यहीं उनका बचाव करके जिससे उनको बचाया जा सके ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

यह व्यवस्था तो है ही, जब बाढ़ आती है तो गांव यदि संवेदनशील होता है, तो वहां से आबादी हटाई जाती है । लेकिन बात यह है कि बाढ़ के बाद पुनः लोग वहीं बस जाते हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

क्या और सवाल नहीं आयेंगे ? क्या मैं इसी पर पुछवाता रहूंगा !

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार—

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं मैंने दो बार प्रश्न किया कि क्या सिंचाई मंत्री जी इस बात के लिए मानक निर्धारित करेंगे कि किसी गांव की आबादी कितनी है और कितना पैसा खर्च करने से बच सकता है । दो तीन लाख रुपया खर्च करके एक गांव को कटने से बचाया जा सकता है । दूसरी बात माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एन० आर० ई० पी० और आर० एल० जी० पी० में, डिस्ट्रिक्ट प्लान में छूट है, तो मेरी जानकारी को सही मानते हुए कि आर० एल० जी० पी० और एन० आर० ई० पी० में, बरेली में लखीमपुर, बखावा, बंसीपुर, नरखेड़ा सिंघौली इत्यादि परियोजना की स्वीकृति के लिए एक पत्र लिखा था...

श्री उपाध्यक्ष—

आप सवाल पूछ रहे हैं या भाषण कर रहे हैं ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं, क्या मंत्री जी को जानकारी है कि सिंचाई विभाग और टी० ए० सी० ने परियोजना को एन० आर० ई० पी०, आर० एल० जी० पी० में, जिला योजना में शामिल करने की अनुमति नहीं दी है तो क्या जो प्रतिबन्ध एन० आर० ई० पी० और आर० एल० जी० पी० और जिला योजनाओं के सम्बन्ध में हैं उनको समाप्त करने के आदेश करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

आर० एल० जी० पी० की योजना प्रदेश से बनकर आती है और केन्द्र सरकार में जाती है केन्द्र सरकार उन योजनाओं को स्वीकृति देती है यह कहना कि सिंचाई विभाग ने उसकी संस्तुति नहीं की यह उचित नहीं है अगर ऐसा हुआ है तो अनुचित

हुआ है, लेकिन जो योजना आर० एल० जी० पी० में बनेगी वह केन्द्र सरकार में जायेगी । बाढ़ आयोग के अन्तर्गत उनके जो मानक और सिद्धान्त हैं उसके अनुसार कार्य होता है ।

श्री नरेन्द्र सिंह—

माननीय, अभी मंत्री जी ने चर्चा की सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ की तरफ हरियाणा प्रदेश ने यमुना नदी पर बंधा बांध दिया है और उस पर रोड बना दी है और उस पर वृक्ष लगा दिए हैं, जिसकी वजह से करीब 100 गांव यमुना में बहने वाले हैं इसकी सूचना मैंने 301 में भी दी थी । माननीय, इनके इंजीनियर सब खा जाते हैं, माननीय, मेरी मांग है कि यमुना नदी पर कोई ऐसा बंधा बना दें जिससे यमुना नदी का कटान न हो सके और यह तीन जनपद मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और मेरठ बच सकें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

यमुना नदी पर बन्धा बनाने का कार्य चल रहा है ।

श्री नरेन्द्र सिंह—

कोई कार्य नहीं हो रहा सारा पैसा खाया जा रहा है ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

माननीय, उन्नाव जनपद के बारे में कहना चाहूंगा हमारे यहां जो कटान हो रहा है खासतौर से गंगा नदी शुक्लागंज इलाके को काट रही है, तो इसको रोकने के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्नाव जनपद में बकसर ग्राम जहां चन्द्रिका देवी और राजा राव रामबख्श सिंह जी का स्मारक है वहां भी कटान हो रहा है उसको रुकवाने के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

6 मण्डप गंगा नदी पर कटान रोकने के लिए दे दिए हैं ।

श्री राकेशधर त्रिपाठी—

माननीय यमुना नदी और गंगा नदी के स्थल पर चाहे बनारस हो, कौशाम्बी हो, चाहे लखीमपुर हो यहां के कटान को रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगे ? दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना में एक अरब 30 करोड़ रुपया दिया गया था इनमें से 95 करोड़ रुपया खर्च हो पाया है, बाकी क्या हुआ ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

इसकी मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री हरदेव—

माननीय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि रसड़ा टौंस नदी से जो मऊ है जो जनपद बन गया है उसमें घाघरा नदी है और इसके किनारे लोग रहते हैं जो हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं वहां कटान हो रहा है जो घाघरा के किनारे गांव है बलवारेत, बिराहीपुर तो वहां जो कटान हो रहा है तो यहां एक बन्धा बनवाने सम्बन्धी कार्यवाही करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सर्वेक्षण करायेंगे ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

देवरिया जनपद की छोटी गंडक के किनारे हेतमपुर, कुढवा हतियागढ़, सिमरा उपर, बुनवा, विसवां कुनवलिया, बाबूराय कुनवलिया भरतराय मदारीपट्टी बरकुलवा के कटाव को देखते हुए कटाव को रोकने के लिए ठोकर या प्रिंग कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब समाप्त करें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन् क्या प्रश्न है ?

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद गोरखपुर के सीमावर्ती-क्षेत्र को बाढ़ से बचाने हेतु कृत कार्यवाही की जानकारी

*1—श्री हर्ष वर्धन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेपाल से सटे गोरखपुर जनपद के सीमावर्ती क्षेत्र में बाढ़ की सम्भावनायें नेपाल से आने वाली नदियों को नेपाल द्वारा चेनेलाइज कराये जाने के फलस्वरूप बढ़ गई हैं ? यदि हां, तो सम्बन्धित क्षेत्र को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के निमित्त क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सुईद अहमद—

जनपद गोरखपुर में भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र तहसील महराजगंज पहले से ही बाढ़ से प्रभावित रहा है । नेपाल से आने वाली नदियों को नेपाल क्षेत्र में चेनेलाइज करने से बाढ़ का प्रभाव बढ़ गया है ।

नेपाल द्वारा चेनेलाइज की गई चन्दन, व्यास और मोरहिया नदियों के किनारे भारतीय सीमा में तीन तटबंध रामनगर ठुठोबरी बांध, लक्ष्मीपुर बांध तथा बकुलडिहवटिया बांध की योजनायें बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति से स्वीकृत कराई गई हैं । रामनगर-ठुठीबारी बांध 8.00 कि० मी० लम्बाई में बन भी चुका है । व्यास नदी के दायें किनारे एक और तटबंध का सर्वेक्षण कराया जा रहा है जिससे कि उस ओर के क्षेत्र को भी सुरक्षा प्रदान हो सके ।

श्री हर्ष वर्धन—

माननीय, जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है उसमें तहसील महराजगंज के क्षेत्र में बाढ़ के सम्बन्ध में जो नदियों को चेनेलाइज किया गया है उसके बारे में कहा है । इस सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने नियम 301 की सूचना का जवाब जो दिया है उसमें कहा है कि तहसील फरेन्दा नेपाल की नदियों को चेनेलाइज करने के कारण पूरी तरह से प्रभावित हुई है । तो मैं जानना चाहूंगा कि जो बंधे आप बना रहे हैं, वह नदी के एक तट पर बनाये जा रहे हैं या नदी के दोनों तटों पर बनाये जा रहे हैं । इसके अलावा इनको कहीं से तोड़ा जा रहा है ताकि जो स्पिल-वे बादर है वह निकल कर दूसरी जगहों को प्रभावित न करे ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

माननीय, बायें तथा दायें दोनों पटरियों पर बना रहे हैं। एक तरफ डाई किलोमीटर तथा दूसरी तरफ 3 किलोमीटर बना रहे हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद मोहना—

माननीय, क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि नेपाल से आने वाली नदियां फरेन्दा, महराजगंज, हाटा तहसील होते हुए आगे जाती हैं। इसमें छोटी गंडक जो है वह सबसे विध्वंसकारी है जिससे महाराजगंज, फरेन्दा तहसील ही नहीं बल्कि देवरिया जिला भी प्रभावित होता है। इसी तरह से जो वहां मौन नाला है उससे बहुत से गांव डूब जाते हैं। तो क्या इन तथ्यों को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी मौन नाला तथा छोटी गंडक पर टेढ़वा, कोटवा, बरियार-बिसुनपुर में तटबंध बनाने का आश्वासन देंगे।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जहां आवश्यकता होगी अवश्य बनेंगे। मैं सर्वेक्षण करवा लूंगा।

श्री हर्ष वर्धन—

माननीय, गोरखपुर जनपद में फरेन्दा तहसील को नेपाल से आने वाली नदियों के पानी से बचाने के लिए तथा बृजमनगंज, लक्ष्मीपुर, धानी को बचाने के लिए जून 1988 में तकनीकी सलाहकार समिति ने घोघो नदी पर राजपुर बांध बनाने की स्वीकृति दी है। तो क्या उसके लिए धन उपलब्ध कराया जायगा ताकि इन स्थानों को बाढ़ से बचाया जा सके।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

नेपाल से आने वाली नदियों का प्रलयकारी दृश्य गोरखपुर जनपद में है। वहां के लिए एक विस्तृत योजना बनी है जिसको 'टी० ए० सी० ने स्वीकारे किया है जिसको इस योजना काल में लिया जा रहा है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय, मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से गोरखपुर की फरेन्दा तहसील है उसी तरह से सिद्धार्थनगर, इटवा, नौगढ़ तहसीलें हैं जहां नेपाल की नदियां हिंदुस्तान की धरती पर उतरती हैं। नेपाल की नदियों से उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा इलाका डूब जाता है। हमारे यहां एक योजना तैयार की गई थी मुहचोरवा परसोहन बांध की। उसके बारे में रेलवे इंजीनियर कहते हैं कि यदि उसको बनाया गया तो हमारी रेलवे लाइन डूब जायेगी। तो क्या इस पानी के बहाव को रोकने के लिए तटबंध बनाने की योजना तैयार की जायेगी या इसके विकल्प के तौर पर कोई अन्य योजना तैयार की जायेगी

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन् यह मामला उत्तर प्रदेश बाढ़ आयोग के अन्तर्गत विचाराधीन है। एक बैठक होने वाली है जिसमें रेलवे और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया है ताकि इस प्रकार की योजनायें जहां रेलवे और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोई अवरोध हो रहा है उसको साफ किया जाय।

प्रदेश में तीन साधनों से होने वाली सिंचाई की वसूली दरों में समानता लाने का मांग

*2—कुंवर मानुवेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सिंचाई के तीन साधन नहरें, लिफ्ट नहरें एवं नलकूप हैं ? इन तीनों की प्रति एकड़ सिंचाई की दर क्या है ? क्या मंत्री जी इन तीनों की सिंचाई की दर की असमानता को देखते हुए एवं कृषक सभी क्षेत्रों में समान फसल (जिन्स) का समान लाभ प्राप्त कर सके, की दृष्टि से सभी तीनों सिंचाई साधनों की दर नहर के पानी की सिंचाई दर के अनुसार ही वसूल किये जाने के आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुईद अहमद—

जी हां ।

सूची मा0 मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में उपलब्ध हैं जो किसी भी कार्य-दिवस में उनके कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती हैं ।

जी नहीं ।

नलकूपों एवं लिफ्ट नहरों के परिचालन एवं अनुरक्षण पर नहरों की अपेक्षा ऊर्जा एवं अतिरिक्त पुर्जों के लागत के कारण अधिक व्यय होता है अतः तीनों साधनों से होने वाली सिंचाई की दरों में सामानता लाया जाना सम्भव नहीं है ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

माननीय मंत्री के उत्तर के संदर्भ में । मान्यवर, मैंने प्रश्न में बहुत साफ-साफ लिखा था कि इन तीनों की सिंचाई की दर की असमानता को देखते हुए एवं कृषक सभी क्षेत्रों में समान फसल का समान लाभ प्राप्त कर सकें की दृष्टि से सभी तीनों सिंचाई साधनों की दर नहर के पानी की सिंचाई दर के अनुसार ही निश्चित किये जाने पर विचार करेंगे ? इसको माननीय मंत्री जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो मेरा फिर से आग्रह है कि इस पर फिर से माननीय मंत्री जी विचार करने की कृपा करेंगे ? (2) मान्यवर, जिस तरह से सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं और अन्य विभागों में जैसे पुल बनते हैं, तो, टोल टैक्स लगाते हैं और जब उस पुल की कीमत टोल टैक्स से वसूल हो जाती है, तब उस पर से टोल टैक्स हटा दिया जाता है, उसी प्रकार से सिंचाई विभाग की जो परियोजनाएं बहुत पहले की बनी हैं और उन पर सिंचाई शुल्क वसूल होने से उन परियोजनाओं की कीमत सरकार को मिल चुकी है तो उन परियोजनाओं के द्वारा कृषकों को दी जाने वाली सिंचाई सुविधा पर से सिंचाई मूल्य न लिये जाने पर विचार करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

माननीय, जिस दिन वह सौभाग्य आयेगा, अवश्य विचार किया जाएगा, अभी तो 127 करोड़ प्रति वर्ष का घाटा है ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, अपने प्रदेश के सभी क्षेत्रों के सभी कृषकों को समान लाभ सरकार नहीं दे सकती है, तो उस सरकार से फायदा क्या है ?

देवरिया जनपद स्थित कसया में ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत उपगृह के निर्माण हेतु अधिगृहीत भूमि का मुआवजा दिया जाना

*3—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद स्थित कसया कस्बे में 1 लाख 32 हजार विद्युत उपगृह के निर्माण हुए लगभग 40 एकड़ भूमि कब अधिगृहीत की गयी थी ? तथा उक्त भूमि का मुआवजा भू-स्वामियों को दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी किसानों का मुआवजा अविलम्ब भुगतान कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)—

देवरिया जनपद स्थित कसया कस्बे में 132 के0 वी0 उपकेन्द्र की स्थापना हेतु केवल 18.67 एकड़ भूमि जेल विभाग देवरिया द्वारा हस्तान्तरित की गयी थी जिसका कब्जा 28 जून, 1967 को विद्युत विभाग, द्वारा लिया गया था।

यह भूमि जेल विभाग द्वारा परिषद् को हस्तान्तरित की गयी थी जिसका मूल्य सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, देवरिया जिले के कसया कस्बे में 1 लाख 32 हजार के0 वी0 ए0 के विद्युत उपगृह के निर्माण के समय लगभग 40 एकड़ जमीन अधिगृहीत कर ली गयी थी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कितनी जमीन जेल विभाग से ली गयी है और कितनी जमीन भू-स्वामियों से ली गयी है और इस समय आपका कितनी जमीनों पर कब्जा है और उसका मुआवजा आपने कितना सरकारी विभाग को दिया है और कितना भुगतान किसानों को दिया है ?

श्री राम औतार दीक्षित—

मान्यवर, जिस नोटिफिकेशन के जरिये यह जमीन ली गयी है, उसमें मैं बताना चाहता हूं। मान्यवर, सरकारी नोटिफिकेशन संख्या 2448/22-1873/1948, दिनांक 23 अगस्त, 1950 (धारा 4 में) तथा 3109/22-1973/48, दिनांक 21 सितम्बर, 1950 (धारा 6 में) द्वारा 1950 में जल विभाग, देवरिया ने प्रदत्तमत भूमि अधिगृहीत की थी।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जेल विभाग की कितनी जमीन इन्होंने लिया, कितनी जमीन इन्होंने किसानों की लिया और उसके एवज में जेल विभाग को कितना मुआवजा दिया कितना मुआवजा किसानों को दिया और इस समय कितनी जमीन पर कब्जा है ?

श्री राम ओतार दीक्षित—

माननीय 18.67 एकड़ भूमि जेल विभाग से लिया और उसके एवज में 46,675 रु0 सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया था। माननीय सदस्य यदि चाहते संतुष्ट और दिलासा चाहें तो मैं उन्हें वह भी बता सकता हूं।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मैं किसानों की बात कर रहा हूं। 1967 में इन्होंने 40 एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया और उसके बाद जो सम्बन्धित किसान है, उनको आज तक मुआवजा नहीं दिया गया।

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस भूमि का सर्वेक्षण कराकर जिस पर आपका कब्जा है, मेंड़ पर कब्जा है, तार लगा है, घेर लिया है, बाउन्ड्री बना लिया है उन भू-स्वामियों को आप मुआवजा देंगे या नहीं देंगे?

श्री राम ओतार दीक्षित—

मान्यवर, मैंने पहले ही आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराया कि सिर्फ 18.67 एकड़ जमीन ली गयी है 132 के0 वी0 सबस्टेशन बनाने के लिए और उसका मुआवजा, पहले भूमि जेल विभाग को हस्तांतरित की गयी थी, इसलिए उन्होंने जेल विभाग से लिया और उसे एवज में 46 हजार 675 रुपया सरकारी खजाने में जमा कर दिया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरी जानकारी को सही मानकर विद्युत विभाग ने केवल जेल विभाग से जमीन लिया है बल्कि किसानों से भी जमीन 40 एकड़ लिया है और जो वस्तुतः आज भी विद्युत विभाग के कब्जे में है उसकी जांच करवाकर उन किसानों को मुआवजा देने की कृपा करेंगे?

श्री राम ओतार दीक्षित—

माननीय सदस्य से अपेक्षा करता हूं कि इसके बारे में मुझे जानकारी करा दें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं दिलवा दूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मंत्री जी का जो उत्तर आया है उसमें जानना चाहता हूं कि जो शाही जी ने सवाल किया, ओझा जी ने सवाल किया तब उसकी जानकारी पहुंची होगी। सरकार को किसी स्तर पर जानकारी है कि काश्तकारों की किसी जमीन पर विद्युत विभाग का कब्जा है तो इसमें सूचित करने का क्या प्रश्न है तो क्या सरकार उस बात को ध्यान में रखते हुए वहां पर जो ऐसी जमीन है जो काश्तकारों से ली गयी है वहां पर तार खिंच गया है, बाउन्ड्री वाल बन गयी है, इस सम्बन्ध में आप अपने स्तर से अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो मैं, दबाव नहीं डाल रहा हूं इसको आप अपने स्तर से मुख्यालय से किसी व्यक्ति को भेजकर जांच करायेंगे? क्या आप यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि मुख्यालय से किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर मौके की जांच कराकर काश्तकारों को मुआवजा देने की कार्यवाही की जायेगी?

श्री राम औतार दीक्षित—

माननीय सदस्य वरिष्ठ सदस्य हैं उन्हें इसकी जानकारी है कि मुआवजा कैसे दिया जाता है । माननीय, जहां तक मुझे जानकारी है 18.67 एकड़ जमीन हमने 132 के0 वी0 स्टेशन के लिए लिया और उसका मुआवजा 46 हजार 675 रुपया सरकारी खजाने में जमा कर दिया है । अब माननीय सदस्यों का यह कथन है कि किसानों की भी जमीन है और कहा कि हमारा कब्जा है । आपने आज सदन में मुझे अवगत कराया है, मैं इसको दिखवा लूंगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सिंचाई विभाग में अधीक्षण अभियन्ता से सहायक अभियन्ता तक अनुसूचित जाति तथा जनजाति के आरक्षित पदों की सूची

*1—श्री दीपचन्द्र सोनकर—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 25 दिसम्बर, 1988 को सिंचाई विभाग में अधीक्षण अभियन्ता से सहायक अभियन्ता तक सिविल तथा यांत्रिक संवर्ग में अलग-अलग कितने-कितने पद स्वीकृत थे तथा उनमें से कितने-कितने पद अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए अलग-अलग आरक्षित थे तथा रिक्त थे ? इन आरक्षित पदों के विरुद्ध कितने-कितने व्यक्ति आरक्षित वर्ग के कार्यरत थे तथा 25 दिसम्बर, 1988 को ही इन आरक्षित पदों के कितने-कितने अधिकारी इन आरक्षित पदों पर प्रोन्नति हेतु अर्ह एवं पात्र उपलब्ध थे ? क्या सरकार इन अवशेष आरक्षित पदों को आरक्षित वर्ग के पात्र एवं अर्ह उपलब्ध व्यक्तियों से भरने के लिये शासनादेश संख्या 22/21/1982—कार्मिक—2, दिनांक 31 दिसम्बर, 1984 के अनुपालन में विशेष चयन का आयोजन करायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुईद अहमद—

(श्री मुईद अहमद द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़ना प्रारम्भ करने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

यह पढ़ा हुआ मान लिया जाय, बहुत लम्बा है ।

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया) ।

[दिनांक 25 दिसम्बर, 1988 को सिंचाई विभाग में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के 128 पद, अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) के 31 पद, अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के 670 पद, अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) के 200 पद, सहायक अभियन्ता (सिविल) के सीधी भर्ती एवं प्रोन्नत श्रेणी के कुल 1927 पद तथा सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के सीधी भर्ती एवं प्रोन्नत श्रेणी के कुल 614 पद स्वीकृत थे । दिनांक 25 दिसम्बर, 1988 को वर्षवार उपलब्ध रिक्तियों की गणना के अनुसार अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) तथा (यांत्रिक) के संवर्ग में अनुसूचित जाति के लिए क्रमशः 3 तथा 2 पद अग्रनीत एवं आरक्षित थे । इस तिथि को अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के 24 पद अनुसूचित जाति के लिये तथा 3 पद जनजाति के लिए और अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) के 9 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एवं रिक्त थे । उक्त तिथि को सहायक

नोट—[ ] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार पढ़ा हुआ माना गया ।

अभियन्ता (सिविल) के सीधी भर्ती तथा प्रोन्नत श्रेणी के कुल 108 पद अनुसूचित जाति के लिए तथा 10 पद जनजाति के लिए आरक्षित एवं रिक्त थे। इसी प्रकार सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के सीधी भर्ती तथा प्रोन्नत श्रेणी के कुल 66 पद अनुसूचित जाति के लिए और 6 पद जनजाति के लिए आरक्षित एवं रिक्त थे।

दिनांक 25 दिसम्बर, 1988 को अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) की 3 अग्रनीत आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित जाति के तीन अधिकारी तदर्थ रूप से कार्यरत थे। इन पदों पर प्रोन्नति हेतु इस वर्ग के 17 अधिकारी अर्ह थे किन्तु पात्रता परिधि में नहीं आते थे। इस तिथि को अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) के आरक्षित पदों के विरुद्ध इस वर्ग का कोई अधिकारी कार्यरत नहीं था और पदोन्नति हेतु इस वर्ग का कोई अधिकारी अर्ह एवं पात्र नहीं था। इस तिथि को अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के आरक्षित पदों के विरुद्ध इस वर्ग के 39 अधिकारी कार्यरत थे तथा अवशेष आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध प्रोन्नति के लिए केवल तीन अधिकारी अर्ह एवं पात्र थे। अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) के आरक्षित पदों के विरुद्ध दिनांक 25 दिसम्बर, 1988 को यद्यपि इस वर्ग के 5 अधिकारी कार्यरत थे किन्तु इस समय 9 अधिकारी कार्यरत हैं। शेष आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति हेतु अनुसूचित जाति के तीन अधिकारी अर्ह थे किन्तु पात्र नहीं थे। दिनांक 25 दिसम्बर, 1988 को सहायक अभियन्ता (सिविल) के आरक्षित पदों के समक्ष इस वर्ग के 15 अधिकारी नियमित रूप से और 29 अधिकारी तदर्थ रूप से कायरत थे। इसी प्रकार सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के आरक्षित पदों पर इस वर्ग के 14 अधिकारी नियमित रूप से तथा 19 अधिकारी तदर्थ रूप से कार्यरत थे।

संबंधित शासनादेश का अनुपालन सिंचाई विभाग में किया जाता रहा है और अनुसूचित जाति एवं जनजाति की अग्रनीत एवं आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये समय-समय पर विशेष चयन भी आयोजित किये गये हैं। अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पदों पर अनुसूचित जाति की अवशेष आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये एक विशेष चयन दिनांक 28 जनवरी, 1985 को किया गया, जिसमें इस वर्ग के 7 अधिकारी पदोन्नति हेतु चयनित किये गये। इसी प्रकार अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) के पदों पर अनुसूचित जाति की अग्रनीत आरक्षित रिक्तियों को भरने के अभिप्राय से एक विशेष चयन दिनांक 22 जुलाई, 1988 को किया गया, जिसमें इस वर्ग के एक अधिकारी चयनित हुये। सहायक अभियन्ता (सिविल) की 53 अग्रनीत रिक्तियों को भरने के लिये विशेष प्रतियोगितात्मक परीक्षा आयोजित करने हेतु लोक सेवा आयोग को अभियाचन भेजा गया है। अग्रनीत एवं अवशेष आरक्षित रिक्तियों को भरने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।]

श्री दीप चन्द्र सोनकर—

मान्यवर, मैं आप का संरक्षण चाहता हूं और मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो उत्तर दिया है वह सदन को गुमराह किया है जैसे 128 पद 1984 में थे अधिशासी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता के जिसमें से अनुसूचित जाति के 26 पद होने चाहियें, उस समय 17 आदमी एवेलेबिल थे लेकिन उसमें 3 आदमी किये गये और वह भी एडहाक किये गये में जानना चाहता हूं कि जो 17 आदमी उस वक्त उपलब्ध थे उनको क्यों नहीं रेगुलर अधीक्षण अभियन्ता में प्रमोट किया गया ?

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, उस समय यह तीन लोग तदर्थ रूप से कार्यरत थे अनुसूचित जाति के 17 अधिकारी मान्यवर, अर्ह थे मगर पात्रता सूची में नहीं थे। सन् 1988 में वह ले लिये गये।

श्री दीप चन्द्र सोनकर—

मान्यवर, पात्रता सूची किस आधार पर बनाई जाती है, माननीय मंत्री जी इसका जवाब दे दें।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, पात्रता सूची किसी पद पर प्रोन्नति के लिये उपलब्ध रिक्तियां जो होती हैं। उसी के अनुपात में ज्येष्ठता के क्रमानुसार बनाए जाते हैं। ज्येष्ठता सूची के अनुसार बनाए जाते हैं। पात्रता सूची में आने वाले, जो अर्ह कहे जाते हैं, वे अर्ह होते हुए भी पात्रता सूची में नहीं आते हैं। पात्रता और ज्येष्ठता में अन्तर है।

श्री पारस नाथ यादव—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सन् 1984 में अगस्त में चयन के बाद से अब तक कितने अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद रिक्त हैं और कितने आरक्षित हैं?

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, 18 परसेन्ट आरक्षण रहता है और अब 33 परसेन्ट हैं।

श्री पारस नाथ यादव—

मान्यवर, 1984 अगस्त में चयन के बाद अब तक कितने पद सिविल अभियन्ताओं के रिक्त हैं और कितने आरक्षित हैं और उनको कोई विशेष चयन समिति बनाकर चयनित करेंगे?

श्री मुईद अहमद—

यह सिविल के बारे में पूछा है या मैकेनिकल के?

श्री उपाध्यक्ष—

सिविल के बारे में पूछा है।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, इसमें 128 पद रिक्त थे, उसमें से जो 17 मिले थे, उनको भर लिया गया और दूसरे जब ये खाली रहते हैं तो उसके बाद जब-जब मिलते जाते हैं, भरते जाते हैं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन पदों पर आप कहते हैं कि आरक्षण के कोटे से पूरा करेंगे, तो जो कोटा उनका निर्धारित है, तो निर्धारित कोटे में अधीक्षण अभियन्ता, अवर अभियन्ता के पदों को पूरा न करने का क्या कारण है, जिसके कारण पद रिक्त पड़े हैं?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, अर्हता और पात्रता में अन्तर है। हर व्यक्ति को 7 साल एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के रूप में काम करना पड़ता है, तब वह अधीक्षण अभियन्ता होता है। जो 17 पद भरे गए, वह सात साल वालों में से भरे गए। उसके समक्ष जो गैर अनुसूचित जाति के हैं वे 24-24 साल के हो गए हैं लेकिन पात्र न होने के कारण नहीं भरे जा सके।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

जो आरक्षण कोटा है, उसके पदों को भरने में आपको क्या कठिनाई है। मंत्री जी तथ्य वालों को बता रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब आरक्षण कोटे के व्यक्ति विभाग में मौजूद हैं तो उनको प्रोन्नत करके क्यों नहीं भरा गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

उनकी पात्रता पूर्ण नहीं थी। सात वर्ष की नौकरी आवश्यक है, उस पद परोन्नति से वे अवीक्षण अभियन्ता बनते हैं।

श्री मूलचन्द—

माननीय, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में यह जानना चाहता हूं कि 18 परसेन्ट आरक्षण का कोटा है, जिसमें अब तक कितने परसेन्ट कोटा पूरा हुआ है और कितना बाकी है। जो बाकी है, उसको कितने दिन में पूरा कर देंगे और उनको पूरा करने के लिए आपके पास कौन से आधार होंगे।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

1947 में 10 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए, 1953 में यह 18 प्रतिशत हो गया। 1953 से आज 1989 है यह 23 वर्षों की बात सोच ले कितने व्यक्ति कितने समय में इंजीनियरिंग पास कर आये होंगे। 128 पद हैं, जो पदोन्नति में जाते जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह बढ़ाने के लिए 7 वर्ष की सेवा नियमावली में आवश्यक है, जो यह करते रहते हैं उनको यह पद उपलब्ध हो जाता है।

(श्री मूल चन्द, श्री दीप चन्द सोमकर, श्री पारस नाथ यादव के एक साथ खड़े होकर बोलने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब कितने सवाल होंगे ?

श्री मूलचन्द—

माननीय, मेरा सवाल यह है कि 18 प्रतिशत आरक्षण कोटा है उसमें से कितने प्रतिशत पूरा किए हैं और कितने प्रतिशत बाकी हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें यह कहां है ?

श्री शारदानन्द अंचल—

जितने पद आरक्षण कोटा के रिक्त हैं अवीक्षण अभियन्ता से लेकर तृतीय श्रेणी तक के, मानकों को शिथिल करके, आरक्षित पदों की पूर्ति करके इन्हें भरेंगे ?

श्री मुईद अहमद—

सिंचाई विभाग में जितना भी कोटा था लगभग सब पूरा किया गया है। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 1974 से पात्रता सूची अलग से बनाकर उसके चयन करने की व्यवस्था की गयी है। 10 मई, 1976 से यह व्यवस्था क्रमशः चल रही है। जैसे-जैसे पात्रता सूची में आते जाते हैं, लेते जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद—

माननीय, यह गलत बयानी है ।

श्री मुईद अहमद—

सिंचाई विभाग में जब पात्रता सूची में नहीं आते हैं वह पद रिक्त होते हैं । एडहाक रूप से व्यवस्था की जाती है । जब पात्र व्यक्ति उनमें से मिल जाते हैं, उनको हटा करके, इनको रख लेते हैं ।

श्री शारदानन्द अंचल—

क्या माननीय मंत्री जी अधीक्षण अभियन्ता से लेकर तृतीय श्रेणी के आरक्षित पदों को भरने के लिए पात्रता के मानकों को शिथिल करेंगे और आरक्षित पदों की घोषणा करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

शिथिलता प्रदान कर दें, वह कह रहे हैं ।

श्री अवधेश प्रसाद—

माननीय, वर्ष 1984 में माननीय नारायण दत्त तिवारी ने समस्त प्रदेश के सचिवों को आदेश दिया था कि जिन-जिन विभागों में आरक्षण का कोटा नहीं पूरा हुआ है एक महीने के अन्दर उस कोटे को पूरा कर लिया जाय । मैं जानना चाहता हूं कि उस दिशा में अब तक आपके विभाग में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं सूची तो पढ़ रहा था, लेकिन आप ही लोगों ने कहा कि पढ़ा आ मान लें । उसी में दिया हुआ है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

आपरेटिव पोरशन बता दें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जो सहायक अभियन्ताओं की जो जगह खाली हैं, उनकी प्रोन्नति के लिए लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया गया है कि अनुसूचित जाति के सम्बर्ग में अलग से उस प्रक्रिया को पूरा करें । यह लोक सेवा आयोग को संदर्भित कर दिया गया है ।

(श्री शारदा नन्द अंचल तथा श्री दीप चन्द्र सोनकर के एक साथ बोलने से घोर व्यवधान)

श्री दीप चन्द्र सोनकर—

माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह तो केरी फारवर्ड के पद किए जाने थे और 15/25/, दिनांक 10 मई, 1976 के अन्तर्गत डिरिजर्व कर दिए गए, तो क्या रिजर्व किए गए पदों की गणना का विवरण उपलब्ध करायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी --

माननीय सदस्य क्या चाहते हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जब भी अल्पसंख्यकों का मामला आएगा, हरिजनों का मामला आएगा, तो इनके कान बन्द हो जायेंगे । यह सरकार हरिजन विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है । यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है । आप इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिए, यह इस तरह नहीं चलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

चलेगा या नहीं चलेगा, यह तो अलग बात है, लेकिन आप व्यर्थ ही सदन का समय बरबाद कर रहे हैं ।

श्री शारदा नन्द अंचल--

मान्यवर, यह सरकार बहुत हृदयहीन है ।

श्री दीप चन्द्र सोनकर--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी उत्तर नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । आप इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द कर दीजिए । मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्यगण उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए आप इस प्रश्न को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के सुपुर्द कर दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

उनके प्रश्न का ही मंत्री जी जवाब दे रहे थे, लेकिन यह बीच में ही शुरू कर देते हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, आप इस पर नियम 49 में चर्चा करवा दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग इसके लिए लिखकर दे दीजिए और अपना आसन ग्रहण कीजिए ।

[बुधवार दिनांक 8 मार्च, 1989 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बीसवीं सदी के अन्त तक सभी ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्ण कराने की मांग

*1--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1988-89 में ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य पूर्व वर्षों की तुलना में आधा कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस तरह से बीसवीं सदी के अन्त तक सभी ग्रामों का विद्युतीकरण हो पाएगा ?

श्री राम औतार दीक्षित--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युतीकरण संसाधन उपलब्धता पर निर्भर है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी का उत्तर बड़ा ही काबिले तारीफ है । मैंने सवाल किया था कि ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य क्या रखा गया है और क्या इसे पिछले साल की तुलना में आधा कर दिया गया है । मंत्री जी जवाब दे रहे हैं जी नहीं । आप इसको कोई कोंगर बतायेंगे, कितना रखा गया है ? कितना पिछले साल था, कितना इस साल रखा गया है, इसका उत्तर केवल जी नहीं तो नहीं है । आप इसे 20वीं सदी के अन्त तक भी पूरा नहीं कर पायेंगे । आप मान्यवर, मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दिलवाइये ।

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्रश्न को पढ़ लें । उन्होंने पूछा था कि 1988-89 में ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य पूर्व वर्षों की तुलना में आधा कर दिया गया है, मैंने कहा, जी नहीं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

यह बता दें कि कितना लक्ष्य रखा गया है ?

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, पिछले वर्ष 2688 विद्युतीकरण का था और इस वर्ष 4088 कर दिया गया है । पिछले साल ट्यूबवेल का 15 हजार था, अब इस साल 32 हजार कर दिया गया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, यह रिवाइज इस्टीमेट पढ़ रहे हैं । अब तो मार्च आ गया है । आप बता दें कि कितने लक्ष्य की पूर्ति आपने की है ?

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, अभी तक 2295 किया है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के समूचे गांवों को विद्युतीकरण करने का कब तक का आपने लक्ष्य रखा है ?

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, हमारा तो इरादा है कि शीघ्र ही सारे प्रदेश के सभी ग्रामों का ऊर्जीकरण कर दें । जैसे-जैसे मान्यवर, संसाधनों की उपलब्धि हो रही है, उसी अनुपात में निरन्तर प्रगति हो रही है ।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमने लक्ष्य कम नहीं किया है। क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि मुरादाबाद जनपद में जिन 40 गांवों का विद्युतीकरण होना था, वहां पर अब केवल 16 गांवों का विद्युतीकरण करने का आदेश है, यदि ऐसा है तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, मुरादाबाद के बारे में तो यह प्रश्न था नहीं, इसलिए इस समय इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा शहरी क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् सप्लाई के समय में भिन्नता का कारण

*2--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् परिषद् द्वारा शहरी क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् सप्लाई के कुल समय में भिन्नता के क्या कारण हैं ? सरकार परिषद् के इस तर्क से किस आधार पर सहमत है कि ग्रामीण नागरिकों को विद्युत् की इतनी प्रतिदिन आवश्यकता नहीं है जितनी शहरी नागरिकों को है ? क्या मंत्री जी अविलम्ब शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एक समान विद्युत् सप्लाई की व्यवस्था करेंगे ?

ऊर्जा मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)--

वर्तमान काल में ग्रामीण क्षेत्रों का संयोजित विद्युत् भार लगभग 3,000 मेगावाट है। उपलब्ध विद्युत् उत्पादन स्तर पर समस्त ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों को निरन्तर रूप में विद्युत् आपूर्ति करना सम्भव नहीं है। ग्रामीण उपभोक्ताओं की विद्युत् आपूर्ति सम्बन्धी किये गये सर्वेक्षण से यह विदित होता है कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों की 10 घन्टे निरन्तर विद्युत् आपूर्ति की जाये तो कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। इसके आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 10 घंटे प्रतिदिन 3 फेज विद्युत् आपूर्ति की व्यवस्था की गयी है। साथ ही प्रकाश आदि की आवश्यकता की पूर्ति के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 6 बजे सायंकाल से प्रातःकाल तक दो फेज विद्युत् की आपूर्ति की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् आपूर्ति में मुख्य कठिनाई यह है कि ग्रामीण पोषकों की लम्बाई अत्यधिक होने के कारण वश उनमें ट्रिपिंग अथवा ब्रेक डाउन होते रहते हैं जिससे विद्युत् आपूर्ति में बाधा पड़ती है। इस समस्या को दूर करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों के लिये "प्रणाली सुधार योजनायें" बनाई जा रही हैं जिसके कार्यान्वयन के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् आपूर्ति निर्धारित समय के अनुरूप की जा सकेगी।

शहरी क्षेत्रों में मेडिकल कालेज/चिकित्सालयों, रेलवे स्टेशनों, शैक्षिक संस्थाओं, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, रक्षा अधिष्ठानों एवं सुरक्षा आदि हेतु विद्युत् आपूर्ति निरन्तर बनाये रखना आवश्यक होता है।

नोट--पत्थी 'घ' के ता0 प्र0 सं0 1 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

उपरोक्त के आधार पर ही शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत् आपूर्ति के सम्बन्ध में शिकायत हैं ।

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा बस्ती जिले के पिपहरवा स्थान में विद्युत् उपकेन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में

*3--श्री धनराज यादव--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के विद्युत् वितरण खण्ड द्वितीय के क्षेत्र में विद्युत् वितरण के 4 उपखण्ड तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों का पांचवां उपखण्ड हैं, इस खण्ड के परिक्षेत्रों में नौगढ़ तहसील मुख्यालय है, जहां कुछ वर्षों पूर्व ग्रामीण विद्युतीकरण का उपखंड कार्यरत था ? यदि हां, तो इस स्थान के महत्व को देखते हुए तथा 76 कि0 मी0 जिला मुख्यालय बस्ती से विद्युतीकरण की कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए, बस्ती से विद्युत् वितरण खण्ड तथा पांचवां उपखण्ड नौगढ़ में स्थानान्तरण करने तथा बर्डपुर में एक उपकेन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसको कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह

वर्तमान समय में बस्ती जिले के विद्युत् वितरण खण्ड-द्वितीय के क्षेत्र म विद्युत् वितरण के तीन तथा "ग्रामीण विद्युतीकरण" के एक उप-खण्ड सहित कुल चार उप-खंड ही हैं ।

विद्युत् वितरण खण्ड-द्वितीय को बस्ती से नौगढ़ स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव राज्य विद्युत् परिषद् में विचाराधीन नहीं है ।

बर्डपुर में एक 33 के0 वी0 विद्युत् उपग्रह स्थापित करने का प्रस्ताव परिषद् के विचाराधीन था । परन्तु उसके स्थान पर अब उक्त विद्युत् उपकेन्द्र की स्थापना "पिपरहवा" में विचाराधीन है जोकि बर्डपुर विकास खण्ड में होने के साथ ही उसके सन्निकट है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

लघु सिंचाई विभाग द्वारा गहरे नलकूपों के निर्माण से पूर्व सर्वेक्षण का प्रतिबन्ध लघु कृषकों पर लगाया जाना

*4--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि लघु सिंचाई विभाग द्वारा डी0 सी0 रिग मशीन से गहरे नलकूपों के निर्माण के पूर्व सर्वेक्षण का प्रतिबन्ध लघु कृषकों पर लगा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सिंचाई विभाग भी उक्त प्रतिब० को अपने विभाग में लागू करेगा तथा स्टेट ट्यूबवेल ऐक्ट, 1936 में संशोधन किया जायगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं ।

लघु सिंचाई विभाग द्वारा डी0 सी0 रिग से गहरे नलकूपों के निर्माण से पूर्व सर्वेक्षण का प्रतिबन्ध लघु कृषकों पर लगा दिये जाने की जानकारी सिंचाई विभाग को नहीं है । सिंचाई विभाग द्वारा सभी नलकूपों के निर्माण से पूर्व क्षेत्र के लिए नलकूप की उपयुक्तता का सर्वेक्षण कराया जाता है तथा संदिग्ध क्षेत्रों में नलकूपों के निर्माण

से पूर्व मूगमं खंड सर्वेक्षण विभाग की सहायता भी आवश्यकतानुसार ली जाती है। अतः किसी अन्य प्रतिबन्ध की आवश्यकता नहीं है। राजकीय नलकूपों के चालन में विभाग में अधिक अनुभव तथा कुशलता उपलब्ध है। अतः यू0 पी0 स्टेट ट्यूबवेल ऐक्ट 1936 में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

उन्नाव जनपद की तीनों प्रमुख नहरों में रोस्टर के अनुसार प्राप्त जल

*5—श्री हृदय नरायण दीक्षित—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्नाव जनपद की तीनों प्रमुख नहरों, उन्नाव ब्रान्च, मोरावां-आसीवन ब्रान्च व पुरवा ब्रान्च को वर्ष 1987-88 के विलोय वर्ष में कुल कितने क्यूसेक पानी मिलना चाहिए था और कुल कितने क्यूसेक पानी मिला ? सिंचाई की बढ़ती मांग को देखते हुए सूखे के बावजूद पानी की मात्रा बढ़ाने के बजाय कम करने के क्या कारण थे ? क्या सरकार सिंचाई के लिए पानी की मात्रा बढ़ाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि मोरावां-आसीवन ब्रांच का सिंचाई क्षेत्र पिछले 10 वर्षों से लगातार बढ़ता जा रहा है ? यदि हां, तो गत 20 वर्ष से पानी की मात्रा में कोई वृद्धि हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जनपद उन्नाव की तीनों प्रमुख नहरों उन्नाव ब्रांच, पुरवा ब्रांच, आसीवन ब्रांच को वर्ष 1987-88 में पूर्व वर्षों में नदियों से प्राप्त जल के अनुपात पर जो रोस्टर बनाया गया था, उसके अनुसार जो जल उपलब्ध होना चाहिए था एवं जो भयंकर सूखे के कारण वास्तव में उपलब्ध हुआ, का विवरण निम्नवत् है :—

क्र0 सं0	नाम नहर	अनुमानित जल की मात्रा जो प्राप्त होनी थी (क्यू0 दिवस में)	जल की मात्रा जो वास्तव में प्राप्त हुई (क्यूसेक दिवस में)
1	2	3	4
1	आसीवन ब्रांच	1,10,250	87,525
2	पुरवा ब्रांच	1,31,600	1,11,615
3	उन्नाव	87,500	69,178
	योग	3,38,350	2,58,318

वर्ष 1987-88 में भयंकर सूखा पड़ जाने से नदियों में जहां से पानी नहरों में उपलब्ध कराया जाता है, पानी की उपलब्धता न्यूनतम रही। फलस्वरूप नहरों में पानी की मात्रा कम उपलब्ध हुई।

शारदा नदी से प्राप्त जल का सदुपयोग वर्तमान नहर प्रणाली द्वारा किया जा रहा है एवं इस प्रणाली में जल की मात्रा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रदेश में बाढ़ से निपटने हेतु बनाई गयी स्थायी योजना का रूप रेखा

*6--श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में बाढ़ से निपटने के लिए सरकार ने कोई स्थायी योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसकी पूर्ण रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं ।

दिनांक 27 जुलाई, 1956 को भारत सरकार के माननीय मंत्री जी सिंचाई और विद्युत ने संसद को सूचित किया था कि बाढ़ से पूर्ण और स्थायी सुरक्षा प्रदान करना सुदूर भविष्य में भी भौतिक रूप से सम्भव नहीं है क्योंकि बाढ़ की असामान्य स्थिति उत्पन्न करने के लिए जो अनेक प्राकृतिक कारण हैं उनके विषय में पहले से कुछ नहीं जाना जा सकता है । तत्पश्चात् भारत सरकार ने 1957 में बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की थी । इस समिति ने अपनी संस्तुतियों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि किसी भी क्षेत्र को ज्ञात भौतिक उपायों से पूर्ण व स्थायी रूप से बाढ़ की क्षति से मुक्त नहीं किया जा सकता । इसके लिए फ्लड प्लेन जोनिंग, बाढ़ पूर्वानुमान और बाढ़ चेतावनी आदि "नान स्टक्चरल" उपायों से ही बाढ़ के प्रभाव को कम अवश्य किया जा सकता है और इन्हीं उपायों की महत्ता पर बल दिया है ।

भारत सरकार की उक्त बाढ़ नीति का ही राज्य सरकार ने मुख्यतः अनुसरण किया है । फिर भी जहां अत्यन्त आवश्यकता होती है वहां स्थिति और धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यथासम्भव बाढ़ प्रबन्ध/नियंत्रण/सुरक्षात्मक कार्य किये जाते हैं ।

वाराणसी जनपद में सांसद कोटे में नलकूपों का निर्माण

*7--श्री राज किशोर सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988-89 में सिंचाई के लिए वाराणसी जनपद के प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए सांसद कोटे में कितने नलकूप स्वीकृत किये गये हैं ? क्या शासन वाराणसी जनपद के वाराणसी सदर तहसील व कालपुर भदोही तहसील क्षेत्रों में भी सिंचाई की समस्या को देखते हुए प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए विधायक के कोटे में भी नलकूप स्वीकृत करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कितने ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

शासनादेश संख्या 6760-टी/85-23-सि-5-86-टी-डब्लू-72, दिनांक 9 दिसम्बर, 1985 में दी गई स्वीकृति के अनुसार संसदीय कोटे में वाराणसी जनपद में दो नलकूपों का निर्माण वर्ष 1988-89 में किया गया ।

जी नहीं । सम्प्रति इस प्रकार का कोई कोटा निर्धारित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के बड़े औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत् बकाये के कारण विद्युत् परिषद् के घाटे की दृष्टि से अग्रिम धन-राशि लेने पर विचार

*8—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बड़े औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा बढ़ाये जा रहे विद्युत् बकाये के कारण विद्युत् परिषद् के घाटे को देखते हुए विद्युत् परिषद् उनके स्वीकृत लोड पर निर्धारित अवधि के लिए अग्रिम धनराशि लेने पर विचार कर रहा है जिससे प्रत्येक माह उपभोग की गयी विद्युत् के अनुसार उनके बिलों में समायोजित कर लिया जायेगा ? यदि हां, तो वह प्रस्ताव क्या है और विद्युत् परिषद् के हित में उसे कब तक लागू किया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं।

ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य विद्युत् परिषद् के विचाराधीन नहीं है।

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम के अन्तर्गत विद्युत् लाइन का जीर्णोद्धार

*9—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम के अन्तर्गत कन्छदऊ क्षेत्र की विद्युत् लाइन (जलालपुर-छिबरामऊ परसोला-राधीपुर) एवं मल्लावां-गौसगंज विद्युत् लाइन के जीर्णोद्धार की कोई रूप-रेखा बनाई जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो वह रूप-रेखा क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं।

जलालपुर-छिबरामऊ-परसोला-राधीपुर 22.4 कि0 मी0 लम्बी लाइन बनाई गयी थी, जिसमें 20 कि0 मी0 तार चोरी कर लिया गया है। 2.4 कि0 मी0 लाइन चालू है।

मल्लावां-गौसगंज कोई लाइन नहीं है। सण्डीला-गौसगंज 11000 वोल्ट लाइन में हसनापुर से गौसगंज के बीच का लाइन का अधिकांश सामान चोरी कर लिया गया है।

ग्रामवासियों द्वारा वांछित मात्रा में बलकूप/बस्ती पंखे कनेक्शनों के अनुबन्ध करने पर चोरी गये लाइन के खण्डों को फिर से बनाये जाने पर विचार किया जा सकता है।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में मधुशालाओं की दुकानों पर असामाजिक तत्वों द्वारा दुर्व्यवहार तथा अनैतिक आचरण

*10—श्री [illegible]—

क्या आबकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण अंचल में स्थित बहु-संख्यक बाजारों के चौराहों, सार्वजनिक स्थानों पर मधुशालाएं (शराब) की दुकानें खोली

गयी हैं जिससे आये दिन महिलाओं, समाज के संभ्रान्त व्यक्तियों तथा समाज के शांति-प्रिय लोगों के साथ असामाजिक अपराधों तत्व दुर्व्यवहार एवं अनैतिक आचरण करते रहते हैं ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार कोई प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही करेगी ?

मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्रामीण अंचलों में मदिरा की दुकानें आबकारी मैनुअल खण्ड 1 के नियम 328 के प्राविधानों के अन्तर्गत खोली गई हैं। इन दुकानों पर असामाजिक तत्वों द्वारा किसी के साथ दुर्व्यवहार अथवा अनैतिक आचरण की शिकायत नहीं मिली है।

शासन इस ओर सजग है। किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर कार्यवाही की जाती है।

जनपद रायबरेली में कोटवा माइनर हेतु कृषकों की अधिगृहीत भूमि का मुआवजा देने हेतु कृत कार्यवाही

*11--श्री शारदा प्रताप--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के अन्तर्गत जौनपुर ब्रान्च से (मांझगांव निरीक्षण गृह के समीप) निकाली गयी कोटवा माइनर हेतु कतिपय कृषकों की भूमि वर्ष 1979 में अधिगृहीत की गयी है ? क्या उक्त भूमि का मुआवजा सम्बन्धित कृषकों को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भूमि का मुआवजा सम्बन्धित कृषकों को कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जौनपुर जल शाखा के कि0 मी0 15·52 बाई पटरी से सिंचन क्षमता की वृद्धि हेतु जनपद रायबरेली में कोटवा माइनर का निर्माण वर्ष 1978-79 में प्रारम्भ कराया गया है। प्रश्नगत माइनर के निर्माण में ली गई भूमि की अध्याप्ति की कार्यवाही के अन्तर्गत धारा 4 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना सं0 903-आई0 एल0 ए0/रायबरेली--1083-85, दिनांक 29 अक्तूबर, 1985 द्वारा जारी की जा चुकी है। धारा 6 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना के प्रकाशन के बाद कृषकों को भूमि का प्रतिकर वितरण कराने की कार्यवाही विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, रायबरेली द्वारा की जायेगी।

लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगात्मक परीक्षा के आधार पर चयनित अभियन्ताओं की सिंचाई विभाग में अस्थायी नियुक्तियां

*12--श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1971 में आयोजित प्रतियोगात्मक परीक्षा के आधार पर चयनित अभियन्ताओं की नियुक्ति-पत्र संख्या 2133-1-73-23-सि0-39/197, दिनांक 12 अप्रैल, 1973 में दिये गये प्रतिबन्धों के प्रतिबन्ध नम्बर 3 पर यह दिया है कि सिंचाई विभाग में आवंटित सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता स्थायी तथा अस्थायी संवर्ग में लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई ज्येष्ठता के आधार पर एक साथ निर्धारित की जायेगी और केवल पहले से नियुक्त पाने के आधार पर किसी अभ्यर्थी को ज्येष्ठता में कोई लाभ नहीं दिया जायेगा ? यदि हां, तो क्या प्रोन्नति के लिए अपनाये जा रहे मानकों में इस नियुक्ति पत्र में लोक

सेवा आयोग द्वारा दिये गये ज्येष्ठता-क्रम को बनाये रखा जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

वर्ष 1971 में लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगात्मक परीक्षा के आधार पर चयनित अभियन्ताओं की सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पदों पर अस्थायी नियुक्ति संबंधित शासनादेश, दिनांक 12 अप्रैल, 1973 द्वारा कथित प्रतिबन्ध के अधीन अवरुद्ध की गयी थी किन्तु इस शासनादेश को निरस्त करते हुए चयनित अभ्यर्थियों को सहायक अभियन्ता (सिविल) के स्थायी/अस्थायी पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में एक दूसरा शासनादेश संख्या 632-1/74-23-सि-1-39-71, दिनांक 21 मार्च, 1974 को जारी किया गया, जिसमें इस प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं रखा गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली प्रदेश शासन द्वारा यमुना नदी पर पत्थर की ठोकरें बनाने से उ0 प्र0 की ओर नदी का कटान

*13—श्री महेन्द्र माटी—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिल्ली प्रदेश शासन द्वारा यमुना नदी पर पत्थर की ठोकरें बनाये जाने से नदी का कटान उ0 प्र0 की ओर हो रहा है और नोएडा का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है ? यदि हां, तो सरकार ने इसके निराकरण हेतु क्या उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

दिल्ली प्रशासन द्वारा ओखला बैराज के नीचे यमुना नदी के बायें किनारे पर ग्राम जैतपुर के निकट पत्थर की ठोकरें बनाने के कारण वर्ष 1986 के पश्चात् उत्तर प्रदेश की ओर कटान नहीं हो रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीतापुर नगर को बाढ़ से बचाने के लिए सरायन नदी के तटों पर मिट्टी के तटबन्धों का निर्माण

*14—श्री रामेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर नगर को बाढ़ से बचाने के लिए निर्माणाधीन बन्धों की प्रगति क्या है ? पूरी योजना क्या है और कब तक पूर्ण हो जाना प्रस्तावित है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

सीतापुर नगर बाढ़ सुरक्षा योजना में निर्माणाधीन बन्धे पर 38000 घन मीटर मिटटी का कार्य किया जा चुका तथा एक नग रेगुलेटर के निर्माण का कार्य आंशिक रूप से किया गया है ।

सीतापुर नगर को बाढ़ से बचाने के लिए सरायन नदी के दोनों तटों पर मिट्टी के तटबन्धों का निर्माण किया जायेगा, जिनकी कुल लम्बाई 4.725 कि0 मी0 होगी तटबन्धों पर बोल्डर पिचिंग एवं लीचिंग एप्रन भी प्रस्तावित है । 6 स्थानों पर ड्रेनेज साइफन निर्मित किये जायेंगे तथा 6 पम्प हाउस बनाये जायेंगे । वर्तमान नीचे एवं सकरे पुलों के स्थान पर दो ऊंचे तथा चौड़े पुल बनाये जायेंगे ।

अष्टम् पंच वर्षीय योजना काल में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

जनपद बहराइच की नानपारा कैसरगंज तहसील में घाघरा नदी पर निर्मित बांध के रख-रखाव पर व्यय धनराशि

*15—श्री बेनेजर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद के नानपारा और कैसरगंज तहसील को घ घरा नदी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु निर्मित बांये तट के बांध का रख-रखाव बहराइच सिंचाई को न देकर सिंचाई खण्ड गोण्डा को किया गया है ? यदि हां, तो वर्ष वार तथा इस बांध पर कितना-कितना धन व्यय किया गया ? इसमें कितना विभागीय धन और कितना एन0 आर0 पी0 आदि मद का है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जनपद बहराइच की नानपारा कैसरगंज तहसील में घ घरा नदी पर 95 कि0 मी0 लम्बा बेहला बेहरोली बांध का रख-रखाव आरम्भ से सिंचाई खण्ड गोण्डा द्वारा ही किया जाता रहा है । बाद में निर्मित 15.5 कि0 मी0 लम्बे रेवली आदमपुर बांध का रख-रखाव भी सिंचाई खण्ड गोण्डा को बांधों के जुड़े होने के कारण दिया गया है ।

गत तीन वर्षों में इस 110.5 कि0 मी0 लम्बे बांध पर रुपया 23.11 लाख अनुरक्षण पर और 52.49 लाख निर्माण पर विभाग द्वारा और रुपया 18.59 लाख केन्द्रीय सहायता तथा रुपया 37.98 लाख राष्ट्रीय ग्रामीण योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से व्यय किया गया है ।

जनपद फैजाबाद में बीकापुर तहसील की बंशल फर्टिलाइजर लिमिटेड में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को नौकरी देने की मांग

*16—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में बीकापुर तहसील के मंगारी गांव में दुर्गा बंशल फर्टिलाइजर लि0 स्थापित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु किन-किन ग्रामों के किन-किन किसानों की कितनी-कितनी भूमि ली गयी तथा प्रोजेक्ट से प्रभावित कुल किन-किन किसानों को नौकरी दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फर्रुखाबाद, बदायूं मार्ग को गंगा नदी की बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने हेतु परियोजना

*17— वह्वि वेदी—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि अक्तूबर, 1986 में सूखा के बाढ़ का निरीक्षण करने हेतु केन्द्र सरकार की कोई टीम जनपद फर्रुखाबाद के विकास खंड राजपुर में गंगा नदी से भयंकर रूप से कटाव हो रहे स्थल वाली पट्टी के निरीक्षण हेतु गई थी ? यदि हां, तो क्या वहां उक्त टीम को गंगा नदी के कटाव से निकट भविष्य में ही गंगा व रामगंग नदियों के वहीं पर मिलकर एक हो जाने और इस कारण करोड़ों रुपयों की लागत से ग्वालियर, फतेहगढ़, बरेली, मिश्रोरागढ़ नेशनल राष्ट्रीय मार्ग व उस पर गंगा व रामगंगा नदियों पर निर्मित बटिया घाट के किछपुरिया पुलों के बेकार हो जाने के संकट की जानकारी प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, चंदौसी मार्ग एवं ग्वालियर लेपुलेख मार्ग को बचाने के लिए गंगा नदी द्वारा किये जा रहे इस जबरदस्त कटाव को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जी हां। इस क्षेत्र का वर्ष 1986 की बाढ़ उपरांत की स्थिति के अनुसार ग्राम बहलो पट्टी के ऊपर तथा नीचे की ओर गंगा नदी द्वारा कटान को रोकने हेतु सर्वेक्षण कराया गया तथा ग्राम गहलो पट्टी एवं फर्रुखाबाद, बदायूं मार्ग को गंगा नदी की बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक परियोजना बनाकर दिनांक 24/25 मार्च, 1988 को राज्यबाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष इसे प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा निर्माण कार्य हेतु 13.90 लाख की योजना स्वीकृत कर दी है जिसके निर्माण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

*18—श्री विजय सिंह राणा—

[दिनांक 15 फरवरी, 1989 को ता0 प्र0 संख्या 2 द्वारा उत्तरित।]

कर्वी तहसील में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित परियोजनायें

*19—श्री राम सजीवन—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के द्वारा पूछे गये तारां0 प्र0 संख्या 18 के उत्तर में मुख्य मंत्री जी ने बताया था कि बांदा जिले की कर्वी तहसील में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चिल्लीमल पम्प नहर की क्षमता वृद्धि योजना और पयस्वनी नहर परियोजना (अल्टरनेटिव) प्रस्तावित हैं ? यदि हां, तो उन दोनों योजनाओं के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई ? दोनों योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है ? उन पर निर्माण कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जी हां।

चिल्लीमल पम्प नहर की क्षमता वृद्धि परियोजना का प्राक्कलन बना कर केन्द्रीय जल आयोग को भेजा गया था, जहां से समय-समय पर टिप्पणियां प्राप्त हुई। यह परियोजना लगभग छः वर्ष पुरानी दरों पर बनाई गई थी। केन्द्रीय जल आयोग के

वर्तमान नियमों के अनुसार एक वर्ष से अधिक पुरानी परियोजनाओं का परीक्षण बन्द कर दिया जाता है । अतः इस परियोजना की वर्तमान दरों पर पुनरीक्षित कराकर पुनः केन्द्रीय जलायोग को भेजा जायेगा ।

पंसूनी नहर परियोजना केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की गई थी । पंसूनी नदी मध्य प्रदेश से बहकर आती है । इनके पानी के उपयोग पर मध्य प्रदेश ने आपत्ति की है जिसके अनुसार केन्द्रीय जल आयोग ने इस योजना को अन्तर्राज्यीय विवाद के कारण अपनी सूची से निकाल दिया है । इस परियोजना के स्वरूप में आंशिक परिवर्तन कर इसको पंसूनी नहर परियोजना (आल्टरनेटिव) के नाम से बनाया गया है । पंसूनी नदी से प्राप्त जल के आंकड़ों का विस्तृत अध्ययन कराया गया जिससे निष्कर्ष निकला है कि पंसूनी नदी में जल की मात्रा पर्याप्त नहीं है । तद्नुसार इस परियोजना को अव्यवहारिक आंका गया है । मध्य प्रदेश शासन से भी इस पर कोई समझौता होने की आशा नहीं है । इस परियोजना को केन्द्रीय जल आयोग में भेजना निरर्थक है । चिल्लौमल पम्प नहर की क्षमता वृद्धि योजना पर कोई निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है । जैसे ही केन्द्रीय जल आयोग से परियोजना को स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी, निर्माण कार्य कराया जायेगा ।

पंसूनी नहर परियोजना (आल्टरनेटिव) जल के अभाव के कारण अव्यवहारिक है । अतः इस पर निर्माण कार्य संभव नहीं है ।

गाजियाबाद जनपद में स्प्रिट कोटे में वृद्धि

*20—श्री यदुनाथ सिंह, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री शारदानन्द अंचल, श्री मूल चन्द्र, श्री अशोक बाजपेई तथा श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद जनपद में विगत दो वर्षों में कितनी कम्पनियों के स्प्रिट का कोटा बढ़ाया गया तथा यह कोटा बढ़ाने का मापदण्ड एवं आधार क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

गाजियाबाद जनपद में विगत 2 वर्षों में जांच उद्योगों के उत्पादनों में वृद्धि हेतु कोटे की मांग अनुरूप यथा आवश्यक स्प्रिट के कोटे में वृद्धि की गई है ।

अतारांकित प्रश्न

1—श्री मूल चन्द्र—

[छठें सोमवार में अता० प्र० संख्या 163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद गाजियाबाद में अरथला व कैला गांव में सिंचाई विभाग की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

2—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में अरथला गांव में सिंचाई विभाग की कितनी एकड़ जमीन मौके पर खाली पड़ी है व कितनी एकड़ जमीन पर लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है ? उसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं ? और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—]

जनपद गाजियाबाद में अरथला व कैला ग्रामों में सिंचाई विभाग की क्रमशः 21 एकड़ व 5 एकड़ भूमि मौके पर खाली पड़ी है।

ग्राम अरथला में एक एकड़ व ग्राम कैला में 15 एकड़ भूमि पर लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है।

अनधिकृत कब्जे के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

जनपद गाजियाबाद के ग्राम डिकोली की बाल्मीकी बस्ती में विद्युत आपूर्ति की मांग

3—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड पिलना के गांव डिकोली में बाल्मीकि बस्ती में विद्युत आपूर्ति कब से चालू कर दी जायेगी ?

श्रीधरी नरेन्द्र सिंह—

ग्राम डिकोली विकास खण्ड पिलना जनपद मेरठ में है, न कि जनपद गाजियाबाद में। इस ग्राम की बाल्मीकि बस्ती के आवेदकों द्वारा वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करने पर आपूर्ति की जा सकेगी।

अधिशासी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड के अधीन कार्यरत मेहों का इन्क्रमेन्ट तथा सेलेक्शन ग्रेड अवंध रूप से रोका जाना

4—मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड इलाहाबाद के अधीन कार्यरत कितने मेटों की वर्ष 1979 से अब तक न तो इन्क्रीमेन्ट दिया गया और न ही उन्हें सेलेक्शन ग्रेड ही दिया गया है ? इनके इन्क्रीमेन्ट तथा सेलेक्शन ग्रेड अवैध रूप से रोके जाने के लिये कौन उत्तरदायी है उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यह सुविधायें उन्हें कब तक दे दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आगरा की कीठम झील के किनारे बबूल वन्य उत्पादों के कारण जल की पवित्रता एवं क्षमता बनाये रखने की कार्यवाही

5—श्री बदन सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा की कीठम झील (सूर्य सरोवर) का 50 प्रतिशत भाग बबूल व सरफता वन्य उत्पाद आदि से आच्छादित हो गयी है ? यदि हां, तो इस सरोवर जल की पवित्रता और भण्डारण क्षमता को सुरक्षित बनाये रखने के लिये विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं।

कीठम झील के किनारे पूर्ण जल स्तर के नीचे लगभग 4 प्रतिशत भाग ही ऐसा है जहां बबूल वन्य उत्पाद आदि हैं। इन वन्य उत्पादों के कारण झील के जल की पवित्रता एवं क्षमता प्रभावित नहीं होती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम लालापुर बस्ती का जिला विद्युत सलाहकार समिति द्वारा विद्युतीकरण कराने की मांग

6—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम सहाय वर्मा, प्रधान, ग्राम सभा लालापुर अमरेजपुर, ब्लाक व तहसील टाण्डा, फैजाबाद के नाम श्री जे0 एन0 तिवारी, निजी सचिव, कृषि मन्त्री उत्तर प्रदेश विनांक 17 जून, 1988 पत्रांक 2935/ए0 एम0/1988 द्वारा कोई पत्र लालापुर बस्ती का विद्युतीकरण किये जाने सम्बन्धित भेजा गया है ? तथा सम्बन्धित मामले में कार्यवाही किये जाने हेतु जिलाधिकारी, फैजाबाद को निर्देश दिया गया है ? यदि हां, तो भेजे गये पत्र के अनुसार अब तक विद्युतीकरण न किये जाने का क्या कारण रहा है और कब तक विद्युतीकरण करा दिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

ग्राम लालापुर बस्ती का जिला विद्युत् सलाहकार समिति द्वारा चयन न किये जाने के कारण विद्युतीकरण नहीं हो सका है।

7—श्री हनुमान प्रसाद कुरील—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड पिपराइच के ग्राम यादवपुर में हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण हेतु कृत कार्यवाही

8—संयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या ऊर्जा मन्त्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड पिपराइच के ग्राम यादवपुर में वर्ष 1985-86 में विद्युतीकरण कराया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि उक्तोक्त ग्राम की हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? क्या सरकार यादवपुर की हरिजन बस्ती में शीघ्र विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

संसाधनों की कमी के कारण ग्राम की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण नहीं हो सका।

विद्युतीकरण की कार्यवाही अब प्रगति पर है। खम्भे खड़े कर दिये गये हैं। तार उपलब्ध होते ही विद्युतीकरण यथाशीघ्र कर दिया जायेगा।

वर्ष 1985-86 में जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड पिपराइच व सरदार नगर के ग्रामों में विद्युतीकरण

9—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड, पिपराइच व सरदार नगर के ग्रामों में विद्युतीकरण हेतु वर्ष 1985-86 में ग्रामों की सूची विधायक क्षेत्र पिपराइच द्वारा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्, गोरखपुर को 4-6-85 को दी गयी थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और सूची के अनुसार किन-किन ग्रामों में वर्ष 1985-86 में विद्युतीकरण कराया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

वर्ष 1985-86 में निम्न ग्रामों का विद्युतीकरण कराया गया जो प्रत्येक विकास खण्ड के लिये निर्धारित चार ग्रामों के लक्ष्य से अधिक था।

1—विकास खण्ड पिपराइच—

(1) हरखापुर
(2) अगया
(3) रामनगर करजहां
(4) यादोपुर
(5) चिलबिलवा
(6) उनौला द्वितीय
(7) करमौल
(8) सिहौली
(9) महराजी
(10) जगपुर
(11) रिठिया
(12) करमैना
(13) बलवाखुर्द
(14) महुवा खुर्द

2—विकास खण्ड सरदार नगर—

(1) बालखुर्द
(2) भगवानपुर
(3) गौनेर

(4) डुमरी खुर्द
(5) चौरा
(6) लक्ष्मनपुर
(7) बरहिया
(8) रघवापुर
(9) रामनगर
(10) नरही

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1986-87 में जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड, पिपराइच एवं सरदार नगर के ग्रामों में विद्युतीकरण

10—श्री संयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड पिपराइच एवं सरदार नगर के ग्रामों में विद्युतीकरण हेतु वर्ष 1986-87 मे ग्रामों की सूची विधायक पिपराईच द्वारा अधिशासी अभियन्ता विद्युत् वितरण खण्ड द्वितीय, उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद्, गोरखपुर को 9-4-86 को दी गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और सूची में दिये गये ग्रामों में से किन-किन ग्रामों में 1986-87 में विद्युतीकरण कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

सूची में दिये गये ग्रामों में से निम्न ग्रामों का विद्युतीकरण वर्ष 1986-87 में कराया गया जो कि प्रत्येक विकास खण्ड के लिये निर्धारित तीन ग्रामों के लक्ष्य से अधिक था :

1—विकास खण्ड पिपराइच—

(1) कुसम्ही टोला सेमरहिया
(2) माड़ापार
(3) मुगलपुरवा
(4) भंसहा

2—विकास खण्ड सरदार नगर—

(1) भानपुर
(2) रामपुर टोला रकबा
(3) मोहम्मदपुर
(4) मोतीपाकर

(5) इब्राहीमपुर
(6) मटकांव
(7) जोधपुर
(8) मठिया खुर्द
(9) बैकुंठपुर
(10) खैराबाद

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रहीम उल्लाह, फायरमैन, विद्युत गृह, मैनपुरी की सेवाकाल में हुई मृत्यु के उपरान्त आर्थिक देयों का भुगतान

11--श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के दूसरे शुक्रवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 73 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य लेखाधिकारी, लखनऊ द्वारा स्वर्गीय श्री रहीम उल्लाह की पत्नी श्रीमती कमरुन्निसा को पेंशन भुगतान का आदेश पत्र सं0 4736/सी0 ए0 ओ0/1430, दिनांक 24-10-86 द्वारा भुगतान के आदेश के बावजूद भी 22-3-77 से 31-12-85 तक का पेंशन भुगतान रोक लिया गया है एवं ग्रेच्युटी, सामूहिक बीमा का भुगतान क्यों नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार 22-3-77 से 31-12-85 तक पेंशन एवं ग्रेच्युटी, सामूहिक बीमा की धनराशि का तत्काल भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

स्वर्गीय श्री रहीम उल्लाह की पत्नी श्रीमती कमरुन्निसा को पारिवारिक पेंशन के भुगतान आदेश सं0 4736/सी0 ए0 ओ0/1430 दिनांक 24-10-86 से मुख्य लेखाधिकारी, लखनऊ द्वारा निर्गत आदेश में दिनांक 22-3-77 से 31-12-85 तक को पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान रोक दिया गया था परन्तु अब उप मुख्य लेखाधिकारी, गोरखपुर क्षेत्र के आदेश सं0 43229/अ0ले0/गोरखपुर/पी-4, दिनांक 1 नवम्बर, 1988 द्वारा रु0 2879·80 जो अधिक भुगतान हो गया था, मृतक की पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी के अवशेषों से समायोजित करके भुगतान के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

जहां तक सामूहिक बीमा की धनराशि के भुगतान का प्रश्न है, उसका भुगतान 8537·79 रु0 एवं 3543·98 क्रमशः चेक सं0 661297, दिनांक 2-6-81, तथा सं0 650537, दिनांक 15-6-87 द्वारा कर दिया गया है ।

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, भुगतान के आदेश जारी कर दिये गये हैं और भुगतान का शीघ्रातिशीघ्र प्रयास किया जा रहा है ।

जनपद गोरखपुर के ग्रामों के किसानों से सिरसिया ड्रेन हेतु ली गयी भूमि का मुआवजा

12--श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश--

क्या सिंचाई मन्त्री को यह जानकारी है कि जनपद गोरखपुर में सिरसिया ड्रेन जो आठ वर्ष पूर्व खोदी गयी थी, के लिये ली गयी भूमि का मुआवजा अभी तक ग्राम

बरगदहो, रामपुर, हाफिज नगर, बूडा डीह, बेलवा रामपुर, इछहीया ज0 मोराहो ज0 अहमद अली शाह के किसानों को नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक मुआवजा दिला दिया जायेगा ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

सिरसिया ड्रेन की खुदाई में प्रश्न में उल्लिखित ग्रामों में से ग्राम जंगल अहमद शाह की कोई भूमि नहीं ली गयी है । शेष सभी ग्रामों में कुछकी की भूमि ली गयी है परन्तु इन ग्रामों की भूमि का मुआवजा भूमि अध्याप्ति कार्यवाही पूर्ण न हो सकने के कारण अभी तक वितरित नहीं किया जा सका है। प्रश्नगत ग्रामों में भूमि अध्याप्ति हेतु धारा 6(1) का गजट प्रकाशन दिनांक 10 दिसम्बर, 1988 को हो चुका है। धारा 9(1) व 9(3) के अन्तर्गत आपत्ति सुनवाई हेतु दिनांक 7 मार्च, 1989 नियत है ।

धारा 9(1) व 9(3) में आपत्तियों के निस्तारण पश्चात् भू-प्रतिकर वितरित किया जायगा ।

जनपद बाराबंकी में ग्राम देवकरिया से घरोली तक ड्रेन का निर्माण

13—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी तहसील फतेहपुर में ग्राम देवकरिया से ग्राम घरोली तक पिछले तीन वर्षों में किसी सारदा की खुदाई की गयी है ? यदि हां, तो उस पर कितना काम हुआ और कितना धन खर्च हुआ ? क्या यह सही है कि काम अधूरा पड़ा हुआ है जिससे ग्राम वासियों को बड़ी कठिनाई हो रही है ? यदि हां तो पूरा काम कब तक करा दिया जायगा ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जी हां । 12.8 कि0मी0 लम्बी देवकरिया ड्रेन का निर्माण किया गया है । ड्रेन देवकरिया ग्राम से आरम्भ होकर ग्राम घीसार घरोली [इत्यादि होते हुये कल्यानी नदी में गिरती है ।

मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है । 11 पुल तथा एक सर्वीफन में से 7 पुल निर्मित हो चुके है। इन कार्यों पर अब तक कुल रु0 20,55,427.06 रुपये *व्यय किया गया है ।

जी नहीं । नाले की खुदायी पूर्ण हो चुकी है तथा प्रश्नगत क्षेत्र को राहत मिली है । शेष कार्य शीघ्र पूरा कराने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

जनपद मिर्जापुर विकास खंड के उर्जीकृत ग्रामों में निःशुल्क रोशनी की व्यवस्था

14—श्री विजय सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के म्योरपुर बभनी और 'दुद्धी विकास खंड के उर्जीकृत ग्रामों में से कितने ग्रामों में निःशुल्क रोशनी की व्यवस्था की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

विकास खंड म्योरपुर के 38, बभनी के 17 तथा दुद्धी के 44 ऊर्जीकृत ग्रामों में निःशुल्क रोशनी की व्यवस्था की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत वितरण खंड बाराबंकी में ग्रामों तथा हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

15—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत् वितरण खंड बाराबंकी में कितने ग्रामों तथा हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण वर्ष 1986-87 तथा वर्ष 1988 में किया गया है ? क्या यह सही है कि जितनी हरिजन बस्ती व ग्राम विद्युतीकृत बताये गये हैं तथा जो भुगतान किया गया है उनका मात्र पच्चीस प्रतिशत ही कार्य हुआ है ? क्या मन्त्री क्यों एक प्रशासनिक अधिकारी को केस-रेस में स्टीकेट भेजकर इन ग्रामों का मौके पर किये गये कार्यों का सत्यापन करायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

विद्युत वितरण खंड बाराबंकी में वर्ष 1985-86 से वर्ष 1988-89 तक एस0 टी0 वेस द्वारा विद्युतीकृत ग्रामों व हरिजन बस्तियों की संख्या निम्नवत् है :—

वर्ष	ग्राम	हरिजन बस्ती
1985-86	62	62
1986-87	67	67
1987-88	50	50
1988-89	15	16

(फरवरी 1989 तक)

जी नहीं ।

आवश्यकता नहीं है ।

विद्युत् वितरण सर्किल, बस्ती के थानों में विद्युत् कनेक्शन

16—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् विवरण सर्किल, बस्ती में कुल कितने थानों के नाम विद्युत् कनेक्शन है और उनका अनुबन्धित लोड प्रति थाना कि0 वा0 क्या है ? वर्ष 1988 के जनवरी से दिसम्बर 1988 तक कुल कितने यूनिट माहवार खपत बिजली की उन थानों में आयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विद्युत् वितरण खण्ड, बाराबंकी में निजी एवं सरकारी नलकूपों पर सेंपुल मीटर लगाना एवं जांच की माप

17—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड बाराबंकी में निजी एवं सरकारी नलकूपों पर कुल कितने सेंपुल मीटर लगे हैं ? उनकी वर्ष 1986-87

में माहवार क्या रीडिंग रही और कितने यूनिट सरकारी व निजी नलकूपों के नाम सी0 एस0 3 एवं सी0 एस0 4 में प्रति हा0 पा0 प्रतिमाह दर्शाया गया है ? विद्युत् खपत को निजी और सरकारी नलकूपों के नाम दर्शाया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस मामले की जांच करवायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड, पिपराइच के ग्राम राउतपुर में विद्युत् आपूर्ति की मांग

18—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या ऊर्जा मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद गोरखपुर विकास खण्ड पिपराइच के ग्राम राउतपुर में अगस्त 1987 में विद्युतीकरण किया गया परन्तु बिजली जलने के तीन माह बाद ट्रांसफार्मर से तार निकाल कर ग्राम को विद्युत् आपूर्ति बन्द कर दी गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार ट्रांसफार्मर के तार को जुड़वा कर ग्राम में बिजली पहुंचायगी ? यदि हां तो कब तक ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं ।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड, पिपराईच के ग्राम राउतपुर को विद्युतीकरण कार्य अवरोध के कारण संशोधित किया गया है, संशोधित कार्य को समाप्ति संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

19—श्री मूल चन्द्र—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जिला गाजियाबाद, ग्राम गनौली विकास खण्ड, लोनी में विद्युत् कनेक्शन हेतु कृत कार्यवाही

20—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड लेकड़ा के गांव गनोली के कितने लोगों ने लगभग एक साल पहले लाइट के कनेक्शन के लिए इस्टीमेट जमा कर दिया है और अभी तक उन्हे कनेक्शन न दिये जाने का क्या कारण है ? इस कार्य में विलम्ब के लिए कौन दोषी है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

ग्राम गनौली, विकास खण्ड लोनी, जिला गाजियाबाद के 27 व्यक्तियों ने माह नवम्बर 1987 में बिजली कनेक्शन लेने के लिए पैसा जमा किया था । गांव में लगी लाईन से कनेक्शन देना सम्भव नहीं था । लाईन के विस्तार के लिये खम्भें व सम्बन्धित सामान के प्रबन्ध में हुये विलम्ब के कारण कनेक्शन नहीं दिये जा सके । सामान का प्रबन्ध करा लिया गया है तथा शीघ्र ही कनेक्शन दे दिए जायेंगे ।

जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड खेकड़ा के गांव चिलौड़ी में विद्युत् आपूर्ति

21—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की नीति के तहत जनपद-गाजियाबाद के विकास खण्ड, खेकड़ा के गांव चिलौड़ी में कितने घन्टें लाइट फैन के लिए टू-फेस सप्लाई तथा पावर के लिए कितने घन्टें सप्लाई दी जाती है ? चिरौड़ी सब-स्टेशन से विद्युत् की नियमित आपूर्ति न होने के क्या कारण है इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जनपद गाजियाबाद के विकास खंड खेकड़ा के गांव चिरौड़ी में विद्युत् की आपूर्ति निम्न प्रकार है :

(क) तीन फेस सप्लाई—प्रतिदिन 10 घंटे (पावर के लिए) ।

(ख) दो फेस (लाइट फैन के लिए)

(1) प्रतिदिन सायंकाल 6·00 बजे से रात्रि 10·00 बजे तक यदि पावर के लिये तीन फेस विद्युत रात्रि के समय उपलब्ध कराई जानी है ।

(2) प्रतिदिन सायंकाल 6·00 बजे से सम्पूर्ण रात्रि के लिए यदि पावर के लिये तीन फेस विद्युत दिन के समय उपलब्ध कराई जानी है ।

चिरौड़ी विद्युत सब स्टेशन से विद्युत की साधारणतः औसत आपूर्ति प्रतिदिन नियमानुसार रही है । केवल मास दिसम्बर, 1988 जनवरी व फरवरी, 1989 में क्रमशः 3, 4 तथा 5 दिन तकनीकी दोष के कारण विद्युत आपूर्ति में व्यवधान रहा इस व्यवधान के लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड लोनी में किसानों तथा औद्योगिक क्षेत्र पर विद्युत् बकाये की धनराशि

22—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड लोनी में 1 दिसम्बर, 1988 को कितना रुपया विद्युत विभाग को विद्युत मूल्य को किसानों पर बकाया था तथा कितना रुपया विद्युत् विभाग का औद्योगिक क्षेत्र पर बकाया था ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

1 दिसम्बर, 1988 को जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड लोनी में किसानों पर विद्युत का बकाया 7·32 लाख रु0 तथा औद्योगिक क्षेत्र पर बकाया 2·46 लाख रु0 था ।

खाद्य तथा रसद विभाग के आपूर्ति कर्मचारियों का स्थानान्तरण

23--श्री हर्ष वर्धन--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मण्डल स्तर पर आपूर्ति कर्मचारियों के स्थानान्तरण के अधिकार मंडलायुक्तों से हटाकर सहायक खाद्य आयुक्तों को दिये जाने का क्या कारण ?

श्री कुंअर सिंह--

खाद्य तथा रसद विभाग के आपूर्ति कर्मचारियों के मंडल स्तर पर एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण किये जाने का अधिकार मंडलायुक्तों से हटा कर संबंधित सहायक आयुक्तों (जो खाद्य विभाग के श्रेणी-1 के विभागीय अधिकारी हैं) को इसलिये दिया गया है ताकि खाद्य विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों पर इनका नियंत्रण प्रभावी हो सके ।

मिर्जापुर अधिशासी अभियन्ता श्री मदन बिहारी तिवारी, नहर प्रखण्ड के विरुद्ध आरोपों की जांच

24--श्री हर्षवर्धन--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, श्री मदन बिहारी तिवारी, नहर प्रखण्ड, मिर्जापुर के विरुद्ध कतिपय आरोपों की जांच विभाग द्वारा करायी जा रही है ? यदि हां, तो उक्त आरोप क्या हैं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हाँ । श्री मदन बिहारी तिवारी, प्रभारी सहायक अभियंता के विरुद्ध कतिपय आरोपों की विभागीय जांच कराई जा रही है ।

इनके विरुद्ध जो आरोप हैं, जो अपने अधीनस्थ सहायक अभियंता के नियम विरुद्ध कार्यों पर आपत्ति न करने, उनके द्वारा नियम विरुद्ध कार्यों से संबंधित भुगतान करते समय उस पर आपत्ति नहीं करने अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार से जुर्माने की धनराशि नहीं काटे जाने अनुबंध संख्या 1, 2, 3 तथा 5/79-80 में कार्य की मात्रा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन प्राप्त किये बिना 20 प्रतिशत अधिक करके उसका भुगतान करना, सफाई के कार्यों में शासन को 5,612 रु0 की हानि पहुंचाने अपने अधीनस्थ सहायक अभियन्ता के साथ दुरभि संधि करके शासकीय धन का गबन करने सफाई के संबंध में फर्जी भुगतान को छिपाते हुए जांच समिति के समक्ष उसे प्रस्तुत नहीं करने, लाट नम्बर-11 से संबंधित कार्य को अनियमित रूप से कराने के बावजूद भी अपने अधीनस्थ सहायक अभियंता की कथित अनियमितताओं पर आपत्ति न करते, अनुबन्ध संख्या 2/79-80 की अनुबंधित धनराशि एवं भुगतान की धनराशि की भिन्नता की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं करने तथा अनुबंध संख्या 1/79-80 व अनुबन्ध संख्या 2/79-80 के अधीन विलंब से कार्य कराने के लिये ठेकेदार को समय बढ़ न लगाकर 8,300 रु0 की धनराशि का अनुचित लाभ ठेकेदार को पहुंचाने के बारे में है ।

शासनादेश संख्या 6571/88-23-सि-10-82/81, दिनांक 17 नवम्बर, 1988 द्वारा सी0 सी0 ए0 एक्ट के अधीन श्री दर्शन सिंह, मुख्य अभियंता (सरकू), सिंचाई विभाग को उपरोक्त आरोपों की जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है ।

बाराबंकी विद्युत् वितरण खंड में थानों में विद्युत् कनेक्शन

25--श्री अकबर हुसैन बाबर--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् विवरण खंड, बाराबंकी में कुल कितने थानों के कनेक्शन हैं ? उनका अनुबंधित लोड कि0 वा0 में क्या है और माहवार वर्ष 1987 तथा 88 का प्रति थाने के नाम कितने यूनिट खपत आई और कितना भुगतान प्राप्त किया गया है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिंचाई विभाग में सिविल अवर अभियन्ताओं से सहायक अभियन्ताओं के पद पर प्रोन्नति

26--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग में सिविल अवर अभियन्ताओं से सहायक अभियन्ताओं के पद पर प्रोन्नति करते समय शासनादेशानुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का कोटा आरक्षण नीति के अनुसार पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वर्तमान समय में पदोन्नति के अवसर पर उक्त आरक्षण को अग्रेनीत किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लेकपति त्रिपाठी--

जी नहीं । इस वर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण शासनादेश द्वारा निर्धारित आरक्षण पूर्ण नहीं किया जा सका । आरक्षित रिक्तियों को नियमानुसार अग्रेनीत किया जायेगा ।

बाराबंकी, विद्युत वितरण खण्ड में टेण्डर एवं कोटेशन के आधार पर क्रय किए सामान के सत्यापन की व्यवस्था

27--अकबर हुसैन बाबर--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण खंड बाराबंकी में वर्ष 1986, 1987 व वर्ष 1988 में कुल कितने सामानों का क्रय टेण्डर अथवा कोटेशन के आधार पर किया गया है ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि टेण्डरों एवं कोटेशनों के आधार पर कागजी खाना पूर्ति कर सामान आपूर्ति दिखाकर चेक काट दिए गए और विभाग को भारी धोखा दिया गया ? क्या मंत्री जी क्रय किए गये सामानों को प्रशासनिक अधिकारी की देख रेख में एक टीम भेजकर मेजरमेंट बुक के आधार पर मौके पर सत्यापित करवाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

विद्युत वितरण खंड बाराबंकी में वर्ष 1986, 1987 व 1988 में निम्न मूल्य का सामान टेण्डर एवं कोटेशन के आधार पर क्रय किया गया :--

वर्ष	टेण्डर के आधार पर	कोटेशन के आधार पर
	रु0	रु0
1986	49,590,00	4,52,186.23
1987	शून्य	1,68,598.90
1988	शून्य	2,35,209.97

जो नहीं। प्रत्येक क्रय किये गये सामान का विधिवत मेजरमेन्ट करके पेमेन्ट किया गया।

आवश्यकता नहीं है।

नलकूप निगम में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को उच्च पदों पर नियुक्त न करने के निर्देश एवं प्रतिनियुक्ति का व्यवस्था कम करने की मांग

28—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय वेतन आयोग ने नलकूप निगम में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को उच्च पदों पर नियुक्त न करने के निर्देश दिए थे तथा यह अपेक्षा की थी कि प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था को सामान्यतया कम किया जाय तथा अधिकतम प्रतिनियुक्ति की अवधि 5 वर्ष हो ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि नलकूप निगम द्वारा द्वितीय वेतन आयोग तथा तृतीय वेतन समिति के उपरोक्त निर्देशों और संस्तुतियों का पालन नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि नलकूप निगम में अधिशासी अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता के रूप में सिंचाई विभाग के 3 ऐसे वरिष्ठ अधिकारी हैं जो 5 वर्षों से अधिक समय से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वितीय वेतन आयोग तथा तृतीय वेतन समिति के निर्देशों/संस्तुतियों के अनुरूप उन्हें मूल विभाग में वापस करने के निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

उन्नाव जनपद में मौरावां के बी0 के0 इण्टर कालेज के निकट स्थित शराब की दुकान को हटाने हेतु दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही

29—श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद के कस्बा मौरावां में बी0 के0 इण्टर कालेज के निकट स्थित शराब के ठेके को हटाये जाने के सम्बन्ध

में टाउन एरिया मौरावां के चेयरमैन व अन्य कई सदस्यों का सचिव, आबकारी को सम्बोधित पत्र तथा मौरावां व्यापारी संघ के अध्यक्ष, करुणा कान्त दीक्षित का इसी सम्बन्ध का पत्र प्रश्नकर्ता के कवरिंग पत्र सहित माह जनवरी, 1989 के प्रथम सप्ताह में सचिव आबकारी को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां । जांच कराने पर पाया गया कि मौरावां देशी शराब की दुकान डी0 के0 इण्टर कालेज से लगभग 250 मीटर की दूरी पर स्थित है और दुकान का परिसर कालेज के सामने नहीं है । इसी परिसर में पिछले 4 वर्षों से यह दुकान चल रही है ।

जनपद उन्नाव में मौरावां एस0 एम0 आई0 क्षेत्र में चीनी आम जनता को उपलब्ध कराने की मांग

30—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र पुरवा उन्नाव के मौरावां एस0 एम0 आई0 क्षेत्र के कोटेदारों/सस्ते गल्ले के विक्रेताओं को माह दिसम्बर, 1988 में शक्कर नहीं दी गयी ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? आम जनता को शक्कर न मिल सकने के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हुकुम सिंह—

जनपद उन्नाव के मौरावां एस0 एम0 आई0 क्षेत्र के 22 कोटेदारों में से केवल 6 कोटेदारों को दिनांक 30 दिसम्बर, 1988 को 100 कुन्टल चीनी ही उपलब्ध करायी जा सकी ।

शेष 16 कोटेदारों को इस कारण चीनी उपलब्ध नहीं करायी जा सकी क्योंकि लक्ष्मीपुर जनपद की विलरायां चीनी मिल से आवंटित चीनी गुण-वत्ता में अत्यन्त खराब होने के कारण उक्त चीनी मिल से चीनी लोड नहीं करायी गयी ।

उपरोक्त उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर, हथौड़ा बुजुर्ग स्थित चार ईंट भट्ठों के लाइसेंसों का नवीनीकरण

31—श्री नवाब सिकन्दर अली खां—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हथौड़ा बुजुर्ग शाहजहांपुर स्थित ईंट के भट्ठों क्रमशः (1) कृष्णा ब्रिक फील्ड, (2) प्रीति मेहरोत्रा ब्रिक फील्ड, (3) श्री राम खन्ना ब्रिक फील्ड, (4) आशीष कपूर ब्रिक फील्ड के लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क के जमा होने के बावजूद, उपरोक्त वर्णित चार भट्ठों के लाइसेन्सों का नवीनीकरण किया गया ? यदि नहीं, तो वर्षों से कार्यरत भट्ठों के लाइसेन्सों के नवीनीकरण न करने के क्या कारण हैं ?

श्री हुकुम सिंह—

हथौड़ा बुजुर्ग शाहजहांपुर स्थित प्रश्नगत चार ईंट भट्ठे वालों में से केवल मेसर्स कृष्णा ब्रिक फील्ड तथा श्री राम खन्ना ब्रिक फील्ड ने उत्तर प्रदेश कोयला नियंत्रण आदेश, 1977 के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त किया था तथा उसके नवीनीकरण हेतु शुल्क

जमा किया था। मेसर्स कृष्णा ब्रिक फील्ड के लाइसेन्स का नियमानुसार नवीनीकरण किया गया परन्तु औपचारिकतायें पूरी न करने के कारण श्री राम खड्डा ब्रिक फील्ड के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जा सका। मेसर्स प्रीति मेहरोत्रा ब्रिक फील्ड तथा आशीष कपूर ब्रिक फील्ड ने उक्त आदेश के अन्तर्गत लाइसेन्स ही प्राप्त नहीं किया था अतः उसके नवीनीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

अधिक्षण अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता कार्यालय क्रमशः बांदा एवं करवी में खोलने का प्रस्ताव

32—श्री राम सजीवन—

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि बांदा जिले में विद्युत् वितरण की समुचित व्यवस्था हेतु एक अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय बांदा में व अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय करवी में खोले जाने हेतु कोई प्रस्ताव विगत छः महीने पूर्व स्वीकृत किया जा चुका है ? यदि हां, तो उसके खोलने हेतु कार्यवाही और अधिकारियों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई ? इसके विलम्ब के क्या कारण हैं ? उक्त कार्यालयों के मण्डल एवं खण्ड कब तक खोल दिए जायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ललितपुर जिले के ग्राम चौसा डूब क्षेत्र राजघाट बांध के किसानों की जमीन आदि के मुआवजे की भुगतान की मांग

33—श्री रामसजीवन—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ललितपुर जिले के ग्राम चौसा डूब क्षेत्र राजघाट बांध के किसानों की जमीनों आदि के मुआवजे के भुगतान अभी तक नहीं किये गये ? क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता ने मुआवजा देने के लिये शासन को 1 अगस्त, 1988 को पत्र लिखा था जिसकी प्रतिलिपि संलग्नक सहित मुख्य अभियन्ता (बुन्देलखण्ड), सिंचाई विभाग, उ0 प्र0, झांसी के पास 30 सितम्बर, 1988 को श्री ए0 के0 दुग्गल, उप-सचिव, सिंचाई अनुभाग-3 द्वारा भेजी गयी थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाई न किये जाने का क्या कारण है ? किसानों को मुआवजा कब तक दिला दिया जायगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड कासिमाबाद में विद्युत् सब केन्द्र के निर्माण की मांग

34—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड कासिमाबाद में 132 के0 वी0 का विद्युत् सब स्टेशन की स्वीकृति किस वर्ष दी गई थी तथा इस पर कितना धन व्यय करने का प्रावधान था ? क्या सरकार की जानकारी

में हैं कि काफी समय के व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अब तक उक्त सब स्टेशन का निर्माण नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन से लोग जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड कासिमाबाद में 132 के0 वी0 सब-स्टेशन के निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा जुलाई, 1987 के अन्त में स्वीकृति दी गयी थी ।

इसके निर्माण पर 174 लाख रुपये का प्राविधान किया गया था ।

उपरोक्त केन्द्र का निर्माण-कार्य संसाधनों की उपलब्धता न हो के कारण अभी तक नहीं किया जा सका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा के ग्राम रिठोरा के श्री डालचन्द्र के जानवरों की बिजली तारों से करेन्ट लगने से मृत्यु के फलस्वरूप अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति

35—श्री बदन सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि डाल चन्द्र पुत्र सही राम, निवासी ग्राम रिठोरा, थाना अकोला, जनपद आगरा की 3 कीमती गर्भवती भैंसों की मृत्यु टूटे हुए विद्युत् तारों में करेन्ट आ जाने के कारण 15 मई, 1986 को ग्राम रिठोरा में हो गयी थी ? यदि हां, तो उन भैंसों का मुआवजा उनके स्वामी को अभी तक न मिलने का क्या कारण है ? क्या यह भी सही है कि इन भैंसों के मुआवजों से सम्बन्धित मुख्य अभियंता क्षेत्र आगरा क्षेत्र के पत्र संख्या 272, दिनांक 15 जून, 1988, पत्र सं0 694, दिनांक 25 मई, 1988 पत्रांक सं0 1047, दिनांक 27 जुलाई, 1988, पत्र सं0 1235, दिनांक 31 अगस्त, 1988 और पत्र सं0 1495 दिनांक 11 नवम्बर, 1988, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्, लखनऊ को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इन पत्रों पर अभी तक कोई भी प्रभावी कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

श्री डालचन्द पुत्र श्री सहीराम, निवासी ग्राम रिठोरा, थाना मलपुरा, जिला आगरा की दो भैंसों एवं एक पड़िया की घातक विद्युत् दुर्घटना के फलस्वरूप उनको रु0 11,000 (ग्यारह हजार रुपये मात्र) का अनुग्रह अनुदान परिषद् द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है ।

जनपद गाजियाबाद में मोहन मीकिन्स द्वारा सिंचाई विभाग की जमीन को अनाधिकृत रूप से प्रयोग में लाने पर वसूली

36—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में मोहन मीकिन्स द्वारा 1960 से लगातार सिंचाई विभाग की लगभग 30 एकड़ जमीन को अनधिकृत

रूप से प्रयोग में लाया जा रहा है ? क्या सरकार को इसके बदले में कोई भुगतान मिलता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जी नहीं । वर्ष 1960 से सिंचाई विभाग की भूमि का प्रयोग मोहन मिकिन्स द्वारा लगातार नहीं किया जा रहा है । वर्ष 1976 से 1984 तक 4'85 एकड़ भूमि में मेसर्स मोहन मिकिन्स ब्रेवरीज का उपवाह एकत्रित हो गया था ।

जी हां । उपरोक्त अवधि में मोहन मिकिन्स से रु0 14,550 की वसूली की जानी थी जिसके विरुद्ध 905'50 रुपये का भुगतान प्राप्त हो चुका है व शेष रु0 6,644'50 की वसूली की कार्यवाही चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मेरठ की जमनपूर्वी नहर के कोतवालपुर आदि राजबाहों की सफाई

37—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ की नहर जमनपूर्वी के कोतवालपुर, सरौली, फिरोजपुर पसोन्डा, डोला, मीरापुर और बड़ौत के राजबाहों की दिसम्बर, 1986 तक सफाई न कराने का क्या कारण है ? इसके लिये कौन अधिकारी दोषी हैं ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

पूर्वी यमुना नहर प्रणाली के कोतवालपुर (जनपद गाजियाबाद) सरौली (जनपद गाजियाबाद व मेरठ), फिरोजपुर, पसौडा (माइनर राजबाहा नहीं—जनपद गाजियाबाद) डोला व मीरापुर राजबाहों की कुल लम्बाई 76'53 किमी0 है जिसमें से दिसम्बर, 1988 तक 57'61 किमी0 की लम्बाई में सफाई हो गयी थी । बड़ौत नाम का राजबाहा या नहर नहीं है । शेष लम्बाई में सफाई न होने का कारण यह रहा कि पूर्वी यमुना नहर में रोस्टर में अनुमानित जल से अधिक जल उपलब्ध हो जाने के कारण यह राजबाहे रोस्टर से अधिक चले अतः सफाई हेतु कम समय मिला ।

कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत मोहन मीकिन्स द्वारा हिण्डन नदी से प्रतिदिन पानी लेने के बिलों का भुगतान

38—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत मोहन मीकिन्स द्वारा हिण्डन नदी से प्रति दिन कितना पानी लिया जाता है और उसके बदले में कितना रुपया सरकार को दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत मोहन मिकिन्स द्वारा हिण्डन नदी से वर्ष 1985 से 1987 तक के बीच प्रतिदिन औसतन 830570 गैलन पानी लिया गया है जिसमें से फर्म ने उपरोक्त अवधि में औसतन 228740 गैलन पानी प्रतिदिन हिण्डन नदी में वापिस किया है ।

वर्ष 1985 से वर्ष 1987 की अवधि में उपरोक्त मात्रा जल के लिये फर्म के विरुद्ध विभाग द्वारा रु0 1,49,556 के बिल भेजे गये जिसका पूर्ण भुगतान फर्म द्वारा किया जा चुका है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद गाजियाबाद, थाना लोनी की चौकी बार्डर के पास नहर जमनापूर्वी पर अनाधिकृत रूप से बने मकान को हटाने हेतु कृत कार्यवाही

39—श्री रिछपाल सिंह बंसल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद, थाना लोनी की चौकी बार्डर के पास नहर जमनापूर्वी पर अनाधिकृत रूप से किस व्यक्ति का मकान बना हुआ है क्या सरकार उसे हटाने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी--

श्री0 सत्यपाल सिंह पुत्र श्री कादमी, गांव गढ़ी का मकान बना हुआ है ।

जी हां, कार्यवाही प्रगति में है ।

सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग को अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, शाहजहांपुर में पदस्थापित करना

40—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री धीरेन्द्र सिंह यादव, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग को शासन के आदेशानुसार इनके विरुद्ध चल रही जांच के कारण इन्हें अकार्यकारी/सम्बद्ध पद पर रखे जाने के आदेश थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उन आदेशों को बिना वापस लिए अथवा समाप्त किये इनको तैनाती कार्यकारी पद पर कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या शासन के पूर्व आदेशों के अनुरूप लम्बित जांच होने के कारण उन्हें पुनः अकार्यकारी पद पर तैनात किये जाने के आदेश सरकार देगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जी हां ।

श्री धीरेन्द्र सिंह यादव को कार्यकारी पद पर तैनात करने सम्बन्धी आदेश जनवरी, 1988 में किए गए थे, किन्तु उक्त आदेशों को संशोधित कर पुनः श्री यादव को अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, शाहजहांपुर में अगस्त, 1988 में पदस्थापित कर दिया गया है, जहां वे दिनांक 5 नवम्बर, 1988 से कार्यरत हैं ।

सिंचाई विभाग के सचिवीय अधिष्ठान में अग्रिम ऋण लेकर भवन निर्मित कर लेने पर भी सरकारी आवासों में रहने वाले कर्मचारियों की संख्या

41—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सि0 वि0 के सचिवीय अधिष्ठान में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भवन निर्माण अग्रिम

ऋण प्राप्त कर भवन निर्मित कर लिए हैं और सरकारी आवासों में रह रहे हैं, जबकि ऋण प्राप्त करने से पूर्व निर्धारित रूप पत्र में उनके द्वारा यह लिख कर दिया गया है कि ऋण लेकर निर्मित किए जाने वाले आवास में वे सपरिवार निवास करेंगे ? यदि हां, तो कर्मचारियों को सरकारी आवास रिक्त करने हेतु नोटिस जारी की गयी ? यदि नहीं, तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रमुख अभियन्ता, कार्यालय, सिंचाई विभाग के अनुसचिवीय अधिष्ठान में पांच कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्होंने भवन निर्माण/क्रय अग्रिम लेते समय निर्धारित प्रपत्र पर लिखित रूप से दिया है कि भवन निर्माण के उपरान्त वे सपरिवार उसी में रहेंगे परन्तु भवन निर्माण के उपरान्त सरकारी आवासों में रह रहे हैं। ऐसे कोई आदेश नहीं हैं जिसके अनुसार भवन निर्माण अग्रिम प्राप्त कर उसके निर्माण/क्रय के उपरान्त उनमें न रह कर सरकारी आवासों में रहना अनियमित हो। शेष प्रश्न नहीं उठते।

अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, आगरा के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

42—श्री बचन सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी कस्बा में गुलस्ता टूरिस्ट बंगलेवस का उद्घाटन करने के समय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, आगरा के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र उन्हें दिया था ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां। उस शिकायती-पत्र पर जांच करायी जा रही है।

जनपद गोरखपुर, विकास खण्ड मटहट के ग्राम सिरसिया में विद्युत तार से हुई दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को सहायता स्वरूप धनराशि का भुगतान

43—श्री सयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर, विकास खण्ड मटहट के ग्राम सिरसिया गढ़ाई उर्फ बरगदही के स्वामीनाथ यादव पुत्र राम नारायण यादव एवं उनकी पत्नी श्रीमती तेतरी देवी की मृत्यु 7 अक्तूबर, 1986 को 11 बजे दिन में विद्युत के तार से छू जाने के कारण हो गई थ ? यदि हां, तो क्या ग्रामवासियों द्वारा 28 सितम्बर, 1986 को मटहट सब स्टेशन पर खम्भा और तार के गिरने की सूचना देने पर भी लाइन नहीं काटी गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी एवं मृतकों के आश्रितों को कोई सहायता देगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

दुर्घटना से पहले किसी ग्रामवासी ने खम्भों के टूटने की कोई शिकायत विद्युत उपकेन्द्र मटहट में दर्ज नहीं करायी थी। दुर्घटना के उपरान्त दिनांक 7 अक्तूबर, 1986 को 17.15 बजे एक ग्रामीण श्री मिठाई लाल यादव द्वारा इसकी सूचना दी गयी थी तथा कर्मचारियों द्वारा इस सूचना पर तुरन्त ही लाइन बन्द कर दी गयी थी।

मृतकों के आश्रितों को तुरन्त अन्तरिम सहायता के रूप में 2,000 रुपया [दिनांक 13 अक्तूबर, 1988 को भुगतान कर दिया गया था ।

आवश्यक पूर्व औपचारिकता पूरा होते ही अनुग्रह राशि उपलब्ध करा दी जायेगी ।

मेडिकल कालेज, गोरखपुर में अधिक क्षमता का ट्रांसफार्मर एवं डुमरी तथा गुलहरिया ग्रामों को विद्युत आपूर्ति की कार्यवाही

44--श्री संतपद आचेद अली सञ्जपोश--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के मेडिकल कालेज सब स्टेशन पर डुमरी फीडर एवं गुलहरिया फीडर का ट्रान्सफार्मर कई माह से जला हुआ है इनके स्थान पर फर्टीलाइजर फीडर से आपूर्ति की जा रही है, और जिन ग्रामों को उपरोक्त फीडर से विद्युत आपूर्ति की जा रही है और फर्टीलाइजर फीडर पर पहले से ही अधिक लोड होने के कारण डुमरी फीडर एवं गुलहरिया फीडर के ग्रामों को विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या ग्रामीणों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार डुमरी एवं गुलहरिया फीडर के जले ट्रान्सफार्मर बदलवाने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी नहीं । मेडिकल कालेज, गोरखपुर के समीप 33 के0 वी0 उपकेन्द्र पर क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर को अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर में बदला जा चुका है और स्विचगियर में भी आवश्यक सुधार करके डुमरी एवं गुलहरिया फीडर से ग्रामों को आपूर्ति उपकेन्द्र से पूर्ववत कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जिले में करवी तहसील के अन्तर्गत ओहन फीडर ठीक कराकर सिंचाई सुविधाएं देने हेतु कथित प्रस्ताव

45--श्री रामसजीवन--

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि बांदा जिले में करवी तहसील के अन्तर्गत ओहन फीडर की बिगड़ी हुई हालत को ठीक कराकर समुचित सुविधाएं देने हेतु कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो अभी तक धन उपलब्ध न कराने तथा सिंचाई सुविधाएं देने में घोर उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद उन्नाव के पुरवा बांध के पुल निर्माण हेतु ग्राम . बेहटा, मजरे कुतुबपुर, उन्नाव के कतिपय निवासियों का पत्र

46--श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड, उन्नाव को प्रश्नकर्ता के दिनांक 25-10-1987 के पत्र के साथ ग्राम बेहटा, मजरे कुतुबपुर, विकास खंड सुमेरपुर, जनपद उन्नाव के निवासियों के हस्ताक्षरों युक्त कोई ऐसा पत्र मिला है जिसमें पुरवा बांध के 37 मी0 5 फर्लांग पर बने पुल फुट ब्रिज के टूट जाने की शिकायत और उसके स्थान पर नया पुल न बनाये जाने की मांग की गयी है ? यदि हां, तो इस पुल का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं, पत्र में पुल बनाने की मांग की गई है ।

इस पुल का निर्माण वर्ष 1989 में कराया जाना प्रस्तावित है ।

फर्रुखाबाद के ग्राम अमृतपुर में विद्युत सब स्टेशन की स्थापना की मांग

47--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के फर्रुखाबाद बदायूं मार्ग पर स्थित विकासशील ग्राम अमृतपुर में प्रस्तावित उद्योगों की सुविधा हेतु एक 33/11 के0 वी0 ए0 के विद्युत सब स्टेशन की स्थापना की जायेगी ? यदि हां, तो उसका स्थल चयन कब तक पूरा करा लिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फर्रुखाबाद के विद्युत वितरण खंड, फतेहगढ़ व कन्नौज में क्षतग्रस्त ट्रांसफर्मरों की संख्या व बदलने की कार्यवाही

48--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के विद्युत वितरण खंड फतेहगढ़ व कन्नौज के ग्रामीण क्षेत्र में कुल कितने और किस-किस प्रकार के ट्रांसफर्मर 30 दिसम्बर, 1988 तक खराब थे ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अपनी घोषणानुसार किसानों को बेहतर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करने की दृष्टि से 31 दिसम्बर, 1988 तक उपर्युक्त वितरण खंडों में कितने ट्रांसफार्मरों को बदल दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जनपद फर्रुखाबाद के विद्युत वितरण खंड, फतेहगढ़ व कन्नौज के अन्तर्गत दिनांक 31-12-1988 को विभिन्न क्षमताओं के क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों की संख्या निम्नवत् थी :—

क्षमता	क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों की संख्या		
के0 वी0 ए0	वि0 वि0 खंड, फतेहगढ़	वि0 वि0 खंड, कन्नौज	कुल
1	2	3	4
25	8	11	19
63	7	6	13
100	4	6	10
160	1	2	3
250	..	1	1
कुल	20	26	46

दिनांक 1-4-1988 से 31-12-1988 तक विद्युत वितरण खंड, फतेहगढ़ में 108 तथा विद्युत वितरण खंड, कन्नौज में 113 ट्रांसफार्मरों को बदल दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत वितरण खण्ड, फतेहगढ़ में स्पेयर ट्रांसफार्मर्स की व्यवस्था की मांग न होने से विद्युत आपूर्ति में बाधा

49—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या ऊर्जा मन्त्री को यह जानकारी है कि विद्युत वितरण खण्ड, फतेहगढ़ में अतिरिक्त पावर व वितरण ट्रांसफार्मरों का नितान्त अभाव है और एक भी स्पेयर ट्रांसफार्मर न होने के कारण विद्युत आपूर्ति लगातार बाधित रहती है ? क्या इस कमी को दूर करने हेतु विभिन्न शक्ति के 25 (पच्चीस) ट्रांसफार्मरों की तत्काल व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

ट्रांसफार्मरों के अभाव के कारण स्पेयर में ट्रांसफार्मर नहीं रह पाते तथा विद्युत व्यवस्था कभी-कभी बाधित हो जाती है, जिसे यथाशीघ्र ठीक कर दिया जाता है।

वर्तमान में संसाधनों की कमी के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं है।

फर्रुखाबाद फतेहगढ़ युग्म नगरों में विद्युत आपूर्ति के सुधार हेतु कृत कार्यवाही

50—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या विद्युत मन्त्री को यह जानकारी है कि फर्रुखाबाद फतेहगढ़ युग्म नगरों में विद्युत आपूर्ति बहुत ही अनिश्चित व खराब रहती है ? क्या इसका प्रमुख कारण युग्म नगरों में पचासों वर्ष पुराने जर्जर तारों वाली विद्युत लाइनों का होना है ? यदि हां, तो क्या इन पुरानी लाइनों को बदलवा कर नई लाइनें बिछाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि हां, तो उस कार्य को कब तक सम्पादित करा दिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

आपूर्ति में अक्सर व्यवधान उत्पन्न हो जाता है ।

इसका मुख्य कारण लाइनों का पुराना होना और विद्युत भार का उनकी क्षमता से अधिक बढ़ना है ।

इस समस्या के निराकरण हेतु फतेहगढ़ तथा फर्रुखाबाद नगर की विद्युत व्यवस्था के लिए एक सुधार योजना बनाई गई है जिसके अन्तर्गत पुरानी लाइनों के बदलने का कार्य भी सम्मिलित है ।

यह कार्य विभिन्न चरणों में 1993 तक सम्पादित किये जाने की आशा है जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

विद्युत सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा अवर अभियन्ताओं के पदों हेतु परीक्षा के प्रश्न-पत्रों की भाषा का मामला

51—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या ऊर्जा मन्त्री को जानकारी है कि विद्युत सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा मई, 1988 में अवर अभियन्ता (प्रशिक्षार्थी) विद्युत, यांत्रिकी, इलेक्ट्रानिक्स के रिक्त 200 पदों हेतु विज्ञापन दिया गया था जिसमें स्पष्टरूप से यह उल्लिखित था कि अभ्यर्थियों का दो प्रश्न-पत्र देने होंगे तथा वे हिन्दी, अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे ? यदि हां, तो सामान्य ज्ञान व तकनीकी प्रश्न-पत्रों को दोनों भाषाओं में न लेकर प्रदेश के हजारों हिन्दी मीडियम से डिप्लोमा प्राप्त करने वालों के साथ अन्याय करने का औचित्य क्या था ? इस हेतु अब तक किसे दण्डित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

प्रश्नगत विज्ञापन में यह उल्लिखित था कि लिखित परीक्षा में प्रश्न-पत्र में हिन्दी व अंग्रेजी दोनों ही भाषायें प्रयोग में लाई जायेंगी ।

जी नहीं ।

विज्ञापन की शर्तों के अनुसार परीक्षार्थी हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में उत्तर देने के लिये स्वतन्त्र था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग में सरकार से भवन निर्माण ऋण लेकर आवास निर्माण के उपरान्त राजकीय आवासों में रहने वाले कर्मचारी

52—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्थाई स्टाफ अधिकारी (नियोजन/बजट), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग (श्री महेन्द्र सिंह) के पत्रांक 5073-आई0 बी0/86 दिनांक 4 फरवरी, 1986 में इस आशय की अभिव्यक्ति की गई है कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा सरकार से भवन निर्माण ऋण लेकर आवास निर्मित कराने के उपरान्त उन्हें किराए पर उठा दिया गया है तथा सम्बन्धित व्यक्ति राजकीय निवास में रह रहे हैं ? क्या यह भी कहा गया है कि उक्त पत्र में वर्णित व्यक्तियों को राजकीय आवास रिक्त कर देना चाहिये ? यदि हां, तो उक्त पत्रानुसार वांछित कार्यवाही किस स्तर से अवरुद्ध है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

तदर्थ स्टाफ अधिकारी (नियोजन) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग (श्री महेन्द्र सिंह) के अ0 शा0 पत्रांक 5073-आई0 बी0/86 बी0/प्रकीर्ण, दिनांक 4 फरवरी, 1986 में इस आशय की अभिव्यक्ति की गई है कि कतिपय कर्मचारियों द्वारा भवन निर्माण अग्रिम लेकर निजी आवास लखनऊ में निर्मित कर लिए हैं तथा उन्हें अपने आवास में रहना चाहिये । यह भी कहा गया था कि उक्त पत्र में वर्णित व्यक्तियों को राजकीय आवास रिक्त कर देना चाहिए था । परन्तु इस सम्बन्ध में कोई शासनादेश न होने के कारण प्रश्नगत कार्यवाही न तो सम्भव ही थी और न ही इसकी आवश्यकता समझी गई ।

53—श्री बदन सिंह—

[4थे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 37 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

आजमगढ़, इलाहाबाद, मिर्जापुर तथा बरेली के लाइसेन्सधारियों पर आबकारी राजस्व भुगतान का बकाया

54—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1985-86 के आबकारी राजस्व का भुगतान आजमगढ़, इलाहाबाद, मिर्जापुर तथा बरेली के लाइसेन्सधारियों ने अब तक नहीं किया है जिससे विभाग को 90 लाख रुपये की क्षति हुई है ? लाइसेन्सधारियों के इस अनियमितता की जानकारी मिलने के बाद वसूली के लिये प्रभावी कदम न उठाये जाने का कारण क्या है ? क्या सरकार इस परिप्रेक्ष्य में सख्त कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्राप्त सूचनानुसार भुगतान बकाया नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

55—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[दि0 22 फरवरी, 1988 को अता0 प्र0 सं0 53 द्वारा उत्तरित]

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत पुरवा ब्रांच दायीं पटरी-ग्राम घूरखेत के निकट तौरा स्केप की सफाई का प्रस्ताव

56--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत शारदा कैनाल पुरवा ब्रांच की दायीं पटरी पर ग्राम घूरखेत स्थित "स्केप" की सफाई कितने वर्षों से नहीं की गयी ? क्या उक्त स्केप (नाले) की सफाई कराने के लिए योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो उक्त नाले की सफाई कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत पुरवा ब्रांच की दायीं पटरी-ग्राम घूरखेत के निकट तौरा स्केप की सफाई विगत 8 वर्षों से नहीं की गयी है ।

योजना बना ली गयी है ।

इस कार्य को जून, 1989 तक कराये जाने का प्रस्ताव है ।

गोण्डा जनपद के राजकीय सस्ते गल्ले की दुकानों पर गेहूं वितरण की जांच

57--श्री मैनेजर सिंह--

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री बतायेंगे कि गोण्डा जनपद के विभिन्न राजकीय सस्ते गल्ले की दुकानों से पिछले माह से सड़े हुए गेहूं वितरण की शिकायत प्राप्त होने पर वरिष्ठ खाद्य एवं रसद निरीक्षक श्री राम चन्दर निगम ने मोहल्ला नवशहरा की अवधेश नारायण के नाम से आवंटित सस्ते गल्ले की दुकान की अकस्मात जांच की तो पाया कि सड़ा हुआ गेहूं वितरित हो रहा था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुम सिंह--

गोण्डा जनपद के किसी सरकारी दुकानों पर सड़े हुये गेहूं के वितरण की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि गोण्डा नगर के मोहल्ला नवशहरा में कार्यरत श्री अवधेश नारायण की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान की दिनांक 22 दिसम्बर, 1988 को श्री राम चन्द्र निगम, क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक द्वारा की गयी सामान्य जांच में यह पाया गया कि उक्त दुकान में उपलब्ध गेहूं में से 10 बोरा गेहूं खराब किस्म का था, जिसमें धूल, गर्द, कूड़ा-कंकड़ आदि मिला हुआ था । दुकानदार को इन दस बोरों की बिक्री न करने के आदेश दिये गये तथा खराब किस्म के उक्त 10 बोरे गेहूं को मार्केटिंग गोदाम से बदलवाकर अच्छे किस्म का गेहूं ही कार्डधारकों को दिनांक 24 दिसम्बर, 1988 से वितरित कराया गया है ।

श्रीमती विमला देवी, सरकारी सस्ता गल्ला/चीनी विक्रेता, न्याय पंचायत व विकास खण्ड, पंडरी कुशल, जनपद गोण्डा की दुकान का निलम्बन

58--श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां--

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा विकास खण्ड व न्याय पंचायत पंडरी कुशल के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानदार श्रीमती विमला देवी

पर अनकों आरोप सिद्ध होने के बाद 25 मार्च, 1988 को लाइसेन्स निरस्त कर दिया गया था ? परन्तु अधिकारी गोण्डा के निलम्बन प्रादेशों के विपरीत आयुक्त महोदय फैजाबाद ने अप्रैल, 1978 को स्थगन आदेश प्रदान कर दिया है ? यदि हां, तो आयुक्त का स्थगन आदेश कब तक प्रभावी रहेगा ?

श्री हुकुम सिंह—

श्रीमती विमला देवी सरकारी सस्ता गल्ला/चीनी विक्रेता न्याय पंचायत व विकास खण्ड पंडरी कलां की दुकान गम्भीर अनियमितताओं के कारण परगना अधिकारी की संस्तुति पर जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 23 मार्च, 1988 को निलम्बित की गई थी ।

जिला पूर्ति अधिकारी, गोण्डा के उपरोक्त निलम्बन आदेश दिनांक 23 मार्च, 1988 को आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद द्वारा दिनांक 7 अप्रैल, 1988 को स्थगित कर दिया गया है ।

आयुक्त के आदेश दिनांक 7 अप्रैल, 1988 के अनुसार स्थगन आदेश अपील के निस्तारण तक प्रभावी रहेगा ।

बलिया जनपद में सीवर व नगरा विकास खण्डों के ग्रामों का विद्युतीकरण

59—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद में सीवर व नगरा विकास खण्डों में गांव में विद्युतीकरण बहुत कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार सीवर व नगरा विकास खण्ड के सम्पूर्ण गांवों का विद्युतीकरण करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं । सीवर व नगरा विकास खण्डों के क्रमशः 60.3 प्रतिशत एवं 76.8 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है ।

सभी ग्रामों के विद्युतीकरण की गति संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा की सिंचाई सुविधा विषयक श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, स0 वि0 स0 के पत्र पर कृत कार्यवाही

60—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बन्धित दिनांक 30 दिसम्बर, 1986 का पत्र श्री बाबू लाल, सदस्य ग्राम पोहार ब्लाक नरैनी, जनपद बांदा के पत्र के साथ सिंचाई की सुविधा के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

ग्राम पोहार के लगभग 1,500 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई साधन के लिए 10 क्यूसेक क्षमता की पक्की नहर की आवश्यकता है । 25 क्यूसेक से कम क्षमता की नहरों का निर्माण वर्तमान नीति के अनुसार किया जाना सम्भव नहीं है ।

बांदा जनपद के मसौनी पम्प कैनाल के उपयोग में किसानों की ली गई कृषि योग्य भूमि का मुआवजा

61—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बन्धित प्रश्नकर्ता के पत्रांक ग, 013462 दिनांक 26 अगस्त, 1987 के साथ संलग्न बांदा जनपद ब्लाक नरैनी के ग्राम पहाड़ी मऊ के श्री रामेश्वर व श्री बाबू लाल उप प्रधान का कोई पत्र मसौनी पम्प कैनाल के उपयोग से आई किसानों की कृषि योग्य भूमि का मुआवजा के साथ में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अभी तक मुआवजा किसानों को न मिलने के क्या कारण हैं तथा कब तक यह मुआवजा मिल जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं ।

सीतापुर जनपद में ग्राम शाहपुर, ब्लाक खैराबाद में विद्युत् दुर्घटना में मरी भैंस के स्वामी को अनुग्रह राशि की स्वीकृति

62—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जनपद में ग्राम शाहपुर, ब्लाक खैराबाद में विद्युत् दुर्घटना से दिनांक 27 जुलाई, 1987 को जो भैंस मर गयी थी (मालिक का नाम श्री राम सहारे) उसका प्रतिकर अभी तक न दिए जाने का क्या कारण है ? प्रतिकर कब तक दे दिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

क्षेत्रीय समिति की संस्तुति के आधार पर भैंस के स्वामी को रु० 1,000 (रुपये एक हजार) मात्र की अनुग्रह राशि परिवर्तीय शासन संख्या 1015 ई० ए० आर० वि० प० दिनांक 3 मार्च, 1989 द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड अकबरपुर के ग्रामों का विद्युतीकरण

63—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सिकरोहर (सेहरी), तहसील व विकास खण्ड अकबरपुर, जनपद फैजाबाद किस वर्ष की विद्युतीकरण योजना में था ? तथा उक्त ग्राम का अभी तक विद्युतीकरण न किये जाने का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

इस ग्राम का वर्ष 1987-88 में जिला विद्युत सलाहकार समिति द्वारा विद्युतीकरण हेतु चयन किया गया था ।

वर्ष 1987-88 में जिला विद्युत सलाहकार समिति द्वारा विकास खण्ड अकबरपुर में विद्युतीकरण हेतु 16 ग्राम चयनित किये गये थे, जबकि जनपद के लिए निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत विकास खण्ड में केवल दो ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना था, अतः ग्राम सिकरोहर का विद्युतीकरण उस वर्ष किया जाना सम्भव नहीं हो सका ।

सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता के साथ अवर अभियन्ताओं की भी पदोन्नति के आधार

64--श्री अनवर हुसैन बाबर--

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहायक अभियन्ताओं, अधिशासी अभियन्ताओं की पदोन्नति विगत वर्ष में की गई है और इनके साथ ही अवर अभियन्ताओं की पदोन्नति हुई है ? यदि हां, तो संवर्गवार पदोन्नत अभियन्ताओं की संख्या व पदोन्नति का आधार क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां ।

विगत वर्ष 1988 में पदोन्नत किए गए अभियन्ताओं की संवर्गवार संख्या एवं पदोन्नति का आधार निम्नलिखित है :--

(अ) वर्ष 1988 में 155 अवर अभियन्ताओं (ई0 एण्ड एम0) को सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नति की गई । पदोन्नति का आधार वरिष्ठता को दृष्टिगत रखते हुए "श्रेष्ठता" है :--

(ब) (1) 127 सहायक अभियन्ताओं (ई0 एण्ड0 एम0) का अधिशासी अभियन्ता पद पर पदोन्नति हेतु चयन किया गया ।

(2) 17 सहायक अभियन्ताओं (सिविल) का अधिशासी अभियन्ता (सिविल) पद पर पदोन्नति हेतु चयन किया गया ।

सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता पद पर प्रोन्नति का आधार 'अनुपयुक्त' को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता है ।

(स) (73) अधिशासी अभियन्ताओं (ई0 एण्ड एम0) की अधीक्षण अभियन्ता पद पर प्रोन्नति की गई । अधिशासी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता पद पर पदोन्नति का आधार श्रेष्ठता एवं उपयुक्तता है ।

सिंचाई विभाग के वर्तमान मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) के विरुद्ध शासन स्तर पर जांच प्रकरण का विवरण

65--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) के विरुद्ध शासन स्तर पर कितने शिकायती/जांच प्रकरण विचाराधीन हैं तथा कब से विचाराधीन हैं ? उक्त अधिकारी की मुख्य अभियन्ता पद पर प्रोन्नति से पूर्व क्या शिकायत/जांच प्रकरणों पर विचार किया गया ? उक्त अधिकारी की सेवानिवृत्ति की तिथि क्या है, तथा क्या उक्त अधिकारी की सेवानिवृत्ति से पूर्व समस्त जांच प्रकरणों में कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी ?

श्री लोक पति त्रिपाठी--

प्रश्नगत मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच के 5 प्रकरण लम्बित हैं जिनका विवरण एवं अवधि निम्नवत् है :--

1--परिसम्पत्ति की सतर्कता जांच वर्ष 1974 से ।

2—श्री राम आधार राय के शिकायती पत्र दिनांक 25 मई, 1983 पर विभागीय प्रारम्भिक जांच वर्ष 1983 से ।

3—श्री राधेश्याम, विधायक और श्री अश्विनी कुमार अवस्थी की शिकायतों की प्राविधिक जांच पर कार्यवाही वर्ष 1986 से ।

4—किशनपुर पम्प कैनाल, इलाहाबाद की प्राविधिक जांच पर कार्यवाही वर्ष 1987 से ।

5—श्री राम कुमार, मो0 छोटी बाजार बहराइच के शिकायती-पत्र पर विभागीय प्रारम्भिक जांच वर्ष 1988 से ।

शासनादेश संख्या 13/85/1983, कार्मिक 1, दिनांक 30 नवम्बर, 1983 के अनुसार प्रोन्नति के लिए निलम्बन/अनुशासनिक कार्यवाही/प्रशासनिकरण की जांच/अभियोजन की कार्यवाही ही बाधक है । चयन के पूर्व उक्त श्रेणी की कोई जांच/कार्यवाही इनके विरुद्ध लम्बित नहीं थी । प्रश्नर 1 में वर्णित जांच को चयन/पदोन्नति के समय विचार में नहीं लिया गया क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं थी ।

प्रश्नगत अधिकारी की सेवानिवृत्ति की तिथि 31 जुलाई, 1990 है और यह प्रयास किया जाएगा कि इनकी सेवानिवृत्ति से पहले जांच के प्रश्नगत सभी प्रकरणों में कार्यवाही पूर्ण हो जाय ।

सप्तम मण्डल सिंचाई कार्य, लखनऊ के अधीन खण्डीय कार्यालयों में लिपिकों के चयन सम्बन्धी शिकायती-पत्र

66—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के तीसरे बुधवार में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 58 के उत्तर के संदर्भ में सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लिपिक पद पर चयन से पूर्व रिक्तियों की सूचना किस पत्र द्वारा सेवायोजन कार्यालय लखनऊ को दी गई उसका नम्बर एवं दिनांक क्या है तथा उक्त पत्र सेवायोजन कार्यालय में प्राप्त भी हुआ या नहीं ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

लिपिक पद पर चयन से पूर्व रिक्तियों की सूचना अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ के पत्रांक 7162/(2) सप्तम, दिनांक 12 अगस्त, 1983 द्वारा सेवायोजन अधिकारी, लखनऊ को डाक द्वारा भेजी गई । सेवायोजन कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार यह पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

67—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[6ठें बुधवार के लिए स्थगित ।]

उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड की कताई मिल झांसी में ट्रेनीज की सीधी भर्ती की जांच

68—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड की कताई मिल झांसी में नवम्बर व दिसम्बर, 1988 से लगभग दो सौ नये ट्रेनीज की

भर्ती सेवायोजन कार्यालय से नाम मांगे बिना ही कोषी भर्ती की गई है ? क्या मन्त्री जी ट्रेनीज की भर्ती में हुए लाखों के भ्रष्टाचार की सतर्कता विभाग से जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे तथा नवम्बर, दिसम्बर, 1988 में की गई भर्ती को निरस्त कर भविष्य में ट्रेनीज की भर्ती हेतु सेवायोजन कार्यालय से नाम मांग कर ही भर्ती किये जाने के आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माह दिसम्बर, 1988 में केवल 132 ट्रेनीज की भर्ती मिल की चयन समिति द्वारा की गई थी सभी नियोजित ट्रेनीज के नाम स्थानीय सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हैं ।

इटावा के महाकवि देव स्मारक का सौन्दर्यीकरण

69—श्री मोहन सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि महाकवि देव स्मारक (निकट टिकसी मन्दिर) इटावा के जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? कब तक शासन प्रकाण्ड हिन्दी सेवी के इस स्मारक को मनोरम स्थल में परिवर्तित कर देगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं ।

महाकवि देव स्मारक का निर्माण उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा इटावा से ग्वालियर जाने वाली रोड पर स्थित टिकसी मन्दिर परिसर में, टिकसी मन्दिर ट्रस्ट से कुछ भूमि मांग कर वर्ष 1983 में कराया गया था । निर्मित महाकवि देव स्मारक अपने मूल स्वरूप में सन्तोषजनक स्थिति में है । अतः इसका जीर्णोद्धार कराने का प्रश्न ही नहीं उठता । इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन ने सूचित किया है कि स्थानीय जनता द्वारा जिला प्रशासन से महाकवि देव स्मारक के सौन्दर्यीकरण की मांग की गई थी । अतः जिला प्रशासन ने नगरपालिका, इटावा के माध्यम से महाकवि देव स्मारक का सौन्दर्यीकरण वर्ष 1988-89 में कराया है ।

कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग सहित के अनुसूचितीय कर्मचारियों के ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में प्रतिवेदन

70—श्री गंगा राम—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग सहित के कितने अनुसूचितीय कर्मचारियों के ज्येष्ठता निर्धारण प्रतिवेदन विभाग/शासन स्तर पर लम्बित हैं तथा इसमें से कितने प्रकरण 10 वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैं ? इन प्रत्यावेदनों पर कब तक विभाग/शासन द्वारा निर्णय हो जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता के कार्यालय के कार्यालय-अधीक्षक स्तर-2 को स्तर-1 में उन्नयनीकृत करने की मांग

71—श्री गंगा राम—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता/मुख्य कार्यालय, कार्यालयों के कार्यालय अधीक्षक स्तर-2 के कुल कितने पद वर्तमान में हैं ? क्या यह सही

है कि नियमानुसार इन कार्यालयों में कार्यालय अधीक्षक स्तर-1 के ही पद होने चाहिए ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त कार्यालय अधीक्षक स्तर-2 के पदों को कार्यालय अधीक्षक स्तर-1 के पदों में उच्चीकृत करा देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ?

लखनऊ में अंग्रेजी शराब, भांग व ताड़ी के ठेके फर्जी नामों से लेने की जांच सम्बन्धी कार्यवाही।

72—श्री रघुनाथ सिंह—

क्या आबकारी मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1982-83 में लखनऊ में अंग्रेजी शराब, भांग व ताड़ी के ठेके फर्जी नामों से लिए गये थे और 30 दिसम्बर, 1982 को जिला प्रशासन ने छापे मार कर ऐसी सभी पचीस अंग्रेजी शराब की दुकानों को सील किया था ? क्या इस बारे में आर्थिक अपराध संगठन ने जांच की और असली ठेकेदारों का पता लगाया ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में क्या पाया गया ? जांच रिपोर्ट के आधार पर किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 420/467/468/471 तथा 120(बी) के अन्तर्गत चालान किया गया ? मुकदमें का क्या परिणाम रहा ? आबकारी अधिकारी व सम्बन्धित लिपिक के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग स्टेनोग्राफर्स संघ, लखनऊ से वांछित सूचना प्राप्त न होने पर कृत कार्यवाही

73—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग स्टेनोग्राफर्स संघ, लखनऊ द्वारा वे समस्त सूचनायें अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश शासन को विभागाध्यक्ष के माध्यम से उपलब्ध करा दी गयी हैं जोकि "उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता) नियमावली, 1979" के पैरा 4 (अ) के अन्तर्गत वांछित हैं ? उक्त सूचना विगत कितने वर्षों से उपलब्ध कराया जाना अवशेष है ? क्या उक्त संघ को विभाग द्वारा इस आशय की नोटिस भी भेजी गयी है ? यदि हां, तो उक्त संघ द्वारा अब तक वांछित सूचना न उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में, शासन स्तर पर उपरोक्त नियमावली के पैरा 8 (घ) के प्राविधानों के अन्तर्गत, उक्त संघ की मान्यता समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

संघ से वर्ष 1985 में सूचना मांगी गयी थी जो अब तक प्राप्त नहीं हुई है ।

संघ की नियमावली के पैरा 4 (अ) में वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु पुनः लिखा जा रहा है । ऐसी स्थिति अभी उत्पन्न नहीं हुई है ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सि0 वि0 के अनुसचिवीय अधिष्ठान में अवैध एवं अनियमित नियुक्तियां रोकने हेतु पत्र

74--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सि0 वि0 के अनुसचिवीय अधिष्ठान में अवैध नियुक्तियां रोकने व अनियमित नियुक्तियों को निरस्त करने तथा अनियमित नियुक्तियों के सम्बन्ध में आख्या देने के सम्बन्ध में वर्ष 1983 से 1986 के मध्य कुल कितने पत्र सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ के अधिकारियों से प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में प्राप्त हुए ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा के ब्लाक महुआ में लिफ्ट कैनाल बनाने की मांग

75--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के ब्लाक महुवा में केन नदी से रायपुर कोलावल गांव के पास नदी में पानी के वृहद् भण्डार को देखते हुए इस असिंचित क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था के लिये लिफ्ट कैनाल बनायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

केन नदी से रबी में जल उपलब्ध नहीं हो पायेगा ।

विद्युतीकरण योजना में शामिल ग्राम हुसेनपुर-सकरवारी, जनपद फैजाबाद का विद्युतीकरण

76--श्री अकबर हुसैन बाबर--

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हुसेनपुर-सकरवारी वि0 खं0, अकबरपुर-जनपद फैजाबाद वर्ष 1987 व 1988 में प्रस्तावित विद्युतीकरण योजना में था ? यदि हां, तो उस गांव में अब तक विद्युतीकरण न किये जाने का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां ।

इस ग्राम का वर्ष 1987-88 में जिला विद्युत् सलाहकार समिति द्वारा विद्युतीकरण हेतु चयन किया गया था ।

वर्ष 987-88 में जिला विद्युत् सलाहकार समिति द्वारा विकास खंड, अकबरपुर में विद्युतीकरण हेतु 16 ग्राम चयनित किये गए थे जबकि जनपद के लिए निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत विकास खंड में केवल दो ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना था । अतः ग्राम हुसेनपुर सकरवारी का विद्युतीकरण उस वर्ष किया जाना सम्भव नहीं हो सका ।

कानपुर का दो जनपदों में विभाजन हो जाने के पश्चात् कानपुर नगर के पंजीकृत भट्ठों की संख्या

77—श्री हर्षवर्धन—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981 में कानपुर का दो जनपदों में विभाजन हो जाने के पश्चात् कानपुर नगर में कितने पंजीकृत ईंट भट्ठे रह गये ? क्या यह सत्य है कि कानपुर नगर में ईंट भट्ठों की संख्या तो केवल नाम मात्र की रह गई परन्तु स्लेक कोल की स्पांसरिंग आवश्यकता से अधिक और यहां तक कि मासिक कोटे से अधिक होती रही ? यदि हां, तो यह कोयला कहां बिकता रहा? क्या सरकार इस घोटाले की अविलम्ब जांच करायेगी ?

श्री हुकुम सिंह—

वर्ष 1981 में कानपुर का विभाजन हो जाने के पश्चात् कानपुर नगर में 116 पंजीकृत ईंट भट्ठे रह गये।

जी नहीं।

विभाजन के पश्चात् कानपुर नगर में स्लैक कोल की स्पान्सरिंग आवश्यकतानुरूप तथा मासिक कोटे के अन्तर्गत ही की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती राजकुमारी देवी के पति के साथ हो रहे विभागीय पक्षपात के सम्बन्ध अपर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग को कार्यवाही हेतु पत्र

78—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 28 नवम्बर, 1988 का पत्र श्रीमती राज कुमारी देवी के प्रार्थना-पत्र सहित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या मंत्री जी श्रीमती राज कुमारी देवी के पति के साथ हो रहे विभागीय पक्षपात को समाप्त कर उन्हें न्याय दिलाने के आदेश करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

जी हां।

अपर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग को पत्र यथोचित कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है।

बस्ती जिले की बेदौला-लखनापार बांध परियोजना की लागत धनराशि एवं बांध निर्माण कार्य

79—श्री धनराज यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के बेदौला लखनापार बांध परियोजना की लागत कितनी है ? अभी तक सेन्टोरियल-एन० आर० ई० पी० एवं आर० एल० ई० जी० पी० से कितना कितना धन एवं खाद्य इस योजना के निर्माण में प्राप्त हुआ है एवं अभी तक प्राप्त धनराशि से कितना कि० मी० बांध का निर्माण

किया जा चुका है तथा कितने गांव बाढ़ से सुरक्षित हुये ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि उक्त वर्ष में अत्यधिक गैप है और इस कारण बांध में बन लगाने के बावजूद बाढ़ से सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

बस्ती जिले की (वर्ष 1984 में संशोधित) बेदौला-लखनापार बांध परियोजना की लागत रुपया 605.26 लाख है।

वर्ष 1984 से 2/89 तक सेक्टोरियल आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 मद से रुपया 96.58 लाख नकद तथा 27.59 लाख रुपये का 1675 मैट्रिक टन खाद्यान्न प्राप्त हुआ है। एन0 आर0 ई0 पी0 के अंतर्गत कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है।

सेक्टोरियल आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के अंतर्गत कुल 118.17 लाख रुपये के विरुद्ध 2/89 तक रुपया 96.73 लाख व्यय हुये हैं। इसके अतिरिक्त मद-4711 के अंतर्गत 87.42 लाख रुपये व्यय हुये हैं। इस प्रकार कुल 184.15 लाख रुपये व्यय कर अब तक 19.50 किलोमीटर बांध का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है तथा 10.00 किलोमीटर बांध पर आंशिक कार्य हुआ है। इससे लगभग 29 गांव बाढ़ से आंशिक रूप से सुरक्षित हुये हैं। बेदौला-लखनापार बांध में 0.00 से 40.90 कि0 मी0 में 12 गैप हैं जिसके कारण परियोजना में प्रस्तावित सम्पूर्ण क्षेत्रफल को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान नहीं हुई है केवल 29 ग्रामों को आंशिक सुरक्षा प्राप्त हुई है। किलोमीटर 6.6 से किलोमीटर 38.00 के गैप्स जो 8 हैं, को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है। रेलवे विभाग की सहमति मिलने के पश्चात कि0 मी0 38.00 से 40.90 का कार्य तथा नीचे कि0 मी0 06.6 से 0.00 तक का कार्य किया जायेगा।

देवरिया और गोरखपुर में स्थित कतिपय सिंचाई खण्डों के मुख्यालय को अपने कार्यक्षेत्र में स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा निर्देश देने की मांग

80--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के सिंचाई खण्ड पंचम का कार्य क्षेत्र खड्डा, निर्माण खण्ड दशम गोरखपुर का कार्य क्षेत्र तमकुही रोड तथा चौफ शाखा देवरिया का कार्य क्षेत्र कसया और पडरौना होने के बाद भी इनके मुख्यालय देवरिया और गोरखपुर में बनाये रखने का क्या कारण है ? क्या सरकार द्वारा इन खण्डों के मुख्यालय को अपने कार्य क्षेत्र में स्थापित करने का निर्देश दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

देवरिया जनपद में कार्यरत गण्डक नहर निर्माण खण्ड-5 (म कि सिंचाई खण्ड-5) तथा चौफ शाखा निर्माण खण्ड का मुख्यालय देवरिया है। गण्डक नहर निर्माण खण्ड-10 का मुख्यालय गोरखपुर है। इन खण्डों के कार्यक्षेत्र क्रमशः खड्डा, पडरौना, कसया तथा तमकुही के विकट के क्षेत्रों में स्थित हैं। देवरिया तथा गोरखपुर मुख्यालयों पर खण्डीय कार्यालय के लिये आवश्यक सुविधायें, कार्यालय भवन, आवासीय भवन व अन्य प्रशासनिक सुविधायें उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त गण्डक परियोजना अब अपने अन्तिम चरण में है। उक्त खण्डों के कार्यभार समाप्त होने अथवा कम होने पर उन्हें विघटित अथवा स्थानान्तरित

किया जाना संम्भावित है । अतः इस समय खण्डों के मुख्यालय परिवर्तित किया जाना उचित नहीं है । इन परिस्थितियों में शासन द्वारा इन खण्डों के मुख्यालय परिवर्तन के आदेश दिया जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हमीरपुर राठ क्षेत्र में 132 के0 वी0 का सब स्टेशन बनाने की स्वीकृति

81--श्री राम सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राठ क्षेत्र जनपद हमीरपुर में 133 के0 वी0 का सब स्टेशन बनाये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण की स्वीकृति कब तक की जायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

राठ क्षेत्र जनपद हमीरपुर में 132 के0 वी0 सब स्टेशन बनाये जाने का प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सातवीं योजना में स्वीकृत हो चुका है ।

132 के0 वी0 राठ उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य संसाधनों की कमी के कारण प्रारम्भ नहीं हो सका है ।

सर्वश्री कानपुर शुगर वर्क्स लि0, कठकुईयां तथा सर्वश्री गंगेश्वर लि0, रामकोला द्वारा शीरे की तस्करी करने के विरुद्ध कृत कार्यवाही

82--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या अबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1983 में व 1984 में कानपुर शुगर वर्क्स लि0, कटकुईयां व चीनी मिल रामकोला को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 5 मई, 1983 व 22 मई, 1984 के द्वारा क्रमशः 6178.55 व 57971.17 कुन्टल शीरा खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी गयी थी, किन्तु उक्त दोनों चीनी मिलें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अवमुक्त शीरे के नाम पर कफी विलम्ब तक अन्य इकट्ठे किये गये शीरे को भी खुले बाजार में बेचती रही और पश्चिम बंगाल में भी शीरा बेचा गया ? क्या यह सही है कि 1984-85 की अवधि में मा0 उच्च न्यायालय ने किसी चीनी मिल को शीरा बेचने के लिये अवमुक्त नहीं किया था ? यदि हां, तो मनमाने ढंग से शीरे की तस्करी करने वाले इन चीनी मिलों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि प्रवर्तन द्वारा दी गयी निगम 301 की सूचना दिनांक 30 जुलाई, 1985 के सन्दर्भ में की गयी जांच में कठकुईयां चीनी मिल द्वारा शीरे के अवैध निस्तारण का सन्देह पाया गया था ? यदि हां, तो पूरी जांच न कराने का कारण क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 5 मई, 1983 द्वारा सर्वश्री कानपुर शुगर वर्क्स लि0 कठकुईयां तथा सर्वश्री गंगेश्वर लि0, रामकोला को एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22 मई, 1984 द्वारा सर्वश्री गंगेश्वर लि0, रामकोला को शीरा खुले बाजार में बेचने की अनुमति मिली थी । मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों में शीरे की मात्रा और अवधि अंकित नहीं थी, केवल यह आदेश थे कि वो सप्ताह के अन्दर शीरा नियन्त्रक द्वारा 2,000 कुन्टल प्रति दिन की दर से चीनी मिल से शीरा सम्भारित किया जाय तथा ऐसा न होने की दशा में चीनी मिलें बचे हुये

शीरे के स्टाक को बिना शोरा नियन्त्रक के आदेश प्राप्त किये खुले बाजार में बेचने को स्वतन्त्र होगी, जिसका चीनी मिलों ने लाभ उठाया। पश्चिम बंगाल को पार्टी को भी शोरा बेचा गया।

शोरा वर्ष 1984-85 में मा0 उच्च न्यायालय ने उक्त चीनी मिलों में से किसी को भी शोरा बेचने के लिये अधिकृत नहीं किया था।

इन चीनी मिलों ने मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत शोरा खुले बाजार में बेचा था।

जांच में प्रथम साक्ष्यता दोषी पाये सम्बन्धित उप आबकारी निरीक्षक श्री बी0 सी0 श्रीवास्तव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी और उनके चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्ट की गयी तथा एक वेतन वृद्धि रोकी गयी।

देवरिया जनपद के कठकुइयां रेलवे स्टेशन से पश्चिम बंगाल व आसाम को शोरा भेजने की अनुमति

83--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के कठकुइयां रेलवे स्टेशन से 30 दिसम्बर, 1982 से 5 फरवरी, 1985 की अवधि में लगभग 250 टिन तथा 150 ड्रम शोरा पश्चिम बंगाल व आसाम को भेजा गया है? यदि हां, तो क्या इस शोरे को भेजने की अनुमति सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त की गयी थी? यदि हां, तो शोरा भेजने वाले फर्मों के नाम क्या हैं और उन्होंने प्रदेश से बाहर शोरा भेजने की अनुमति कब प्राप्त की थी? यदि नहीं, तो ऐसी फर्मों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

कठकुइयां रेलवे स्टेशन से दिनांक 14 जनवरी, 1983 तथा 20 दिसम्बर, 1983 को क्रमशः 595 टन खांडसारी शोरा आसाम तथा 59 ड्रम खांडसारी शोरा पश्चिम बंगाल भेजा गया था।

खांडसारी शोरे के परिवहन पर नियन्त्रण नहीं है।

शोरा भेजने वालों के नाम क्रमशः श्री घनश्याम, निवासी कठकुइयां तथा श्री शिव कुमार अग्रवाल, निवासी अंसारी रोड, देवरिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत उपकेन्द्र, पचपेडवा गोंडा के अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

84--श्री अरुण कुमार सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता तथा जनपद के सांसद तथा सभी विधायकों का कोई शिकायती-पत्र, दिनांक 22 अक्टूबर, 1988 विद्युत उपकेन्द्र पचपेडवा गोंडा के अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो जांच किस स्तर से कराने की मांग की गयी थी और जांच कार्य कब तक करा लिया

जायेगा ? क्या सरकार कार्यरत अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

पत्र उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्यरत अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण पर विचार प्रति वर्ष परिषद द्वारा अनुमोदित स्थानान्तरण नीति के अनुसार मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) द्वारा विचार किया जाता है।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी में सहनपुर बन्धी का निर्माण एवं रेगुलेटर को पाटने का अवशेष कार्य

95—श्री मदन सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि जनपद आगरा की तहसील किरावली के ब्लाक फतेहपुर सीकरी में सहनपुर बन्धी वर्ष 1986-87 में पूर्ण रूप से निर्मित कर दी गई है ? यदि हां, तो इस बंधी के रेगुलेटरों को पाट दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां, जनपद आगरा की तहसील किरावली के ब्लाक फतेहपुर सीकरी में सहनपुर बन्धी का निर्माण कार्य केवल रेगुलेटर पर ऑपरेशन प्लेटफार्म स्लैब डालने को छोड़कर, वर्ष कार्य 1987-88 में न कि 1986-87 में पूर्ण हो गया था।

जी नहीं, अभाव के कारण रेगुलेटर को पाटने (रेगुलेशन आपरेशन प्लेटफार्म स्लैब डालना) का कार्य शेष है।

96—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[अगले बुधवार के लिए स्थगित]

97—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[अगले सोमवार में अता० प्र० सं० 165 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फैजाबाद में सिंचाई विभाग के विभिन्न बन्धों द्वारा नदियों तथा नालों की खुदाई और सफाई के नाम पर किये गये कार्यों का विवरण

98—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में पिछले तीन वर्षों में सिंचाई विभाग के विभिन्न बन्धों द्वारा नदियों तथा नालों की खुदाई और सफाई के नाम पर करोड़ों रुपये की धनराशि को विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत से हड़प लिया गया है ? यदि नहीं, तो ऐसे सभी कार्यों का विस्तृत विवरण जनपद के सभी विधायकों और सांसदों को उपलब्ध कराकर उनका मौलिक सत्यापन कराने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं।

कोई कठिनाई नहीं है। विगत तीन वर्षों में कराये गये सभी कार्यों का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 118–119 पर)

सिंचाई विभाग द्वारा हमीरपुर जनपद के तीन ब्लाकों के लिए स्वीकृत नलकूपों को कानपुर के लिए स्थानान्तरित किया जाना

89—श्री राम सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1987 में मुख्य मंत्री ने हमीरपुर जनपद के तीन ब्लाक राठ, गोहाण्ड, सरीला प्रत्येक में 25, 25 नलकूप (विइप बैंक) के लगवाने की घोषणा की थी? क्या यह सही है कि वे नलकूप राठ क्षेत्र से कानपुर के लिए स्थानान्तरित कर दिये गये? यदि हां, तो क्या इन्हें राठ क्षेत्र में पुनः स्थानान्तरित करने की कृपा करेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर की ममरौठ, चिकासी एवं मैडी लिफ्ट कैनाल्स के निर्माण हेतु सर्वेक्षण

90—श्री राम सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1987 में मुख्य मंत्री द्वारा हमीरपुर जनपद में घोषित तीन लिफ्ट कैनाल्स 1—ममरौठ, 2—चिकासी तथा 3—मैडी का निर्माण अभी तक नहीं हुआ? इसका निर्माण कब शुरू होगा और कब तक पूर्ण होगा?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां।

प्रश्नगत तीनों पम्प नहर बेतवा नदी पर बनाये जाने हेतु प्राथमिक सर्वेक्षण किया गया जिसमें यह पाया गया कि इनका निर्माण सम्भव नहीं है क्योंकि बेतवा नदी पर राजघाट का निर्माण हो जाने के बाद रबी में पानी नहीं बचेगा।

91—श्री राम आसरे वर्मा—

[दिनांक 22-2-89 को अता० प्र० सं० 2 द्वारा उत्तरित]

जनपद बांदा के ग्राम सभापुर और रेहुटा की नहर बरवारा पम्प कैनाल नं० 2 को अविलम्ब चालू कराने हेतु पत्र

92—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० घ० 21737, दिनांक 19-10-87 जनपद बांदा की कर्वी तहसील के ग्राम रेकुटा के ग्राम प्रधान श्री जयकरण प्रसाद के संलग्न पत्र के साथ पयस्वानी डाईवर्जन की नहर बरवारा पम्प कैनाल नं०-2, ग्राम सभापुर तथा रेहुटा को अविलम्ब चालू कराने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पम्प कैनाल कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगा?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

93—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[6वें बुधवार के लिए स्थगित]

जनपद फैजाबाद स्थित सुहावल विद्युत गृह चालू कराने की मांग

94—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित सुहावल विद्युत गृह कितने दिन से बन्द पड़ा है तथा इसके बन्दी का क्या कारण है ? उक्त विद्युत गृह को पुनः कब तक चालू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सोहावल विद्युत गृह 30 जून, 1985 को स्थायी रूप से बन्द कर दिया गया । इसके बन्द करने का कारण मशीनों का पुराना हो जाना, वांछित किस्म का कोयला उपलब्ध न होना तथा उत्पादन दर में वृद्धि होना है ।

उपरोक्त कारणों से विद्युत गृह को पुनः चालू करना सम्भव नहीं है ।

इलाहाबाद जनपद के झूंसी क्षेत्र में जल निकासी हेतु स्वीकृत योजनाओं को पूर्ण कराने की मांग

95—श्री महेन्द्र प्रताप सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के झूंसी विधान सभा क्षेत्र में जल निकासी हेतु स्वीकृत योजनाएं कब तक पूरी हो जायेंगी ? अब तक इन कार्यों के पूरा न होने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इलाहाबाद जनपद के झूंसी क्षेत्र में नलकूप लगाये जाने हेतु सर्वेक्षण

96—श्री महेन्द्र प्रताप सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि इलाहाबाद जनपद के झूंसी विधान सभा क्षेत्र को 1,718 हेक्टेयर भूमि शासन सहायक कमाण्ड से इस आशय से खारिज कर दिया है कि इस भूमि में नहरों से सिंचाई होना असम्भव है ? क्या इस खारिज किये क्षेत्र में केवल नलकूपों से सिंचाई हो सकती है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र में शीघ्र नलकूपों की व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

नलकूप लगाये जाने की सम्भावना के सम्बन्ध में प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराया जा रहा है ।

97—श्री राम आसरे वर्मा—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

98—श्री राम आसरे वर्मा—

[दिनांक 22 फरवरी, 1989 को अता० प्र० सं० 56 द्वारा उत्तरित]

99—श्री राम आसरे वर्मा—

[दिनांक 22 फरवरी, 1989 को अता० प्र० सं० 23 द्वारा उत्तरित]

तिंदवारी (बांदा) के हाट निरीक्षक की हत्या में विभागीय जांच एवं कर्मचारियों का निलम्बन

100—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री को जानकारी है कि तिंदवारी (बांदा) में गत 17 मई, 1988 को हाट निरीक्षक श्री यतीन्द्र नाथ वर्मा को सरकारी कार्य करते समय जघन्य हत्या कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उसकी विभागीय जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो दोषी पाये गये विभागीय कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या स्व० श्री वर्मा के परिवार को देय अन्तिम पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुतोषिक ग्रुप इंश्योरेंस तथा जी० पी० एफ० लिंक्ड इंश्योरेंस की राशि का भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? लम्बित भुगतान कब तक कर दिये जायेंगे ? सरकारी कार्य पर कार्य करते समय हत्या के कारण क्या स्व० श्री वर्मा के परिवार को असाधारण पेंशन भी स्वीकृत की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या स्व० श्री वर्मा के किसी आश्रित को सेवा में लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक सेवा में ले लिया जायेगा ?

श्री हुकुम सिंह—

श्री यतीन्द्र नाथ वर्मा, हाट निरीक्षक, तिंदवारी (बांदा) की हत्या दिनांक 17 मई, 1988 को नहीं बल्कि 27 मई, 1988 को की गई थी। सूचना प्राप्त होने पर उप संभागीय विपणन अधिकारी, बांदा से जांच कराई गई। जांच में ज्ञात हुआ कि पुलिस तफतीश के दौरान विभाग के 2 कर्मचारी सर्वश्री कैलाश नारायण श्रीवास्तव तथा दयाराम चौकीदार को पुलिस द्वारा धारा 302/436 के अन्तर्गत हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया। फलस्वरूप दोनों कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया। न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

स्व० श्री वर्मा के परिवार को देय अन्तिम पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन अनुतोषिक ग्रुप इंश्योरेन्स का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है क्योंकि फैजाबाद/गोरखपुर/वाराणसी तथा हल्द्वानी संभाग से अदेयता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अदेयता प्रमाण-पत्र प्राप्त होते ही समस्त देयों का भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जायेगा। अदेयता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

जी० पी० एफ० का भुगतान कर दिया गया है।

जी नहीं।

इस दिशा में कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

स्व0 वर्मा के आश्रित को अभी सेवा में नहीं लिया गया है क्योंकि एक याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 17 फरवरी, 1988 को आदेश दिया है कि रिक्त लिपिक के पद को अंतिम निर्णय तक न भरा जाये। सेवा में लिये जाने के सम्बन्ध में खाद्यायुक्त द्वारा अरेक्षित आदेश संभागीय खाद्य नियंत्रक, झांसी को भेज दिये गये हैं।

विकास खण्ड हलधरमऊ में स्थित कुकुही ताल ड्रेन हेतु प्राप्त धनराशि एवं कृत निर्माण कार्य

101--श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आंशिक रूप से पटटे पुराने कुकुही ताल के जीर्णोद्धार हेतु सिंचाई खण्ड मुख्य कार्यालय जनपद गोण्डा ने वर्ष 1984 से दिसम्बर 1988 तक प्राप्य विकास अभिकरण गोण्डा से कितना धन प्राप्त किया है ? योजनानुसार 1983 तक कार्य पूरा न होने के लिये दोषी कौन है ? ड्रेन का संगम स्तर तक निर्माण कब तक हो जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

विकास खण्ड हलधरमऊ में स्थित कुकुही ताल ड्रेन हेतु सिंचाई विभाग, गोण्डा को 1.60 लाख रु0 नकद धनराशि एवं 0.225 लाख रु0 खाद्यान्न के रूप में प्राप्त हुआ था।

प्राप्त धनराशि से ताल से 1.44 किलोमीटर लम्बाई में नाले का निर्माण एवं 3.51 किलोमीटर लम्बाई में पुराने नाले के पुनरोद्धार की योजना पूर्ण की जा चुकी है तथा ड्रेन से सम्बन्धित प्रस्तावित कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं

102--श्री यदुनाथ सिंह--

[6 वें बुधवार के लिये स्थगित]

सूती मिलों के कर्मचारियों तथा मजदूरों को राज्य कर्मचारी बीमित श्रेणी सुविधायें प्रदान करने की मांग

103--श्री राम सागर यादव सिंह--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश वस्त्र निगम के मुख्यालय पर काम करने वाले कर्मचारी राज्य कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं ? यदि हां, तो शासन वस्त्र निगम द्वारा संचालित सूती मिलों के कर्मचारियों तथा मजदूरों को भी राज्य कर्मचारी घोषित करके उनको मिलने वाली सुविधायें देने पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 वस्त्र निगम द्वारा संचालित मिलों के श्रमिकों का वेतन बढ़ोत्तरी पर विचार

104--श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश वस्त्र निगम द्वारा संचालित मिलों के श्रमिकों को अक्तूबर, 1985 से 100 रुपया प्रतिमाह वेतन बढ़ोत्तरी करने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो घोषणा कब तक की जायगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सुल्तानपुर, सिंचाई विभाग में मस्टररोल पर कार्यरत कर्मचारियों का विवरण

105--श्री राज किशोर सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग, सुल्तानपुर में किस-किस सन् से खण्डवार कितने कर्मचारी मस्टररोल पर किन-किन पदों पर कार्यरत हैं और उनके नाम क्या हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सरयू नहर परियोजना प्रथम खण्ड मोतीपुर बहराइच का माल खरीदे व लेबर पेमेन्ट विषयक पत्र पर कार्यवाही

106--श्री मधुनाथ सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि सरयू नहर परियोजना प्रथम खण्ड मोतीपुर बहराइच द्वारा वर्ष 1984-85 से 1987-88 तक माल की खरीद व लेबर के पेमेन्ट के बारे में तत्कालीन विधान परिषद् सदस्य खान अबदुल मदूद खाँ का पत्र सं0 1112 सचिव, सिंचाई विभाग को दिनांक 13-10-88 का मिला है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

107--श्री राम आसरे वर्मा--

[6वें बुधवार के लिये स्थगित]

जनपद गोरखपुर में ताड़ी की दुकानों की नीलामी पद्धति समाप्त होने पर स्थायी प्रबन्ध करके ठेकेदार दुकानदार की अपील आबकारी आयुक्त द्वारा निरस्त किया जाना

108--श्री मनेजर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के सेक्टर 1 व 2 में ताड़ी दुकानों की नीलामी पद्धति समाप्त होने पर स्थायी प्रबन्ध कब और किस तिथि से

किया गया और क्या स्थायी प्रबन्ध के सम्बन्ध में शिकायतें जिला प्रशासन को या प्रदेश प्रशासन को प्राप्त हुई थी जिनकी जांच तत्कालीन जिलाधिकारी श्री दिनेश राय ने अपने कार्यकाल में कराया या जिनके फलस्वरूप दुकानें निरस्त हुई थी ? यदि हां, तो शिकायतें क्या थीं और जिलाधिकारी की जांच का निष्कर्ष क्या था और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने पर जनपद गोरखपुर में सेक्टर 1 व 2 की ताड़ी की दुकानों की स्थायी प्रबन्ध दिनांक 4-1-85 को किया गया था ।

जी हां ।

फलस्वरूप 6 दुकानों के अनुज्ञापन निरस्त किये गये ।

मुख्य शिकायतें यह थीं कि अनुज्ञापन बकाएदार, सजायाफ्ता एवं अपात्र व्यक्तियों को दिये गये । जिलाधिकारी की जांच का निष्कर्ष यह था कि छः दुकानें अपात्र व्यक्तियों को गयी । अतएव जिलाधिकारी ने छः दुकानों के अनुज्ञापन निरस्त कर दिये ।

छः निरस्त किये गये अनुज्ञापनों में से तीन के अनुज्ञापियों ने आबकारी आयुक्त के समक्ष अपील दायर की । अपील की सुनवाई में आबकारी आयुक्त द्वारा यह पाया गया कि दो अनुज्ञापी वास्तव में बकायेदार नहीं थे, अतः उनके अनुज्ञापन पुनः स्थापित कर दिये गये । एक अपीलकर्ता अनुज्ञापी बकायेदार पाया गया, अतः उसकी अपील आबकारी आयुक्त द्वारा निरस्त कर दी गयी ।

जनपद बलिया के अन्तर्गत दोहरीघाट सहायक परियोजना की राजबाहा टूटने के फलस्वरूप फसल की हुई क्षति में कृषकों को प्रतिकर की स्वीकृति

109--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 4/5 दिसम्बर, 1986 को जनपद बलिया के अन्तर्गत गांव दोहरीघाट सहायक परियोजना के पन्द्रह राजबहा के टूटने के फलस्वरूप जल प्लावन से 25 एकड़ जमीन की फसल नष्ट होने के सम्बन्ध में श्री रघुनाथ पाण्डेय आदि निवासी--ग्राम इन्दौली-मलकौली, तहसील रसड़ा, जनपद बलिया का कोई प्रार्थना-पत्र माह अगस्त, 1988 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वह पत्र क्या है और उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्री रघुनाथ पाण्डेय आदि निवासी ग्राम इन्दौली-मलकौली, तहसील रसड़ा, जनपद बलिया का प्रार्थना-पत्र, दिनांक अगस्त, 1988 उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । इस विषय में स्थिति यह है दिनांक 4/5 दिसम्बर, 1986 को जनपद बलिया के अन्तर्गत दोहरीघाट सहायक परियोजना की पन्द्रह राजबाहा टूटने के फलस्वरूप फसल को जो क्षति हुयी थी उसका सर्वेक्षण कराकर प्रभावित कृषकों को प्रतिकर बांटने के लिये प्राक्कलन सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है तथा प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

बांदा जिले में राजापुर के पास किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने हेतु समता वृद्धि का प्लान सर्वे के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

110—श्री राम सजीवन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में यमुना नदी पर राजापुर के पास निर्मित लिफ्ट सिंचाई योजना की समता में वृद्धि करने हेतु कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि इस योजना की नहरें समुचित तरीके से ठीक समय पर नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं दे पाती हैं ? यदि हां, तो किसानों को अधिक मात्रा में पानी उपलब्ध कराने हेतु समता वृद्धि का कोई प्लान सर्वे तैयार कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक तथा उसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ?

अलीगढ़ के अधीन कोयला संचालन खण्ड में कोल हैंडलिंग कार्यों के लिए विभिन्न फार्मों द्वारा ठेकेदारों से अनुबन्ध

111—श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर, अलीगढ़ के अधीन कोयला संचालन खण्ड में कोल हैंडलिंग कार्यों के लिए विभिन्न फर्मों ठेकेदारों से अनुबन्ध किए गए हैं ? यदि हां, तो किन-किन फार्मों से किन-किन कार्यों के लिए अनुबन्ध किए गए हैं तथा अनुबन्ध की अवधि/ठेकेदारों द्वारा कार्य किये जाने की अवधि क्या है ? ठेकेदारों द्वारा परिषद् से किए गए अनुबन्धों के अन्तर्गत नियोजित श्रमिकों को देय मजदूरी की दर, कार्य की प्रकृति क्या है ? ठेकेदारों के माध्यम से कोल हैंडलिंग कार्यों के लिए नियोजित, प्रत्येक श्रमिक से अनुबन्ध की तिथि से 1 अगस्त, 1988 तक कितने दिवस कार्य लिया गया है तथा उन्हें कितनी मजदूरी का भुगतान किया गया है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

विवरण संलग्न है।

ठेकेदारों द्वारा परिषद् से किए गए अनुबन्ध के अन्तर्गत नियोजित श्रमिकों को मजदूरी की दर न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं की जा सकती है। अनुबन्धित समय में न्यूनतम मजदूरी की दर रु0 20·15 है। कार्य की प्रकृति संलग्न सूची* में अंकित है।

अनुबन्ध चूंकि कार्य के लिए किए गए हैं, ठेकेदार द्वारा अमुक श्रमिक से 1 अगस्त, 1988 तक कितने दिन कार्य लिया गया इसका परिषद् के पास विवरण नहीं रहता। ठेकेदार श्रमिकों को बढ़ाता घटाता रहता है तथा श्रमिक भी आते जाते रहते हैं। उनकी उपस्थिति के अनुसार ठेकेदार भुगतान करता है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 120 पर।

बेतवा प्रखण्ड उरई के लोहागढ़ सेक्शन के अवर अभियन्ता के विरुद्ध निर्माण कार्य न कराये जाने पर कृत कार्यवाही

112—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि बेतवा प्रखण्ड उरई के लोहागढ़ सेक्शन के अवर अभियन्ता श्री दुर्योधन सिंह को ग्राम साकिन, छेवटा, अदा लोहागढ़ सहित प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र के अन्य ग्रामों में सिंचाई गूलों एवं नालियों का पक्का बनाये जाने का कार्य गत वर्ष स्वीकृत कर कराने के लिए दिया गया था लेकिन पक्की नालियों का निर्माण आज तक नहीं कराया गया है ? क्या मंत्री जी उक्त अवर अभियंता द्वारा प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में पक्की नालियों के कराये गये निर्माण का स्थल निरीक्षण कराकर दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

लोहागढ़ सेक्शन में कार्यरत अवर अभियन्ता श्री दुर्योधन सिंह द्वारा 1324·00 मीटर लम्बी पक्की गूलों का निर्माण करा दिया गया है । शेष 476 मीटर पक्की गूलों का निर्माण कार्य मार्च, 1989 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

जी नहीं ।

चूंकि प्रश्नगत कार्य प्रगति पर है, अतः किसी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

घोषी संसदीय क्षेत्र के विकास खण्ड की ग्राम सभाओं का विद्युतीकरण

113—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि घोषी संसदीय क्षेत्र के विकास खण्डों के सभी ग्राम समाओं को विद्युतीकरण से सरकार लाभांवित कराने जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र से सटे विकास खण्ड सोयर व नगरा का भी उसी प्रकार सम्पूर्ण ग्राम का ग्रामीण विद्युतीकरण कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

सीमित संसाधनों के कारण यह अभी सम्भव नहीं है ।

जिला मथुरा में ब्योहई बिजाहुरी नाले के निर्माण में किए गये घोटाले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

114—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी में है कि प्रश्नकर्ता ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 19 अप्रैल, 1987 को जिला मथुरा में ब्योहई बिजाहुरी नाले के निर्माण में किये गये

घोटाले के बारे में दिया था ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी ने की ? कौन-कौन सी शिकायतें सही पाई गई और कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये ? क्या शासन दोषी पाये गये अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19 अप्रैल, 1987 उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

टिहरी बांध से विस्थापित भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का पुनर्वासन

115—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी बांध से विस्थापित होने वाले खेतिहर भूमिहीन मजदूरों को जो डूब क्षेत्र के मूल निवासी हैं, पुनर्वास के लिए अन्य डूब क्षेत्र के भूमिधर किसानों की तरह लाभान्वित करने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो सन् 1987 के अन्त तक कितने भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को पुनर्वासित किया गया है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी:—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

टिहरी बांध डूब क्षेत्र के अन्तर्गत भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के परिवार को भूमि एवं धन देने की मांग

116—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि टिहरी बांध डूब क्षेत्र के अन्तर्गत कितने परिवार भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के हैं और उन्हें पुनर्वासित करने हेतु कितनी भूमि और पैसा दिया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आगरा जनपद के विधानसभाई क्षेत्र में सहपऊ आदि में कृत राजवाहा प्रणालियों का सफाई कार्य

117—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र आगरा जनपद के सहपऊ, बरहन तथा फिरोजाबाद राजबाहों तथा उनकी माइनरों की सफाई में मौजूदा वित्तीय वर्ष में कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई है ? क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि उपरोक्त राजबाहों तथा उनकी माइनरों पर नाममात्र की सफाई की गई है और सभी नहरें माइनरें तथा उनकी पटरियां आज भी खंडहर बनी पड़ी हैं ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उक्त राजबाहों की सफाई के कराये गये कार्यों की जांच किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी से कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

माननीय विधायक के विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आगरा में पड़ने वाली सहपऊ बरहन व फिरोजाबाद राजवाहा प्रणालियों के जिन भागों में वर्ष 1988–89 में फरवरी, 1989 तक सफाई कार्य किया गया, उनका विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रमांक	राजवाहा प्रणाली का नाम	वर्ष 1988–89 में सफाई की धनराशि
1	2	3
		(रुपये में)
1	सहपऊ	1,12,613.00
2	बरहन	91,493.00
3	फिरोजाबाद	8,622.00
	योग ..	2,12,728.00

जी नहीं ।

उपरोक्त नहर प्रणाली की व्यय अनुसार वांछित सफाई कराई गई है।

शासनादेश संख्या 3756/एमी/85/23/सि/9/352/एस. जी/85, दिनांक 10 अक्तूबर, 1985 के अधीन गठित जांच समिति द्वारा वर्ष 1988–89 में प्रश्नगत नहरों पर हुए सफाई कार्यों को संतोषजनक पाया गया । अतः पुनः किसी तकनीकी अधिकारी से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

समिति द्वारा जांच की जा चुकी है व कार्य संतोषजनक पाया गया ।

जनपद जौनपुर में सोनउरा पम्प कैनाल एवं गौरा पम्प कैनाल सुचारु रूप से चलाने हेतु कृत कार्यवाही

118—श्री अर्जुन सिंह यादव—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर में सोनउरा पम्प कैनाल एवं गौरा पम्प कैनाल ठीक से नहीं चल रही है ? क्या मंत्री जी किसानों के हित में उक्त पम्प कैनालों को सुचारु रूप से चलाने हेतु अपेक्षित सुधार की व्यवस्था करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

प्रश्नगत पम्प नहरों को सुचारु रूप से चलाने हेतु नहर की जल वितरण प्रणाली में सुधार, पम्प हेड पर वार्जमशीन एवं इससे जुड़े हुए उपकरणों पर मरम्मत के कार्य कराने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है ।

वाराणसी मृतक श्री राजबली, लाइनमैन, विद्युत् वितरण खंड, गोपीगंज के आश्रित को नौकरी देने की कार्यवाही

119—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राजबली, लाइनमैन, विद्युत् वितरण खंड, गोपीगंज, वाराणसी की सेवा अवधि में ही असामायिक मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो श्री राजबली के आश्रित को अभी तक मृतक आश्रित नियमावली के तहत नौकरी दे दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

श्री राजबली, लाइनमैन दिनांक 1-3-1977 से कार्यस्थल से गायब थे। इसी दौरान दिनांक 16-1-1978 को उनका स्थानान्तरण मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, वाराणसी द्वारा उनकी स्वेच्छा से विद्युत् वितरण मण्डल, आजमगढ़ कर दिया गया था और कार्य मुक्त आदेश की प्रति उन्हें दिनांक 16-2-1978 को हस्तगत करा दी गयी थी।

जी नहीं, क्योंकि राजबली की मृत्यु के विषय में कोई अधिकृत सूचना न तो विद्युत् वितरण खंड, गोपीगंज, वाराणसी को है और न ही आजमगढ़ को और न ही मृतक आश्रित ने कोई अधिकृत मृत्यु प्रमाण-पत्र कार्यालय को प्रेषित किया। मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा आवेदिका का उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

झांसी जिले में चयनित ग्रामों एवं विकास खंड बामौर तथा गुरसराय का विद्युतीकरण

120—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले में वर्ष 87-88 के लिए किन विकास खंड के किन ग्रामों का विद्युतीकरण होने को स्वीकृति की गई थी तथा उन ग्रामों का विद्युतीकरण कब किया गया ? क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि ग्राम लोहागढ़ जोरा, सेंसा तथा ब्लाक बामौर एवं गुरसराय के स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण जुलाई, 88 तक न किये जाने का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

झांसी जिले में वर्ष 1987-88 में विद्युतीकरण हेतु चयनित ग्रामों तथा उनके विद्युतीकरण की स्थिति विकास खंडवार संलग्न* है।

ग्राम लोहागढ़, सेंसा तथा विकास खंड बामौर एवं गुरसराय के शेष ग्रामों का विद्युतीकरण संसाधनों की कमी के कारण नहीं किया जा सका। ग्राम जोरा का विद्युतीकरण राज्य सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित है और वांछित प्रतिलाभ उपलब्ध न होने के कारण नहीं किया जा सका।

नलकूप संख्या 310/एक्यू, जनपद फैजाबाद में जालसाजी कर नियुक्ति विषयक प्रार्थना-पत्र

121—श्री राजकिशोर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप संख्या-310/एक्यू जनपद फैजाबाद में वर्ष 1983 में जालसाजी कर नियुक्ति कराने के सम्बन्ध में श्री तेजप्रताप

*(देखिये परिशिष्ट 'घ' आगे पृष्ठ 122 पर)

सिंह का प्रार्थना-पत्र दिनांक 28-6-1988 उनको प्रशिक्षण अभियन्ता को तथा अधिशासी अभियन्ता नलकूप को प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नियम 301 की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

(समय 12 बजकर 20 मिनट पर)

नियम 301 के अन्तर्गत 24 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर ग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गई हैं :—

पहली सूचना, डाक्टर विनेश जोहरी जी की, दूसरी सूचना श्री सुन्दर लाल जी की, तीसरी सूचना श्री मोहम्मद मसूद खां जी की, चौथी सूचना, श्री सूर्य प्रताप शाही जी की, पांचवीं सूचना, श्री राम बचन सिंह जी की, छठीं सूचना श्री कुशल पाल सिंह जी की और सातवीं सूचना श्री मनेजर सिंह जी की है ।

इन सभी सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं ।)

बरेली जनपद में जरदोजी कसीदाकारी के व्यवसाय में लगे हजारों कारीगरों की स्वास्थ्य रक्षा के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डाक्टर विनेश जोहरी--

[माननीय बरेली नगर में आजादी से पहले से प्रमुख व्यवसाय के रूप में जरदोजी कसीदाकारी का काम होता है । लगभग 20 हजार पुरुष महिलाएं बच्चे इस कसीदे से में लगे हुए हैं । कारीगर बुश्टों साड़ियां, सलवार, कमीजों, बटुओं आदि पर कसीदाकारी का काम करके उन्हें बाजार में पहुंचाते हैं । काफी तैयार माल अन्य शहरों और विदेशों में भी भेजा जाता है । यह काम कारीगरों से कुछ काम ठेकेदार कराते हैं व कुछ व्यापारी अग्रिम राशि देकर कराते हैं ।

तैयार माल का निर्यात बाहर भेजने की उचित सुविधा न होने से व्यापारियों द्वारा शोषण व सरकारी ऋण की सुविधायें उन तक न पहुंचने के कारण बरेली का यह उद्योग धीरे-धीरे घाटे में आता जा रहा है । इस काम में लगे मजदूरों को तो उचित मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है । जरदोजी से सबसे ज्यादा जोर आंखों पर पड़ता है व जल्दी खराब हो जाती है व उंगलियों के लगातार प्रयोग से उसमें कम्पन पैदा हो जाती है । जिससे उपचार कायदे से न होने से मजदूर बेकार हो रहे हैं ।

अतः मैं मांग करता हूं कि जरदोजी के व्यवसाय की तरक्की व कारीगरों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए सरकार तुरन्त कदम उठायें व व्यवसाय लाभकारी बनाये रहने के लिए हर सम्भव प्रयास करें । जिससे यह व्यवसाय मरने से बच सके ।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जिला बहराइच के सार्वजनिक निर्माण विभाग में निर्माण इकाई के अभियन्ताओं द्वारा कथित रूप से किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुन्दर लाल--

[माननीय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन एवं शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं।

विभागीय निर्माण इकाई, सा0 नि0 वि0, बहराइच के अभियन्ताओं द्वारा अक्टूबर, 1988 से आज तक भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। विशेषकर वे अभियन्ता इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष से कम है। घाघरा घाट के पुल के पथकर वसूली का ठेका 42 लाख रु0 में 3 वर्ष के लिए बिना पटटे के दे दिया जबकि दूसरा ठेकेदार इस ठेके को 70 लाख रुपये में लेना चाहता था दिनांक 9 फरवरी, 1989 से 19 फरवरी, 1989 तक उक्त घाट का विभाग द्वारा पथकर वसूला गया जो 70 हजार के लगभग है। इस तरह से शासन का प्रति वर्ष 28 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया है। चहलारी पीपे के पुल से बंग विभाग से ली गई लकड़ी (स्लीपर) लाखों रु0 में बेचकर हड़प गये हैं। इसकी शिकायतें जन-प्रतिनिधियों ने की हैं। शासन की छवि धूमिल हो रही है और जनता में रोष, क्षोभ, असंतोष व्याप्त हो गया है।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि सम्पूर्ण मामले की जांच प्राविधिक कोष्ठ से कराई जाए और उसमें दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर दण्डित किया जाय।]

जिला आजमगढ़ की मोहम्मदपुर ब्लाक में सिंचाई विभाग द्वारा स्वीकृत पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद मसूद खां--

[माननीय, जनपद आजमगढ़ में सिंचाई विभाग खंड-32, ब्लाक मोहम्मदपुर में मुलनापुर ड्रेन पर सन् 1978 में चार पुल पास हुए और बन भी स्वीकृत किया गया। परन्तु तीन पुल अधूरे बिना छत के और एक बिल्कुल नहीं बनाया गया ग्राम रूआं के पास लखनऊ बलिया रोड ग्राम रूआं व ग्राम फतुपट्टी के बीच शारदा सहायक नहर जाती है। इसी तरह से लखनऊ, बलिया रोड व ग्राम असोलपुर के बीच यही नहर जाती है, परन्तु बार-बार अनुरोध करने एवं लिखने पर भी उक्त दोनों गांवों के लोगों के आने-जाने के लिए उचित जगह पर पुल नहीं बनाया जा रहा है जिससे इन गांवों के लोगों के आने-जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और कई दुर्घटनायें हो गई हैं जिससे जनता के अन्दर काफी रोष एवं आक्रोश पैदा हो गया है जो जन आन्दोलन का रूप भी ले सकता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि सरकार शीघ्र इन गांवों को नहरों के पुलों की व्यवस्था करें।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिला देवरिया की पथरदेवा ब्लाक में पथरदेवा में पानी की टंकी बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सूर्य प्रताप शाही—

[मान्यवर, देवरिया जनपद का पथरदेवा विकास खण्ड बिहार सीमा पर स्थित होने के कारण अत्यन्त पिछड़ा और उपेक्षित है। जिसमें प्रत्येक वर्ष 30 से 35 व्यक्तियों की मृत्यु गेस्ट्रो, हैजा, इन्सेफेलाइटिस से होती है। जल स्तर ऊंचा होने से गांवों में पेय जल का गंभीर संकट है जिससे सैकड़ों व्यक्ति घे-घे, फिलपाव तथा हैजे जैसे बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। इन्हीं कारणों से वर्ष 1980 में जल निगम द्वारा पेयजल समूह योजना द्वारा पानी की टंकी के निर्माण की योजना स्वीकृत हुई किन्तु भूमि विवाद न्यायालय में चले जाने के कारण निर्माण न हो सका। अब वहां भूमि उपलब्ध है।

मेरे द्वारा आवेदन-पत्र देने पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने सी० एम० वि० को०/एम०-2/3-183/गो०-80, दिनांक 5 जनवरी, 1988 तथा सी० एम० वि० को०/एम०-2/27-186/गो०-88, दिनांक 2 मई, 1988 द्वारा नगर विकास सचिव, उत्तर प्रदेश को स्पष्ट आदेश दिए थे कि "पथरदेवा में पेय जल टंकी बना दिया जाय" नगर विकास सचिव ने भी 20 दिसम्बर, को इसी आशय के आदेश प्रबन्ध-निदेशक जल निगम को दिए जिस पर उन्होंने आगणन और योजना तैयार कर न्यूनतम आवश्यकता कार्य-क्रम के अन्तर्गत पेयजल टंकी का प्रस्ताव बनाने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर को दिए जिस पर प्राक्कलन और आगणन तैयार कर भेज दिया है किन्तु उसे शासन द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में सम्मिलित न करने से निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है, जिससे स्थानीय जनता में निराशा और क्षोभ व्याप्त है तथा लाखों लोग शुद्ध पेयजल से वंचित हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वर्षों से लम्बित पथरदेवा पेयजल समूह योजना के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में सम्मिलित कर पेयजल टंकी का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ कराने की मांग करता हूं।]

जिला गाजीपुर की ब्लाक बिरनों में भोजपुर पंसेरवा से हरिहरपुर नखतपुर तक का मार्ग लेपन स्तर तक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम जनम सिंह—

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व के जनपद गाजीपुर के विकास खंड बिरनों में भोजपुर पंसेरवा से हरिहरपुर नखतपुर तक (लम्बाई 6 कि० मी०) मार्ग को लेपन स्तर तक बनाने के लिए आकृष्ट करता हूं यह सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मिट्टी, पुलिया और खड़ंजे स्तर तक बनाई गई है। इस मार्ग से कई हजार जनता को आने-जाने की सुविधायें हैं। इस सड़क को लेपन स्तर तक बनाने के लिए वहां के कई हजार कृषकों तथा अन्य लोगों ने धरना एवं प्रदर्शन भी किया। लेकिन अभी तक यह सड़क नहीं बनी इसलिए वहां के लोगों में क्षोभ है।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपसे निवेदन है कि सरकार को निर्देशित कर उपरोक्त सड़क का निर्माण लेपन स्तर तक करवाने का कष्ट करें। जिससे कि वहां के कई हजार जनता को इस सड़क से सुविधा मिल सके।]

जिला गाजीपुर की ब्लाक बाराचवर में मलनी कला से गोसलपुर मार्ग को लेपन स्तर तक बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुशल पाल सिंह—

[माननीय, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व को जनपद गाजीपुर के विकास खंड बाराचवर में मलनी कला से गोसलपुर मार्ग (लम्बाई 7 कि0 मी0) को लेपन स्तर तक बनवाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा खड़बे स्तर तक बनाया गया है इसमें मिट्टी और गिट्टी का कार्य बहुत ही कम मात्रा में किया गया है। इस सड़क पर पतार गांव के सामने पुलिया न बनने के कारण लोगों में काफी असंतोष एवं क्षोभ व्याप्त है। इस पुलिया को बनाने के लिए वहां के कई हजार लोगों ने धरना एवं प्रदर्शन भी किया लेकिन अभी तक वहां पुलिया का निर्माण नहीं किया गया है जिसके कारण अभी भी वहां के लोगों में काफी असंतोष व्याप्त है।

अतः आपसे निवेदन है कि सरकार को निर्देशित कर उपरोक्त सड़क एवं पुलिया को यथाशीघ्र धन विलंकर बनवाने का कष्ट करें ताकि वहां के हजारों लोगों को इस सड़क से लाभ मिल सके।]

जिला बलिया में गंगा नदी के दक्षिणी क्षेत्र में राजकीय चिकित्सालय में चिकित्साधिकारी की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मैनेजर सिंह—

[माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

बलिया जनपद में गंगा नदी के दक्षिणी क्षेत्र के 30,000 से अधिक आबादी के मध्य केवल एक राजकीय चिकित्सालय ग्राम नौरंगा में स्थित है। वह चिकित्सालय जब से स्थापित हुआ है तब से आज तक वहां चिकित्साधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है। गंगा पार की जनता को चिकित्सा सुविधा का नितान्त अभाव है किसी भी रोगी को चिकित्सा हेतु गंगा नदी पार कर 7-8 कि0 मी0 आना पड़ता है जिससे वहां के नागरिकों में सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण क्षोभ और रोष व्याप्त है।

इसके अतरिक्त दोआबा निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी महिला चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है। एलोपैथी अस्पताल बलिहार, आयुर्वेदिक अस्पताल जमालपुर खाली पड़े हैं।]

अतः उपरोक्त विषम परिस्थिति को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर शासन से तत्काल चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की अपेक्षा करता हूं।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिनांक 6 मार्च, 1989 को शिवरात्रि के पर्व पर बनारस की पुलिस द्वारा श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी के साथ किये गये अभद्र व्यवहार विषयक सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एक बहुत ही गम्भीर व दुखद मामला आपके संज्ञान में है। आज बड़े दुख के साथ उस घटना को इस आदरणीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। यह सबको मालूम है कि श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी इस शासन के मंत्री भी रहे हैं और हमारे दल के उपनेता भी रहे हैं। उनके स्वभाव व व्यवहार व उनकी शालीनता से सारा सदन अवगत है। मान्यवर, आपको इस बात की जानकारी होगी इस आदरणीय सदन में बनारस की पुलिस के खिलाफ मेरे दल ने और बहुत से माननीय सदस्यों ने, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता की दुखद हत्या का मामला यहां पर उठाया था, उसका परिणाम यह हो रहा है कि शासन ने आज तक कोई कारगर कार्यवाही दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ नहीं की और आज इनकी पुलिस ने बदले की भावना से सदस्यों के साथ अपमानजनक व दुखद व्यवहार करना आरम्भ कर दिया है। एक टेलीग्राम श्री हरीश जी का कल प्राप्त हुआ है। शिवरात्रि के महापर्व पर माननीय श्री हरीश जी अपने परिवार के लोगों के साथ गंगा स्नान करने जा रहे थे। उनका सिर्फ इतना अपराध था कि उन्होंने लक्सा थाने के पास अपनी गाड़ी को रोक कर कान्सटेबिल से इतना जानना चाहा कि कार पार्किंग की जगह कहां है। जिस समय मैंने यह सूचना आपको दी थी, उस समय श्री हरीश जी वहां पर नहीं थे किन्तु अब वह आ गये हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि उन्हें सुना जाये। सरकार ने उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है, उसके बारे में शासन बतायें।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि पूरे सदन में माननीय विधायक चाहे वे सत्तापक्ष के हों या विपक्ष के हों, सुनने का कष्ट करेंगे और आपके माध्यम से शासन से चाहूंगा कि विधायकों में मैं कोई विशेष विधायक नहीं हूं। परिवार में, गांव, में समाज, पार्टी में और इस सदन में जबकि मेरी 64 साल की जिन्दगी पूरी हुई है और घटना के दिन मेरा जन्म दिन था और 65वां वर्ष आरम्भ हो गया।

मान्यवर, मैं ईश्वर की शपथ लेकर कहता हूं कि कभी किसी ने मुझे "तुम" भी नहीं कहा था। कभी किसी ने मेरे विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। मैंने इस सदन में भी मन्त्री के नाते ढाई साल बितायें, यह पांचवा साल चल रहा है, सदन का सदस्य हूं। मैंने कभी भी किसी से अपशब्द या कोई ऐसी बात नहीं सुनी। सारा प्रशासन बनारस का जिला, 6 तारीख को रात्रि से लेकर जब तक मैं चला हूं, 12-12 और 16-16 जीपें खड़ी रहीं, कहा गया कि हरीश जी नाम बता दिये हैं तो शायद बात बन जाती। "हरीश जी" एक व्यक्ति हैं "विधायक" एक संस्था है। मेरा शंडो बार-बार चिल्ला रहा था कि "विधायक है" "विधायक है", बाद में कहा "हरीश जी" मान लिया होता। "हरीश" एक व्यक्ति हैं 'विधायक" एक संस्था है। शिवरात्रि का पर्व था, मेरा नियम है कि मैं स्नान के समय काशी जरूर जाता हूं। वह मेरा जन्मदिन भी था, मैंने जीप ली, परिवार को और रिश्तेदारों को बिठाया और चल दिया, जीप के ऋण के लिये मुझे 1,250 रु0 किश्त देनी पड़ती है। ड्राइवर रखने की क्षमता नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिहाजा मैं स्वयं गाड़ी चलाता हूं। लक्सा थाने के पास पं० लोकपति त्रिपाठी जी भी आज सदन में मौजूद हैं, वह स्थिति समझते होंगे, लक्सा थाने के पहले जहां रोक लगी थी, मैंने वहां पर गाड़ी खड़ी की। मेरा अभ्यास है कि मैंने आज तक कोई सुविधा नहीं प्राप्त की है। मेरी पत्नी ने कहा, "इस भीड़ में पैदल दौड़ाते हैं, परमीशन क्यों नहीं ले लेते ?" मैंने कहा कि इस भीड़ में अगर गाड़ी चलेगी तो लोगों को असुविधा होगी और जो झंडा गाड़ी पर लगा है, उसका सम्मान नहीं रह जायेगा। मैं वैष्णव देवी गया था, जम्मू कश्मीर सरकार का अतिथि था, लेकिन वहां पर भी मैंने चार घंटे तक लाइन में लगकर तब दर्शन किये।

(श्री लोकपति त्रिपाठी की ओर इशारा करते हुए)

जहां पंडित जी हैं, उससे आगे पर मैंने जीप खड़ी की, सुरक्षा वहां पर थी। लक्सा थाने के पहले रोक थी, वहां से रास्ता पैदल जाता था। उस दिन 6 तारीख को जब गाड़ी खड़ी की, मैंने पूछा, "गाड़ी कहां खड़ी करें ?" शंडो ने बताया, "विधायक जी हैं," कहने लगा "कैसे विधायक, हटाओ गाड़ी", मैंने कहा, सुनो। जगह बता दो, वह बन्दूक लेकर ऐसे दौड़ा जैसे मार देगा और उसने उल्टी करके जब बन्दूक आगे की ओर की तो बन्दूक की क्रीच का एक हिस्सा मेरे गाल और आंख पर लगा। इस चोट के कारण मुझे वहां एक दिन और रुकना पड़ा। वैसे रुकने का एक कारण और भी था, वह बाद में बताऊंगा। जब शंडो ने उसे रोका तब भी वह नहीं माना और कहने लगा, "तुम उतरो गाड़ी से" मैंने सोचा अभी तो गाली है और मारने की कोशिश हो है जब कि शंडो भी मौजूद है, अगर मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो, हो सकता है यह मार ही दे। मैंने देखा बायीं तरफ एक गाड़ी लोकपति जी के घर की तरफ खिसकने लगी, मैं ड्राइवर की सीट पर बैठा हूं, एक लाख रुपये की ऋण गाड़ी है, मैंने सोचा अगर मैं गाड़ी से उतरा तो गाड़ी तोड़ देंगे और मुझे मार देंगे। उसी समय वहां पर पुलिस की एक अल्फा II गाड़ी आकर खड़ी हो गयी उसमें से एक लम्बा-तगड़ा जवान आकर खड़ा हो गया। उसका ड्राइवर मेरे पास आया मैंने जो एस० एस० पी० की चिट्ठी लिखी है उसमें "साले" शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं किया है कि इसको लिख कर मैं अपने आप को गिराऊंगा। उन्होंने कहा नीचे उतरो, जबकि मेरा शंडो बार-बार चिल्ला रहा है कि ये विधायक हैं, विधायक हैं। उसने कहा कि कैसे विधायक, चलो नीचे उतरो। मैंने देखा कि यदि मैं नीचे उतरा तो ये मुझे मार देंगे तो मैंने संयम से काम लिया और शान्ति से सोचा कि यह जो लम्बा तड़ंगा आदमी है यह जरूर ही कोई पुलिस अधिकारी होगा, मेरे दिमाग में यह बात उस समय आयी कि यह तो मेरी बात सुन लेगा। लेकिन उसने कहा इसे हटाओ, कहां से भागे चले आते हैं। जबकि हमारा शंडो बार-बार चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा था कि अरे ये तो विधायक जी हैं, विधायक जी हैं। उसने कहा कि कैसे विधायक हटाओ यहां से गाड़ी। मैं इतना निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में अखबारों में सारी बातें आयी हैं। 7 मार्च, 1985 के दैनिक जागरण ने लिखा है "थाने के पास यातायात रोकने वाले निर्धारित स्थान से पहले ही उन्होंने अपनी जीप रोक ली। अगल-बगल कोई पार्किंग स्थल न देखने पर हरीश जी ने थाने पर तैनात प्रहरी से पूछा कि "मैं, मैं विधायक हूं, जीप कहां खड़ी करनी है ?" इस पर उक्त प्रहरी ने जिसका नाम बाद में पता चला कि वह जी० एन० सिंह है। जीप पर डंडा पटकना शुरू कर दिया। हरीश जी ने जब जीप पर डंडा मारने से मना किया तो उक्त सिपाही उनको फिर मारने दौड़ा। शंडो हरीश जी को बचाने हेतु दौड़ा तब तक उक्त सिपाही ने हरीश जी पर रायफल के कुंदों से प्रहार कर दिया, इससे उनकी दांयी आंख जख्मी हो गयी।"

माननीय, मैंने संयम से काम लिया, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो अखबारों की कटिंग आपको भेजी है उसमें सब लिखा हुआ है। इसके बाद वहां पर

स्थिति विषम हो गयी । औरंगाबाद से लोग भागे हुए आये कि हरीश जी पर पुलिस ने प्रहार कर दिया, मैंने स्थिति को संभाला नहीं तो दूसरा जेतपुर कांड हो जाता ।

जनता के कहने पर मैं नीचे उतर गया । मैंने कहा कि मुझे गाड़ी हटाने के लिए स्थान दो । फिर मैं माननीय कमलापति त्रिपाठी जी के घर की ओर जाने वाले स्थान की ओर गाड़ी ले गया । उसके बाद जब थाने के लोगों ने देखा कि मैं हूं तो वे मेरे पास आये । उस समय के पुलिस कर्मी सज्जन बोलते हैं कि जनता पार्टी वाले हैं, यह क्या कर लेंगे ?

मान्यवर, इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो कुछ उस समय पुलिस का कृत्य था, जीवन में मैंने पहली बार देखा था, मैं सोच रहा था कि जब पुलिस का यह हाल है तो फिर डकैत किस तरह से हमला करते होंगे । डांटना, पीटना, मारना और बेइज्जत करना, कोई बात उसने नहीं छोड़ी । मैंने सोचा कि आज शिवरात्रि का का पर्व है और आज मेरा जन्मदिन भी है, मैं शान्ति रख कर वहां से चला गया । उसके बाद यह घटना तमाम अखबारों में छपी जैसे "दैनिक जागरण, आज्ञोद" तथा "वार्ता" आदि अखबारों में यह घटना छपी । जिसके कारण दूसरे दिन सुबह 7 बजे से ही गाजीपुर, जौनपुर और बलिया आदि से तमाम भीड़ आकर इकट्ठी थी । मैं बड़ा परेशान था लेकिन मैं नियंत्रण में रहा कि अगर कहीं मैंने ही संयम तोड़ा तो ये लोग थाना फूंक देंगे उसके बाद एस० पी० महोदय आये और कहा कि "क्षमा कर दीजिये बड़ी गलती हो गयी है ।" मैंने कहा कि सरे आम तो तुम लोग विधायक को बेइज्जत करो और आज यहां कमरे में आकर माफी मांग लो ।

दूसरे दिन फिर एस० एस० पी० आये और कहते हैं कि सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेंगे । मान्यवर मैं आपके द्वारा अ,पसे चाहूंगा कि आखिर इसमें आपके निर्देश क्या होंगे आपकी व्यवस्था क्या होगी ? विधायक की इज्जत अगर इस तरह से लूटी जायेगी तो कैसे काम चलेगा । मान्यवर, एस० एस० पी० महोदय ने कहा कि जब मैं बच्चा होकर सड़क पर खेलता था, तबसे मैं हरीश जी को जानता हूं कि शायद ही किसी को इनसे शिकायत होगी तो मैंने कहा कि आपकी पुलिस को तो शिकायत कुछ हमसे हो गयी तभी तो उन्होंने पूरे भरे समाज में मेरी इज्जत ले ली । मान्यवर, एक सामाजिक कार्यकर्ता की भांति ईश्वर जानता है कि मैंने जीवन के इन 64 सालों में कुछ नहीं कमाया है, कमाया है अगर तो वह सिर्फ इज्जत ही कमाई है, लेकिन इस सरकार की इस पुलिस ने वह सारी की सारी लूट ली, मेरे पास इस जीवन से पहले भी जो कुछ रहा है, उसे मैंने स्कूल, कालेज और अस्पतालों को दान कर मात्र इस 64 साल की उम्र में जो इज्जत कमाई थी, वह इस सरकार की पुलिस ने हमसे छीन ली, भरे थाने के सामने डकैतों के समान ।

मान्यवर बनारस के त्रिपाठी जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, मैं इनसे बड़ी नम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि बहुत भारी तादाद में बनारस में तरह-तरह की पुलिस भर्ती हो गयी है, लेकिन मैं सब कुछ जानते हुए भी इसीलिए अपने आप को रोके रहा कि कहीं शांति और व्यवस्था न बिगड़ने पाये, इस पर वह पुलिस जन कहते क्या हैं कि जेतपुरा काण्ड हुआ, उसमें भी हम ही लोग थे, उसमें इन लोगों ने क्या कर लिया, जबकि उसमें एक हत्या भी हो गयी थी, जब उसमें यह कुछ नहीं कर पाये तो अब क्या कर सकेंगे । मैं मान्यवर बड़े दुख और दर्द भरे शब्दों में कहना चाहता हूं कि वहां की स्थिति बहुत ही विस्फोटक थी, इन सारी बातों को लेकर, यदि मेरी आंखें उन दिनों यहां आकर आप लोगों को देख लेतीं तो शायद कुछ दुख दर्द हमारा हल्का हो जाता, लेकिन मैं इसी वजह से नहीं आ सका क्योंकि स्थिति वहां की उस समय बहुत ही विस्फोटक थी, अगर मैं वहां से उन दिनों हटता तो अवश्य कुछ न कुछ घटना घट जाती, इस उद्देश्य से मैं नहीं हटा वहां से । इस पर एस० एस० पी०

महोदय ने कहा कि उन दोनों को मैंने लाइन हाजिर कर दिया है, लाइन हाजिर कोई सजा नहीं होती, फिर वह कहते हैं कि आवश्यक कार्यवाही होगी। माननीय, अल्फा जीप 2 पर जो ड्राइवर बैठा था, सन्तरी का नाम तो बी० पी० सिंह था और उन पर जो सिपाही ड्राइवर थे, उन दोनों ने और एक अधिकारी था, जिसे मैंने सोचा कि वह कुछ समझदारी की बात करेगा, लेकिन माननीय, उन्होंने दरिंदों के सरगना के रूप में हमारे साथ व्यवहार किया है...

(शेम शेम की आवाजें)

(व्यवधान)

माननीय, यह तीनों अपराधी हैं और माननीय अल्फा-2 जीप पर जो पुलिस इंस्पेक्टर बैठा था मैं उसका नाम नहीं मालूम कर सका, उस तारीख की उस-अल्फा-2 जीप पर जो ड्यूटी पर था, उससे उसे जाना जा सकता है। समय 1 बजे दिन का था। माननीय, उस दिन मैं सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक स्नान नहीं कर पाया। इस पर एस० एस० पी० ने कहा कि मैं मजबूर हूं उस पर कोई कार्यवाही करने में इसलिए आज शासन के बीच माननीय आपके माध्यम से अपनी बोली रख रहा हूं ताकि इन अपराधियों पर कोई तत्काल कार्यवाही की जाए कहीं ऐसा न हो जाय बनारस के बाला जी पाठक की हत्या काण्ड में हुआ, कहीं उस मामले की भांति यह मामला भी नियन्त्रण के बाहर न चला जाय, जब यह विधायक के साथ दरिंदों की भांति दरिंदगी से हमला किया जा सकता है तो माननीय, एक आम आदमी का क्या हश्र होगा? आप इस बात को समझ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि शासन इस पर विचार करेगा मैं आपके माध्यम से शासन के सामने इन सारी बातों को रख कर जानना चाहूंगा कि इन दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं?

श्री राज किशोर सिंह--]

माननीय, माननीय हरीश जी ने जो घटना का जिक्र किया है, बहुत ही शर्मनाक है और हर तरीके से भर्त्सना योग्य है। सचमुच हरीश जी जैसे बहुत ही सज्जन और सौम्य व्यक्ति के साथ अगर पुलिस ने इस तरह का व्यवहार किया है तो ऐसी पुलिस को सचमुच दण्डित किया जाना चाहिए। हमारा उनसे बहुत गहरा ताल्लुक है हमारी बात कभी भी उनसे दलीय दृष्टिकोण से नहीं होती है। मित्रवत होता है। बस्ती से जरूर विधायक हैं, लेकिन बनारस में रहते हैं, इसलिए बनारस से उनका बहुत गहरा सम्बन्ध है। बनारस की पुलिस का मन बहुत बढ़ गया है और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो बजट का भाषण दिया है [और कह दिया कि पुलिस ने स्थानीय निकायों के चुनाव में हमारा बड़ा सहयोग दिया है इसलिए पुलिस का मन कभी भी गिराना नहीं चाहिये। माननीय, उसी का परिणाम है कि पुलिस का मन बहुत बढ़ गया है। उसका मन इतना बढ़ गया है कि वह विधायक को कुछ नहीं समझती है और इस तरह का व्यवहार हमारे कहने के बावजूद कि हम विधायक हैं, हरीश जी कह रहे हैं कि विधायक हैं शंडो कह रहा है कि विधायक जी हैं, लेकिन फिर भी लखनऊ की पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार किया है वह शर्मनाक है। बन्दूक के कुन्दे से हमला किया, उनकी आंख बाल-बाल बच गयी। दोबारा फिर हमला किया। अगर हरीश जी शांतिपूर्वक ढंग से काम न लेते तो बहुत गम्भीर घटना हो सकती थी।

श्री उपाध्यक्ष—

शासन का जवाब आने दें।

श्री राजकिशोर सिंह—

आप एक मिनट और सुन लें। बनारस में जब से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राय उमापति राय हैं तब से वहां की पुलिस का मन बहुत बढ़ गया है। जब हम दशाश्वमेध घाट अपनी पार्टी के कार्यालय पर जाते हैं तो 5 बजे के बाद हम लोगों को जीप को नहीं जाने दिया जाता है। वहां की पुलिस विधायकों को कुछ नहीं समझती है, इसका मुख्य कारण यह है कि जो वहां का एस0 एस0 पी0 है उसने वहां की पुलिस का मन बहुत बढ़ा दिया है, वहां के एस0 एस0 पी0 को तुरन्त वहां से हटाया जाना चाहिये वही मुख्य जिम्मेवार है। उसी के कारण पुलिस का रवैया ऐसा हो गया है कि वह विधायकों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है। इसलिये पहला काम यह कर कि वहां के एस0 एस0 पी0 को हटावें और जो दोषी पुलिस कर्मी हैं जिन्होंने ऐसा व्यवहार किया है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले गृह मन्त्री बता दें, फिर आप लोग कहें।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, सदस्यों की भावना का सवाल है हरीश जी के बारे में मेरी जानकारी है, जैसा उन्होंने कहा लाइन हाजिर होना कोई सजा नहीं है। यह केवल हरीश जी की ही बात नहीं है बल्कि पूरे सदस्यों की बात है और सभी सदस्यों की भावनाओं से यह जुड़ा हुआ प्रश्न है इसी पीठ से हमारी सरकार उन पर कौन सा एक्शन लेने जा रही है, उसको मैं मांग करता हूं।

माननीय सदस्य माता प्रसाद जी बैठे हुये हैं, श्रीमती कमला साहनी जो यहां की सदस्या हैं, इसी पीठ से निर्देश हुआ है और ऐक्शन लिया गया है। मैं यह कहूंगा कि माननीय हरीश जी के साथ जो घिनौना कृत्य हुआ है और वह भी यह बताने के बाद कि वह एक माननीय सदस्य हैं, यह बहुत ही निन्दनीय कार्य हुआ है। आज जब नागरिक हमारी तरफ आंख उठा कर देखते हैं हमसे उम्मीद करते हैं कि उनके साथ न्याय होगा, हम उनकी रक्षा करेंगे लेकिन इस तरह से जब एक जन प्रतिनिधि का ही सम्मान नहीं रह जायगा तो आम जनता की रक्षा कैसे सम्भव हो सकेगी।

आज सदन में यह बात आ गई जो कि प्रत्येक सदस्य से जुड़ी हुई है, इसलिये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को केवल लाइन हाजिर न करके अविलम्ब उनको सस्पेंड किया जाय जिससे यहां पर एक स्वस्थ परम्परा कायम हो और जनप्रतिनिधियों के सम्मान पर कुठाराघात न हो। मान्यवर, उस पीठ से हमारा सबसे बड़ा संरक्षण होता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जिन व्यक्तियों के नाम हरीश जी दें उन सभी व्यक्तियों को अविलम्ब निलम्बित किया जाय और उसके बाद कोई कार्यवाही हो।

(सदन के दोनों पक्षों के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया।)

श्री नरेन्द्र देव—

मान्यवर, मैं आधा मिनट का समय लेना चाहूंगा।

(गृह मन्त्री का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं तो कह रहा था कि गृह मन्त्री जवाब दे दें ...

(व्यवधान)

श्री अमिताभ अनिल दुबे—

माननीय, माननीय हरीश जी के व्यवहार से हम सभी परिचित हैं । उन्होंने जो जानकारी दी है, जो उनके साथ घटना हुई है उसको सुनकर हम सभी लोग दुखी हैं । यह मामला केवल हरीश जी का ही नहीं है, यह केवल उनका ही अपमान नहीं हुआ है बल्कि यह पूरे सदन का अपमान हुआ है । माननीय उपाध्याय जी ने जो बात कही है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और उनकी बात का समर्थन करता हूं । मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की घटना भविष्य में न होने पाये, इसे कड़ाई से रोकें और आप सरकार को निर्देश दें वह यह बताये कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ।

(कई सदस्य के एक साथ खड़े होकर बोलने से व्यवधान ।)

श्री नरेन्द्र देव—

आप हमें क्यों नहीं सुनना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

गृह मन्त्री जी का जवाब आ जाने दीजिये फिर जो आप पूछना चाहेंगे, पूछवा लूंगा ... ।

(व्यवधान)

कृपया शांत रहें और बैठ जायं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

व्यवस्था का प्रश्न है । इतनी बड़ी गम्भीर घटना हुई है। यह एक विधायक का सवाल नहीं है ।

(कई सदस्य एक साथ बोलने का प्रयास करने लगे)

श्री उपाध्यक्ष—

शांति बनायें रखें । जवाब आने दीजिये । उसके बाद में सबको सुन लूंगा । गुप्ता जी आप बैठ जायं । मैं सुन रहा हूं ।

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र मार गुप्त—

पहले मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें। ऐसे नाजुक मामले में व्यवस्था का प्रश्न अवश्य सुनने की कृपा करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

सुन तो मैं सभी को रहा हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

कहां सुन रहे हैं? मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह एक गम्भीर मामला है। इधर के या उधर के किसी माननीय सदस्य का सवाल नहीं है। यह इस आदरणीय सदन के सम्मान का प्रश्न है। ऐसे अवसर पर माननीय गृह मन्त्री की सदन में उपस्थित न होना यह उनकी तथा सरकार की हृदय हीनता का परिचायक है। हम सभी यह समझते हैं कि इस सरकार में सम्बन्धित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कोई कदम उठाने का साहस नहीं है। इसलिए मान्यवर आप मुख्य मन्त्री को यहां पर बुलायें। हम उन्हीं को सुनेंगे और जो गृह राज्य मन्त्री हैं उनकी हैसियत एक दरोगा के बराबर भी नहीं है। यह मामला एस0 एस0 पी0 के खिलाफ है जैसपुर कांड के बारे में यहां पर प्रतिपक्ष के सदस्य के बारे में मामला उठा था उसी बदले की भावना को लेकर हरीश जी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। इसलिये इस समय यहां पर मुख्य मन्त्री जी का आना आवश्यक है। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि इस सम्बन्ध माननीय मुख्य मन्त्री और गृह मन्त्री का सदन में न आने का क्या कारण है?

श्री उपाध्यक्ष—

सामूहिक उत्तरदायित्व है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री को सुन लें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—]

उपाध्यक्ष जी, इसमें दो राय नहीं है, पक्ष पर और विपक्ष के सारे लोग, माननीय हरीश जी के साथ जो घटना हुई है उस पर मुझे चिंता है और अफसोस है। इसमें कोई डिवीजन की बात भी नहीं है।

(व्यवधान)

माननीय रेवती रमण सिंह जी मेरे बाद बोल लीजिये, आपसे अनुरोध है मैं एक निवेदन कर दूं। माननीय राज्य मंत्री कहेंगे मैं समझता हूं कि जो कुछ वह कहेंगे उससे माननीय सदन संतुष्ट होगा। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि माननीय हरीश जी के साथ जो घटना हुई उससे सारा सदन दुखी है वैसे किसी भी विधायक के साथ हो या किसी नागरिक के साथ इस तरह की घटना होना उचित नहीं है लेकिन माननीय हरीश जी जैसे सोबर, शरीफ और मीठी बोली बोलने वाले के साथ इस तरह की घटना होती है तो वह और भी दुख का कारण होता है। माननीय राज्य मंत्री इसका जवाब देंगे लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार की ओर से और अपने सारे साथियों की ओर से हम चिंतित हैं हम इस मामले में किसी तरह की रियायत किसी अधिकारी के साथ नहीं बरतेंगे चाहे कितने ही बड़े ओहदे पर बैठे हों सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। इससे सारे सदन का अपमान हुआ है, सब लोगों का अपमान हुआ है, हम इसे अपना जातीय अपमान समझते हैं।

(व्यवधान)]

*कुंवर रेवती रमण सिंह—

माननीय हरीश जी ने जो अपनी करुण कहानी सदन में रखी है उस पर जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने सामूहिक जिम्मेदारी की बात को लेकर जो बात कही है उससे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। इस तरह के मामले रोज-बरोज सदन में आते हैं और सरकार की कमजोरी के कारण वह कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पाते हैं, अगर एक अधिकारी के साथ यह प्रभावी कार्यवाही कर देते तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। आज उसी को संतोष हुआ कि हरीश जो जैसे भोले स्वभाव के और बुजुर्ग सदस्य के साथ बनारस में सरेआम यह घटना हुई तो बाकी विधायकों के साथ और आम जनता के साथ इस तरह की घटनायें रोज-बरोज होती रहती हैं। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने जो बात कही उससे हम संतोष नहीं है क्योंकि उनकी बात में कोई वजन नहीं है वह बिचारे चाहते भी हैं तो कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है।

श्री राम औतार दीक्षित—

आज यह मत समझिये।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

आपकी भावना सही हो सकती है, आप दुखी हो सकते हैं लेकिन आपके कहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप कहेंगे गृह मंत्री से या मुख्य मंत्री जी से लेकिन यह सदन की भावना है कि गृह मंत्री जी को यहां बुलाया जाय। माननीय सईदुज्जमा संसदीय मंत्री हैं, गृह मंत्री या मुख्य मंत्री जी को सदन में आना चाहिये जिससे प्रभावी कार्यवाही होने का हम लोगों को आश्वासन मिल सके।

(व्यवधान)

*श्री नरेन्द्र देव—

माननीय, एक मिनट हमें भी सुन लें।

श्री पूरन सिंह माहरा—

आधा मिनट मुझे भी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र देव—

माननीय, कई बार इन घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई है। माननीय उपाध्यक्ष जी आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रुक नहीं रही है और यह चरम सीमा तक पहुंच गयी है। माननीय हरीश जी का पूरा सदन सम्मान करता है और जो मीठा बोलते हैं, नम्र स्वभाव के हैं उनके साथ ऐसी घटना हुई है, तो हम चाहते हैं कि आज इस सदन में बैठकर, चाहे आपको पत्रकार दीर्घा या दर्शक दीर्घा खाली करानी पड़े, सब एक साथ बैठकर, विचार करें और आज जो निर्णय लिया जाये वह ऐसा हो कि कम से कम आगे, भविष्य में प्रदेश में इस विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों के साथ पुलिस को इस प्रकार की हिम्मत करने या इस तरह का दुस्साहस करने की भविष्य में, वे कल्पना न कर सकें।

* श्री पूरन सिंह माहरा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हरीश जी ने सारे सदन के सामने जो उनके साथ घटना घटी है, उसका वर्णन किया है, जिसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन यह माननीय सदन का अपमान यहां हम बराबर देख रहे हैं जैसा विधायकों के साथ ह।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहा है । श्री नरेन्द्र देव के साथ में अपनी बात को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने कहा है चाहे पत्रकार दीर्घा या अन्य दीर्घा खाली कराना पड़े लेकिन आज ही इस पर विचार कर क्योंकि हरीश जो जैसा सज्जन और सरल व्यक्ति दूसरा नहीं मिल सकता है और जब ऐसे व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार हो सकता है, तो किसी भी सदस्य के जानमाल को खतरा है । इसलिये एस0 एस0 पी0, अधीक्षक अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये आप शासन से कहें ।

*श्री अफसर यू0 अहमद—

माननीय हरिश्चन्द्र, हरीश जी बस्ती जनपद के हैं और मैं भी वहीं से चुनकर आया हूं । हरीश जी जैसे सज्जन व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हो जाये तो निश्चित मान लें कि मंत्रियों के साथ भी इस तरह की घटना हो सकती है । इसलिए मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो हमारे साथियों ने कहा उससे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुये निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में हमारी लोकप्रिय सरकार को आप निर्देश दें कि सख्त से सख्त कार्यवाही दोषी अधिकारियों के खिलाफ करें । धन्यवाद ।

श्री अमर चन्द्र—

मान्यवर, जिस हृदय विदारक मार्मिक घटना का वर्णन अभी माननीय सदस्य ने यहां किया उससे शर्म से हम लोगों का सर नीचे झुक जाता है । आप कल्पना करें कि कि जब सदन बैठा है तब माननीय विधायकों का सम्मान इस स्तर तक नीचे गिर सकता है, तो अंदाजा और कल्पना करें कि शेष 10 महीनों में जब सदन नहीं होगा तब प्रदेश के अधिकारियों का मनोबल उच्छृंखलता के कारण किस चरम सीमा पर होगा, उसकी कल्पना करें, हम लोगों के साथ क्या होगा ? मान्यवर, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम विचार करें कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति क्यों हो रही है ? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जिसके लिये हम सभी को विचार करना होगा । यह कारण ऊपर से है, नीचे से नहीं है । जब तक ऊपर से शय नहीं होगी तब तक ऐसी घटना नहीं हो सकती है । इसलिये सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि इस एक मसले पर हम सब एक होकर, एक स्वर से विचार करें और निर्णय करें कि ऐसे माहौल से कैसे हम लोग बच सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग शांत रहें । माननीय गृह मंत्री आ गयी हैं, उनको बोलने दें ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब पहले आप गृह मन्त्री जी को सुन लीजिए, फिर बोलियेगा ।

(व्यवधान)

नहीं सुनेंगे तो खड़े रहिये । आप पहले बैठिये ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गृह मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)--

माननीय, इस घटना से, इस निन्दनीय घटना से हमारे सदन और हमारे सभी सदस्यों को जो आघात पहुंचा है, दुख पहुंचा है व क्लेश पहुंचा है, उससे व्यक्तिगत रूप से मैं अपने को सम्बद्ध करती हूं। जो हमारे सदस्य हैं, उनसे कहना चाहती हूं कि वह पूर्ण रूप से इससे सम्बद्ध हों और जो हमारे सदन में यह वातावरण आज है, वह बिल्कुल सही है। हमारे किसी सदस्य का इस तरह अपमान हो तो हम इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कोई सरकारी कर्मचारी या अन्य कोई हमारे सदस्य का इस तरह अपमान करे तो कैसे वह हमें स्वीकार हो सकता है। जिन्होंने भी यह कार्य किया है, उनको तुरन्त निलम्बित किया जाए और सरकार के माध्यम से आदेश जाए कि भविष्य में इस तरह का कोई कार्य हो तो उस पर तुरन्त कार्यवाही हो।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

तिवारी जी खड़े हैं इधर से, कुछ कहना चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

श्रीमन्, मैंने माननीय हरीश जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी को सुना और माननीय गृह मन्त्री जी को भी सुना। मुझे दुख है कि सारी स्थिति जानने के बावजूद और सदन की भावना देखने के बावजूद गृह मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्री जी ने, जो उत्तर दिया है, वह आप पर मैं छोड़ता हूं, क्या आप उससे सन्तुष्ट हैं। यह दिनांक 6 मार्च, 1989 के 11 बजे दिन की घटना है। 7 तारीख को टेलीग्राम हो गया। कल इनको इत्तिला मिल गई होगी। आज 8 तारीख है, राजेन्द्र गुप्त जी ने भी इसकी सूचना दे दी, सारे अखबारों में छपा है, उसके बावजूद आज तक हमारी सरकार यह पता लगा पाने में और फिक्स करने में असफल रही है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। होना तो यह चाहिए था कि अब तक सारी कार्यवाही करके सदन को स्वयं गृह मन्त्री जी सूचित करतीं कि उन्होंने इस मामले में जिन व्यक्तियों ने ऐसी हरकत की उनको दंड दिया और एस० एस० पी० को क्या किया? यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई दुर्घटना होती है, कोई दंगा होता है, कोई गड़बड़ी होती है, तो मुख्य मन्त्री या मन्त्री त्याग-पत्र क्यों देते हैं, श्रीमन् लोकतन्त्र की अवधारणा यही रही है कि यदि ब्यूरोक्रेसी कोई गलत काम करती है, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग के मन्त्री या गम्भीर अपराध हुआ तो उसके लिए जिम्मेदारी मुखिया लेता है, तो क्या इस अवधारणा का उस मामले में हम पालन कर रहे हैं। गृह मन्त्री और मन्त्री लोग यहां घड़ियाली आंसू बहा देते हैं विधायकों के साथ ऐसी कोई बात होती है या पुलिस के उत्पीड़न की घटना के बारे में चर्चा करते हैं, हम कोई सवाल करते हैं, तो यह उसी पुलिस पर यकीन करते हैं अपने विधायकों की बात को असत्य मानते हैं और कहते हैं जांच कराई गई और सूचना निराधार पाई गई।

आज हरीश जी जैसे सौम्य और सरल व्यक्ति के साथ ऐसी दुर्घटना हुई। सदन की भावना को आप देखें इतने से हम सन्तुष्ट होने वाले नहीं हैं कि जिन्होंने ऐसा किया वह निलम्बित किए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेंगे, उनको सस्पेंड करेंगे यह नाकाफी है। आज सदन इस पर संतुष्ट होने को तैयार नहीं है। मैं अनुरोध

करूंगा गृह मन्त्री जी से यह तो अवधारणा रही है कि जिस विभाग के लोग गड़बड़ी करेंगे उसके वरिष्ठ अधिकारी को पनिश करके सूचित करेंगे, तो बनारस में वरिष्ठ अधिकारी एस० एस० पी० और एस० पी० हो सकते हैं उनको मुअत्तल या स्थानान्तरित कराइए, फिर कार्यवाही कराइये, अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं तो आप गृह मन्त्री जी स्वयं त्याग-पत्र दे दीजिए । माननीय, हम चाहते हैं कि सारे सदन की भावना को देखते हुए इसको पक्ष विपक्ष का सवाल न बनाया जाए यह सदन के मान-सम्मान का प्रश्न है ।

श्री राम शरण दास—

माननीय, मैं हरीश जी को करीब 25 साल से जानता हूं वह दूसरी पार्टी में रहे, हम दूसरी पार्टी में रहे लेकिन इनसे ज्यादा बढ़िया और सरल स्वभाव का आदमी शायद ही कोई देखा हो ऐसे लोगों के साथ इस तरह की घटनायें घट सकती हैं तो इस प्रदेश का क्या होगा ? मैं गृह मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आपके हाथ में कोई शक्ति नहीं है, सिपाही को सस्पेंड कर दूंगी, बड़ा कबूतर मैं तोर मार दिया । हम कहते हैं कि आप मुख्य मन्त्री को बुलवाइए, यह सामान्य प्रशासन का मामला है यह एस० एस० पी० को क्या कर सकती है आप मुख्य मन्त्री को बुलाएं वह आश्वासन सदन में दें कि वहां की पूरी पुलिस को रिशफिल किया जायगा । हम लोग हाउस नहीं चलने देंगे तो हाउस स्थगित हो जाएगा । माननीय, इस मसले पर निर्णय लीजिए मुख्य मन्त्री जी को बुलवाइए । अभी उस दिन हरदेव रो रहा था, बलजीत रो रहा था, दत्ता रो रहा था, तो यह जो रोने-पीटने का हाउस है, तो यह हाउस हमारे रोने-पीटने का स्थान नहीं है, [××] इसको रोने-पीटने का स्थान बनायेंगे तो मैं निवेदन करूंगा कि [××] बस का कुछ है नहीं । अरे इनको तो समाज कल्याण जैसा विभाग मिल जाता तो यह अपने मौज से दिन बितातीं । पुलिस का विभाग तो किसी सज्जे दिल के आदमी को मिलना चाहिए या आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं आप मुख्य मन्त्री जी को बुलवाइए और इसमें कुछ नहीं हो सकता है ।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी यह प्रश्न बहुत ही गम्भीर है । सदन की भावना से आप अवगत हो गये होंगे । माननीय मन्त्री जी अवगत न हों तो हो जाएं । यह साधारण घटना नहीं है यह सदन के सम्मानित व्यक्ति के साथ घटना घटी है जिनकी सज्जनता की चर्चा सब करते हैं । यह आकस्मिक घटना नहीं है यह पूर्व नियोजित, सुनियोजित घटना है । यह माननीय हरीश जी को अपमानित करने की सुनियोजित घटना है । स्वर्गीय पाठक जी की हत्या पुलिस ने की थी वह भी निष्ठावान कार्यकर्ता थे वह अक्खड़ स्वभाव के नहीं थे इस सवाल को हरीश जी ने उठाया था ।

(व्यवधान)

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह पुलिस का दोष नहीं है, अगर अफसर बदमाश होगा तो सिपाही भी बदमाश होगा, अगर अफसर शरीफ होगा तो सिपाही भी शरीफ होगा यह मेरी मान्यता है । मैं इस सिलसिले में एक उदाहरण देना चाहता हूं । जनता पार्टी के शासन काल में हमारे गोरखपुर में एक घटना हुयी । उस समय राज्य मन्त्री कुंवर रेवती रमण सिंह थे । एक सिपाही ने, ट्राफिक पुलिस ने हमारे माननीय सदस्य राम गोविन्द चौधरी, जो आज विधायक हैं और उस समय भी विधायक थे उनके

नोट—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

साथ दुर्व्यवहार किया। राम गोविन्द चौधरी जी ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से राज्य मन्त्री के सामने की। लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। जब 2-3 दिन बीत गये तो सदन में अवमानना का प्रश्न उपस्थित हुआ और हाउस का कार्य ठप हो गया। स्पीकर साहब के कमरे में बैठक हुयी और यह निर्णय लिया गया कि सिपाही को मुअत्तल कर दिया जाय। उस समय माननीय बनारसी दास जी आपके आसन पर विराजमान थे। उन्होंने कहा मैनेजर सिंह जी कहां हैं? मैं नहीं था, मुझे बुलवाया गया। जब मैं वहां गया तो मैंने कहा कि एस0 एस0 पी0, गोरखपुर असली मुल्जिम हैं अगर उन्होंने इस सम्बन्ध में कार्यवाही की होती तो यह घटना घटित न होती और सदन अव्यवस्थित न हुआ होता और सदन को कार्यवाही न रुकती। उस समय माननीय राम नरेश यादव जी मुख्य मन्त्री थे। यादव जी ने कहा कि यह विशेषाधिकार का जो सवाल उठा है उसमें एस0 एस0 पी0 का जिक्र नहीं है तो मैंने कहा कि अगर एस0 एस0 पी0 ने कोई कार्यवाही की होती, सिपाही को मुअत्तल किया होता या कोई जांच बैठायी होती तो यह मामला सदन में न आता और यहां उत्तेजना न फैलती और यहां का कार्य ठप न होता। इसलिये एस0 एस0 पी0 सबसे बड़ा दोषी है। उसको सजा मिलनी चाहिये। सरकार को यह कहना पड़ा, माननीय अध्यक्ष जी ने निर्देशित किया कि एस0 एस0 पी0 को तत्काल हटाया जाय तब जांच हो। राम नरेश यादव जी ने तत्काल घोषणा की और एस0 एस0 पी0 को वहां से हटा दिया गया और उसके बाद जांच हुयी। तो उस समय के सदन की यह घटना थी।

यह जो घटना है इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं, माननीय मन्त्री जी इधर देखें, मेरा आपसे पुराना सम्बन्ध है। वहां के एस0 एस0 पी0 और दो सिपाहियों को मुअत्तल करें और जो इंस्पेक्टर पाजी है, उसको भी मुअत्तल करें। अगर इनको मुअत्तल कर दिया होता तो सदन में ऐसी घटना न आती और आपको डांट न सुननी पड़ती। बनारस का एस0 एस0 पी0 मुल्जिम है। एस0 एस0 पी0, सिपाहियों और इंस्पेक्टर को मुअत्तल करिये वरना सदन की कार्यवाही आज नहीं चलेगी। मेरी यह भी मांग है कि इस सदन की एक कमेटी बनायें जो जांच करें और फिर रिपोर्ट दे उसके बाद आप आगे कार्यवाही करें।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, माननीय हरीश जी ने जिस घटना की सूचना दी है उससे प्रत्येक सदस्य के हृदय में दुख होता है और इस सदन की मर्यादा के बारे में भी गम्भीर प्रश्न उपस्थित हो जाता है। मैं यह समझ नहीं पाता कि हरीश जी के साथ जो घटना हुई है वह अधिक दुखदायी है या जो घटनाओं की श्रृंखला इस सदन के इस सत्र में देखने में आ रही है वह अधिक दुखदायी है। ऐसा लगता है जैसे पुलिस विभाग में एक कोटा बांध दिया जाता है कि फलां-फलां चीजों के इतने केस लाओ आर्म्स ऐक्ट में इतने केस लाओ, उसी तरह से शायद विधायकों को अपमानित करने के लिये कोटा शासन ने निर्धारित कर दिया है।

मान्यवर, आप देख लें यहीं पर सत्ता पक्ष के विधायकों को भी अपनी व्यथा बतानी पड़ी। एक माननीय विधायक, गोरखपुर के थे, जिनके साथ हुए दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में गृह मन्त्री ने बाहर आश्वस्त किया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके फलस्वरूप उन्हें सदन में यह मामला औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाना पड़ा।

[समय 1 बजकर 20 मिनट]

दूसरे माननीय सदस्य के साथ एक अधिकारी द्वारा यहीं पर दुर्व्यवहार किया गया, आप उस घटना के सम्बन्ध में जानते हैं, मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। तीसरे माननीय सदस्य को शासन के एक मन्त्री की मौजूदगी में अपमानित किया गया और

मन्त्री जी ने मजबूरन सदन में क्षमा याचना की । जो मामला सदन के सामने आया था, उसमें शासन के सर्वोच्च अधिकारी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने खुद सदन में दया दिखाने के लिए आग्रह किया . और मान्यवर, इस सदन में वास्तव में दया दिखाई और अपनी गरिमा का परिचय दिया । मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस सदन की दया को भावना को इनके प्रशासन ने कमजोरी समझ लिया और विधायकों को अपमानित करने की कार्यवाही और तेज कर दी गयी है । इन सारी घटनाओं की अंखला देख कर ऐसा लगता है कि जसे पुलिस में इनके शस्त्र अधिनियम में कार्यवाही करने का कोटा निर्धारित रहता है, कभी शराब में इतने केस पकड़ने हैं, उसका कोटा रहता है उसी प्रकार से शासन ने विधायकों को अपमानित करने का कोई कोटा निर्धारित कर दिया है और अपमानित करने की कार्यवाही को और उग्र रूप दे दिया है । इन सबको देखते हुए और इस समस्या का स्थायी निदान करने और सदन की मर्यादा को सुरक्षित करने के लिए मेरा आग्रह है कि जो प्रस्ताव माननीय नरेन्द्र देव जी ने रखा है और माननीय अमर चन्द्र ने उसका समर्थन किया है कि चाहे आज सारी दीर्घा खाली करानी पड़े, इस विषय पर विस्तार से विचार हो जाना चाहिए कि सदस्यों और सदन की मर्यादा कैसे सुरक्षित की जा सकती है और हरीश जी के मामले में क्या कठोरतम कार्यवाही की जा सकती है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

गृह मन्त्री का जवाब आ जाने दीजिए, बोलना तो सभी चाहेंगे,

(व्यवधान)

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के पुकारे जाने पर)

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मुझे आपके माध्यम से दो बातें निवेदन करनी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सबको बुलवाता रहूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं ।

(शोर व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही—

आज आपको सुनना होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

शाही जी, गुप्त जी का नोटिस था, मैंने गुप्ता जी को पुकार लिया है । आप बैठें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने अन्त में मुझे बोलने का मौका दिया ।

(व्यवधान)

माननीय, मैं बड़ी नम्रता के साथ आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैंने बड़ी आशा के साथ आपसे आग्रह किया था कि कैबिनेट स्तर के मन्त्री आयें और हमें इस बात की जानकारी दें कि सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। माननीय तिवारी जी, माननीय मैनेजर सिंह ने बड़े विस्तार के साथ अपनी जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। मन्त्री जी ने यह कहा कि हम उन पुलिस कर्मियों को निलम्बित करेंगे। (व्यवधान) दो दिन तक सरकार यह सुनिश्चित भी नहीं कर पाई कि इस घटना की जिम्मेदारी किसकी है।

(व्यवधान के मध्य)

माननीय, जैसा कि माननीय हरीश जी ने भी कहा। वाराणसी में सनसनी फैल गयी प्रातःकाल समाचार-पत्रों में मामला आ गया। उस समय अधिकारी वर्ग हरीश जी के पास गये लेकिन क्या यह आवश्यक नहीं था कि जानकारी मिलने के बाद एस० एस० पी० के द्वारा तत्काल कोई कार्यवाही करने की जरूरत थी जिससे हरीश जी का समाधान हो सकता, आदरणीय सदन का समाधान हो सके। आज अगर वरिष्ठतम व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गयी तो जो श्रृंखला कायम हो गयी है यह किसी भी कीमत पर रुकने वाली नहीं है। जिस समय जैतपुरा थाने का मामला सदन में उठा था तो एस० एस० पी० और वरिष्ठ अधिकारियों के सामने मामला आया था तो सरकार ने जानबूझकर अधिकारियों को बचाने का घिनौना षडयन्त्र किया। इसके बारे में है कि अल्फा-अल्फा से लम्बा-तड़ंगा एक इंसपेक्टर निकला उसने हरीश जी को मारा और ललकारा और कहा कि यही आदमी है जिसने जैतपुरा का मामला विधान सभा में उठाया था। इसलिए मैं माननीय मैनेजर सिंह, तिवारी जी और माननीय अनुग्रह नारायण सिंह की भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करते हुए आपसे मांग करता हूं कि वहां की सारी पुलिस फोर्स को रिशिफिल करने की जरूरत है और इस घटना की जिम्मेदारी माननीय गृह मन्त्री जी को अपने ऊपर लेकर, समय की मांग है कि उन्हें अपने पद से त्याग-पत्र दे देना चाहिए इससे पूरी पुलिस फोर्स में एक सनसनी फैलेगी और इससे एक बात पैदा होगी कि हमारी गृह मन्त्री जी ने जिम्मेदारी ली है तो शायद कुछ सुधार पैदा हो जाय। तो माननीय, मेरी मांग है कि वाराणसी की पूरी पुलिस फोर्स रिशिफिल किया जाय और माननीय गृह मन्त्री जी त्याग-पत्र दें। माननीय, कुछ महिला सदस्य भी उत्सुक हैं, इधर लक्ष्मी जी खड़ी हैं और उधर बेगम साहिबा खड़ी हुई थीं। उनकी भावना भी सुनने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्रीमती विजय लक्ष्मी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज इस सदन के सामने जिस तरह का गम्भीर मामला आया है, एक माननीय सदस्य के अपमानित होने का हमारी सभ्यता में जितना कटु शब्दों में इसकी निन्दा की जाय, इसके लिए शब्द नहीं हैं। माननीय, आपने भी सदन की भावना को सुना मैं सिर्फ एक अपनी भावना आपके सम्मुख रखना चाहती हूं। संयोग से हमारी गृह मंत्री जी भी महिला हैं, मैं भी एक महिला सदस्य हूं मैं इस सदन से निष्पक्ष न्याय यह चाहती हूं कि अगर इस तरह का प्रकरण, इस तरह का कांड अगर माननीय मंत्री जी के साथ होता है तो मेरे साथ हुआ। हम लोग आप भी पहले एक विधायक हैं, नारी हैं उसके बाद मंत्री हैं। अगर कोई अपने क्षेत्र में किसी थाने में किसी एस० एस० पी० या एस० पी० के यहां जाता है और उनकी गाड़ी में झंडा लगा हुआ है, इसी से पहचान है, इससे ज्यादा पहचान का तरीका क्या होगा उसके बाद उसको सुना नहीं जायेगा, उसको पहचाना नहीं जायेगा।

माननीय पुलिस प्रशासन के जरिये एक कांड हुआ था, मुझे याद है कि एक साल उसका पूरा हो रहा है। अब अगले हफ्ते में होली का त्योहार है। यह बहुत ही दुःखद घटना की बात है यह व्यक्तिगत मामला है इसका मैं सदन में जिक्र नहीं करूंगी लेकिन आपको याद होगा कि गोरखपुर में होली के दिन एक कांड हुआ था कि एक पुलिस इंसपेक्टर ने घर में घुसकर फायर किया कुछ लोगों की जान गयी उसमें भी सदन में सवाल उठा था उसमें क्या निष्पक्ष कार्रवाई की, मुझे ज्ञात नहीं है। आज मैं यह कहना चाहती हूं मेरी तरह की सत्ता पक्ष में महिला विधायक सदस्य हैं, इधर भी हैं। आज इस प्रकरण को इस सदन के माध्यम से सारे लोगों की भावना का निष्पक्ष रूप से एक इन्सान के नाते एक मानवता के नाते एक विधायक के साथ जो अनाचार हुआ है उसके नाते इसका निर्णय हो और मैं विपक्ष की तरफ से यह आश्वासन देती हूं।

(व्यवधान)

*श्री विजय सिंह राणा—

माननीय, हम ज्यादा समय भाषण में बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। मा० गृह मंत्री जी केवल 2 प्रश्नों का जवाब दे दें। एस० एस० पी०, जिसके समय में यह कांड हुआ, वह वहां रहने लायक नहीं है, उसको ट्रान्सफर करके होमगार्ड में भेजा जाय और दूसरे पूरा थाना, जिसमें यह कांड हुआ, सस्पेन्ड किया जाय। इसके लिये मा० गृह मंत्री तैयार हैं या नहीं, अगर नहीं हैं तो हम उनका घेराव करेंगे।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

माननीय, इन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दिलवा दें कि क्या उनको सस्पेंड करेंगे और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप सब बैठिये। उनको जवाब तो देने दीजिये। शाही जी बैठिये। कोशिक जी एक मिनट उनको जवाब तो देने दीजिये।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

माननीय, हम नहीं चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही स्थगित हो।

श्री उपाध्यक्ष—

वह जवाब तो दे दें। दो मिनट बैठिये जवाब तो देने दीजिये। आप चर्चा ही करते रहेंगे या उनको कुछ कहने भी देंगे।

*श्रीमती सुशीला रोहतगी—

माननीय, सदन में आज एक अत्यन्त गम्भीर घटना पर अभी चर्चा चल रही है। मैं पूरी तरह से, हमारे मा० सदस्यों के मन में जो भावना है, जो उनके मन में रोष है और जो सही है, मैंने जैसा कि पहले कहा, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करती हूं और दोबारा फिर कहती हूं कि अगर इसकी गम्भीरता को स्वीकार नहीं करते तो तत्काल निलम्बन के आदेश नहीं दिये जाते।

(शोर व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

उनको बोलने तो दें। डांट क्यों रहे हैं, बोलने तो दें। बात तो सुन लें। अभी शान्ति रखें। अभी उनको बोलने दीजिये।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

मान्यवर, मैं स्वयं हरीश जी से मिलूंगी। उनके साथ जो घटना हुई है, मैं उनसे पूछूंगी कि वे किस प्रकार की जांच चाहते हैं।

(विपक्ष के बहुत से सदस्य श्री विजय सिंह राणा के साथ सदन के फ्लोर पर आकर गृह मंत्री के आसन की ओर बढ़ने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सदन को पन्द्रह मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(इस समय 1 बजकर 28 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी।

1 बजकर 43 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 30 मिनट और बढ़ा दिया है।

2 बजकर 13 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन पौने तीन बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

2 बजकर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजे तक और बढ़ा दिया है।

3 बजे डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन साढ़े 3 बजे तक के लिए और बढ़ा दिया है।

3 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन पौने चार बजे तक और बढ़ा दिया है।

3 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

गृहमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)—

मान्यवर, माननीय हरीश जी की भावनाओं को आदर करते हुए और इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए उन तीनों दोषी कर्मियों को निलम्बित करने का निर्णय किया गया है और शासन को सूचना देर में क्यों मिली इस प्रकरण की जांच मेजर कोई बाहर रेवेन्यू द्वारा की जा रही है।

(एक साथ कई सदस्यों के खड़े होने पर शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए, मान्यवर मुझे बड़ा अफसोस है....

(शोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी....

(घोर व्यवधान)

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, माननीय तिवारी जी से पहले हम लोगों को सुन लीजिए माननीय उपाध्यक्ष जी, पहले हम लोगों को कह लेने दीजिए, फिर....

(शोर)

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

श्रीमन् जो घटना माननीय हरीश जी के साथ हुई है, मैं केवल दो ही निवेदन करना चाहूंगा आपकी अनुमति से और सारे सदन से, विशेष रूप से मंत्री परिषद् के सदस्यों से अगर यही घटना किसी एक पुलिस कांस्टेबिल के साथ हुई होती जो घटना माननीय हरीश जी के साथ घटी है, तो इस पर यह पुलिस वाले क्या करते, आपको इसकी कल्पना भी नहीं है, ऐसी तमाम घटनाएं हम लोगों के सामने आयी हैं कि जहां पर ऐसा व्यवहार किसी पुलिस कांस्टेबिल के साथ हुआ है, तो इन पुलिस वालों ने बाकायदा उस पूरे गांव को जला दिया है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, वह काम किए हैं इन पुलिस वालों ने, सामूहिक बलात्कार हुए हैं और इस प्रदेश की नौकर शाही और पुलिस बल निरंकुश हो गया है। आज सत्ता की कुर्सियों पर आसीन मंत्री परिषद् के सदस्य इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और आज ऐसे गम्भीर मामले पर माननीय गृह मंत्री जी ने निर्णय क्या लिया है, क्या घोषणा की है इस घोषणा से हमारा निश्चित मत है कि इस विधान सभा के और इस सदन के एक-एक माननीय सदस्य को इस नौकर शाही और पुलिस बल के सामने सरकार ने हमें बौना बना कर रख दिया है।

मान्यवर यदि जरा भी माननीय मंत्री जी को इस सदन के सम्मानित सदस्यों का उनके सम्मान का ध्यान होता तो यह एस० एस० पी० को निलम्बित करने की घोषणा करती इस प्रकार से यह सरकार दिन पर दिन निरीह होती जा रही है, अगर जरा भी लोकतन्त्र पर इनकी आस्था होती तो यह इस बात की साफ-साफ घोषणा करती। इसलिए मान्यवर हमारा एक ही निवेदन है और समस्त उन माननीय सदस्यों को चाहे वह इस पक्ष के हों और चाहे वह उस पक्ष के हों, दोनों ही पक्षों ने दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर विधायिका के लिए और उसके सम्मान के लिए उस पर जो प्रश्नचिन्ह लगा दिया है, सरकार के रुख ने उसके विरोध में एक साहस का प्रदर्शन किया है, इस प्रकार से मान्यवर दोनों पक्ष बधाई के पात्र हैं और मैं समूचेतौर पर सदन की ओर से उन सारे माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं जिन्होंने विधायकों के सम्मान की रक्षा के लिए भरपूर रुचि ली और पूरे सदन की भावनाओं से प्रेरित होकर यह कहा कि आज सदन की समस्त दीर्घाओं को खाली कराकर इस मामले पर बहस कराएं और देखें कि नौकरशाही प्रोटोकाल का पालन करें और यदि इस नौकरशाही के आगे विधायकों के सम्मान की रक्षा यह शासन नहीं करा सकता है तो फिर ऐसी अवस्था में हमारे प्रोटोकाल को समाप्त किया जाना चाहिए। इसलिए हमारा एक निवेदन है कि आज के इस बजट को कल के लिए स्थगित कर दिया जाए, जहां आपने सदन के अव्यवस्थित होने पर दो-दो बजट पास कराए हैं, वहीं पर हम आपको वचन देते हैं कि हम भी एक दिन में दो बजट पास कर देंगे व्यवस्थित रूप में लेकिन आज यह पक्ष और विपक्ष का सवाल

नहीं है । विधायिका के सम्मान का सवाल है, विधायकों के सम्मान का सवाल है, इसलिए इस पर चर्चा कराएं । मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी यह घोषणा करें कि वहां के एस० एस० पी० को हटा दिया जायेगा, जिससे पुलिस में जो निरंकुशता बढ़ रही है, वह समाप्त हो । उनकी इस घोषणा से प्रजातन्त्र का मान और सम्मान बढ़ेगा ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है । यह सवाल किसी पक्ष या विपक्ष के सदस्य का नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण सदन का है । मान्यवर, इधर और उधर के माननीय सदस्यों ने एक बात कही कि सदन के सम्मान की रक्षा के लिए, जो प्रोटोकाल बनाया गया है, उसका पालन होना चाहिए । इस विषय पर लोगों ने अपनी बात को रखा और सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई । बनारस सम्पर्क किया गया । जो कुछ मामला यहां पर खड़ा हुआ है, उसका कारण यह है कि बनारस के एस० एस० पी० ने सूझ-बूझ से काम नहीं लिया है और जो गम्भीर आरोप हैं, जिनको मंत्रि मण्डल के सदस्यों ने भी स्वीकार किया है, एस० एस० पी० ने उनको जान बूझकर नहीं बताया है, शासन को नहीं बताया है ।

इस घटना की सूचना वहां के एस० एस० पी० ने शासन को जानबूझकर नहीं दी । आपको भी हरीश जी का तार मिल गया था और आपके सचिवालय ने उस पर त्वरित गति के साथ कार्य किया और उसकी सूचना शासन को पहुंचायी । यह प्रकरण समाचार पत्रों में भी निकला, लेकिन शासन को कोई जानकारी नहीं है । यह सरकार संवेदनहीन हो गई है और सरकार के जो आपराधिक मामले हैं, वह जनता के सामने न आये, इस चीज का प्रयास करती है ।

गृह सचिव ने पत्रकारों से मिलना बन्द कर दिया । हमें गृह मंत्री जी की बात को सुनकर बड़ी निराशा हुई । अगर माननीय गृह मंत्री एस० एस० पी० को हटा देती तो यह डयूरोक्रेसी समझ जाती कि विधायकों के अपमान का क्या फल होता है । तिवारी जी ने सदन की रक्षा के लिए कहा, इस प्रकरण पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए । मान्यवर, इसके पहले बजट अव्यवस्थित ढंग से पास करा लिया गया है । मेरी रुचि उद्योग विभाग के बजट में है और मैं चाहता हूं कि बजट पर चर्चा हो, इसलिए आज इसको स्थगित कर दें और इस मामले को पहले निस्तारित करायें । अगर एस० एस० पी० के खिलाफ सही कार्यवाही नहीं हुई और उसका स्थानान्तरण नहीं हुआ तो पुलिस का मनोबल और बढ़ेगा और वह इस प्रकार के कुचक्रों में और फंसेगी और इसका दुष्परिणाम होगा ।

आज ऐसी परम्परा बनाने की आवश्यकता है, जिससे प्रदेश की जनता के सम्मान के ऊपर धब्बा न लगे । माननीय गृह मंत्री जी को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए और अगर गृह मंत्री जी अपने को असहाय पाती हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह सदन के सम्मान की रक्षा के लिए अलग हो जायें, यही संसदीय परम्पराओं का तकाजा है । इन शब्दों के साथ माननीय तिवारी जी ने विचार व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं ।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, जो प्रकरण चल रहा है, वह बड़ा ही दुखद प्रकरण है । मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, इस पर बहुत चर्चा हो गई है । मान्यवर, यह किसी एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सदस्य का सवाल नहीं है, किसी पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं है, बल्कि विधान सभा के समस्त सदस्यों का सवाल है। मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि पिछले अनेक वर्षों से सुनियोजित कोशिश हो रही है, चाहे वह विधान सभा के सदस्यों के सम्बन्ध में हो या विधान सभा को नकारने का अपमान होना चाहिए। वह सुनियोजित तरीके से प्रशासनतन्त्र की तरफ से कोशिश हो रही है। चाहे वह लोग पुलिस में हों या प्रशासन में हों, लेकिन यह कोशिश हो रही है। आज सबसे बड़ा खतरा इस बात का है। हम एम० एल० ए० रहेंगे या नहीं रहेंगे, माननीय हरीश जी एम० एल० ए० रहेंगे या नहीं रहेंगे यह प्रश्न नहीं है बल्कि प्रश्न यह है कि अगर यही सब होता रहेगा तो निश्चित रूप से हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जायेगा। इस तरह से लोकतंत्र की मर्यादायें भंग होती रहेंगी और हम लोग चुपचाप देखते रहेंगे तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। माननीय मन्त्री जी ने जो घोषणायें की हैं वह अपर्याप्त हैं। उनको सुनकर दुख और निराशा हुई। श्रीमन्, निश्चित रूप से इसमें एस० एस० पी० दोषी हैं क्योंकि उन्हें तत्काल सूचना दे देनी चाहिए थी। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं कि इसमें एस० एस० पी० को गलती थी क्योंकि उन्होंने घटना को स्वयं देखकर, हरीश जी की बात को सुनकर सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया।

मान्यवर, आप जानते हैं कि यदि कोई सिपाही एस० एस० पी० को सल्यूट नहीं करता है तो वह फौरन सस्पेंड हो जाता है। सारे प्रकरण को जानते हुए, सत्यता को छिपाते हुये उन्होंने सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया और आप कहते हैं कि एस० एस० पी० का कोई कसूर नहीं है। उनका कसूर है। मेरा निश्चित आरोप है कि यह सरकार बड़े अधिकारियों पर ऐसे मामलों में भी अंकुश नहीं लगा सकती है। श्रीमन्, यह मामला किसी एक सिपाही या बहोरा का नहीं है। हम एक बार किसी सिपाही को माफ करने के लिए तैयार हैं क्योंकि उसे शिक्षा-दीक्षा देने में कमी रह सकती है लेकिन इतने बड़े अधिकारियों को माफ करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि उस एस० एस० पी० के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिये और जब तक कार्यवाही करने का आप फैसला नहीं करते हैं तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे, यह निश्चित बात है।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय हरीश जी का यह प्रकरण अब सामने आया, एक जानकारी सदन को देना चाहता हूं। अभी सदन में माननीय गुलशन जाहिदी जो इस सदन के बहुत पुराने सदस्य हैं और माननीय प्रमोद कुमार जी मंत्रि परिषद् के सदस्य हैं...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया बैठें।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

[× × ×]

(व्यवधान)

नोट—[×××]यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सब कुछ नहीं लिखा जायेगा । कृपया बैठें ।

श्री नीची नाथ वर्मा—

यदि एस० एस० पी० का स्थानान्तरण नहीं किया गया तो हम इस असेम्बली के अन्दर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे....

(व्यवधान)

*श्री राम शरण दास—

माध्यवर, मेरा एक निवेदन है । आज मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि [×××] पड़ रहे हैं । यह सरकार तो गई-गुजरी और बेकार तो है ही, लेकिन माध्यवर, [×××] क्योंकि हमारे जो हकूक हैं उनकी रक्षा कौन करेगा । हम आपसे निवेदन कर सकते हैं और आप अपने [×××] मुझे बताओ ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी जो इच्छा हो, वह मैं कर दूं । आप बताओ ।

श्री राम शरण दास—

आप [×××] न पढ़िये । समय नजदीक आ रहा है । कोई निर्णय कीजिये । और यह जो बैठी हैं बेचारी....

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

बेचारी नहीं हूं....

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास—

मैंने पहले ही कहा था कि इनके अधिकार में कुछ नहीं है । ये ज्यादा से ज्यादा चौकीदार को, सिपाही को, दीवान जी को दंडित कर सकते हैं लेकिन आई० पी० एस० अफसर को टच नहीं कर सकती हैं और न कुछ कह ही सकती हैं । इसलिए मैंने भी कहा था कि मुख्य मंत्री को आप यहां बुलाओ अगर इस मामले पर निर्णय करना हो तो । अगर लीपा-पोती करनी है तो हम लोगों का खामखां गला फड़वाना है, कीजिये । लेकिन अगर काम करना है तो मुख्य मंत्री को यहां बुलायें । माननीय मुख्य मंत्री जी को यहां बुलाइये और जो भावनायें हमारे साथियों ने रखी हैं आज उसपर तय हो जाये । क्या हमेशा-हमेशा यह विधायक चाहे उधर के हों या इधर के हों इस तरह से बेइज्जत होते चले जायें इसका भी निर्णय हो जाये या फिर जो प्रोटोकाल जो दिया है उसके अनुसार कार्य हो, नहीं तो हम लोगों के रहम पर छोड़ दीजिये हम लोग खुद इन थानेदारों और सिपाहियों की वैल लेंगे, भुगत लेंगे । लेकिन आप न तो हमें इधर के छोड़ रहे हो और न उधर के । जैसा माननीय तिवारी जी ने कहा प्रोटोकाल खत्म कर दिया जाये हमें कोई रियायत की जरूरत नहीं है ।

नोट—[×××] वह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

माननीय अम्मार : साहब बैठे हैं कुछ शर्म है आपको, आप कब तक रहेंगे। हरीश जी जैसे व्यक्ति के प्रति ऐसा व्यवहार हुआ है अगर हमारे नौजवान साथी राकेशधर त्रिपाठी होते या अनुग्रह नारायण सिंह होते तो हम कहते कि जरूर कुछ गड़बड़ की होगी लेकिन हरीश जी जैसे व्यक्ति से कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है। तो इस तरह से ट्रीयल हमारा कब तक लोगे, हमारी सहनशीलता कब तक देखते रहोगे।

(व्यवधान)

जैसे ही आप कमजोर हैं वैसे ही वह भी कमजोर हैं। अम्मार साहब से कहिये कि मुख्य मंत्री जी से कहें एस० एस० पी० कोई बोल की चोंच में से तो नहीं निकला है कि उसे हटाया ही न जा सकता हो। उस एस० एस० पी० को तुरंत हटाइये। क्यों हमारा इस तरह से अपमान कर रहे हो ? हमारा अपमान करने का क्या ठेका ले लिया है। तीन दिन तक उस एस० एस० पी० ने क्या किया ? इस घटना को हुए तीन दिन हो गये। यह घोषणा करना कि सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है यह डूबकर मर जाने वाली बात है। मैं मांग करूंगा प्रोटोकाल पर चर्चा कराइये, गैलरी खाली कराकर चर्चा करा लिजिये

(व्यवधान)

उस एस० ए० पी० को हटाया नहीं गया तो यह सदन चलने वाला नहीं है

(व्यवधान)

चलने वाला नहीं है।

श्री फजलुल बारी—

माननीय, मेरा नाम लिया आपने बोलने के लिए...

श्री उपाध्यक्ष—

कब तक चर्चा होगी इस पर बंद करें।

श्री फजलुल बारी—

माननीय, मेरी बात सुन लीजिये उसके बाद मंत्री जी कहें

(व्यवधान)

माननीय मन्त्री जी को गम भी बहुत है और गुस्सा भी बहुत था जब वह बोलने के लिए खड़ी हुई थीं। हमें खुशी थी इस बात की कि शायद आज लोकतंत्र की आवाज रह जायेगी

(व्यवधान)

लोकशाही और नौकरशाही में जब से देश आजाद हुआ लड़ाई चली जा रही है। यह देखना है कि इस देश में प्रजातंत्र रहेगा या यहां पर डिमोक्रेसी खत्म होकर नौकरशाही राज्य चलायेगी यह सवाल सामने है। जब माननीय मंत्री जी ने शुरू में गम और गुस्से का इजहार किया तो हम पुरउमीद हुये थे कि आज लोकतंत्र का सिर ऊंचा होगा और प्रदेश में लोकशाही सबसे बड़ी शक्ति सामने आयेगी लेकिन पता नहीं वह कौन सी बात है जिसकी वजह से हमारी इतनी मजबूत मंत्री जी इतनी कमजोर साबित हो रही हैं। शायद इसी काम के लिए दिल्ली से यहां भेजा गया है। उनका यह कहना कि

एस0 एस0 पी0 का कोई दोष नहीं है यह उन तमाम भावनाओं का निचोड़ निकलता है जिसमें हम कमजोर हो रहे हैं। कितनी मुश्किल स्थिति में मंत्री जी बी "कि परसों की यह घटना है और एक जिम्मेदार आदमी जो वहां बैठा हुआ है उसने इस बात की जरूरत नहीं समझी कि सदन चल रहा है और यहां एक माननीय विधायक का अपमान हुआ है कोई सूचना नहीं दी। और जो पहले मंत्री रह चुके हैं, उनको प्रौढ़ीकाल में एक हैसियत हासिल होनी चाहिये लेकिन वह नहीं मिली है, तो अरुमार साहेब सोच लें कि बाद में यह हादसा उनके साथ न हो, हम नहीं चाहते हैं कि यह हो, इसलिए इन सब पर ब्रेक लगना चाहिये। लेकिन सरकार कुछ नहीं करना चाहती है, इसलिये आपकी तरफ हम लोगों को इशारा करना पड़ता है। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसने लोकतंत्र की मर्यादा रखी है, इसलिए आप सरकार को निर्देश दें कि इस एस0 एस0 पी0 को वहां से यदि हटाया नहीं जाता है तो यह समझा जायेगा कि वह चाहती है, उसकी मर्जी में आये तो वह सरकार को किसी प्रकरण से अवगत कराये और मर्जी न हो तो मामले को पीकर बैठी रहे। मान्यवर, आज 12 करोड़ प्रदेश की जनता का 18 लाख रुपये का नुकसान हुआ है, सिर्फ इतनी जिद में कि लोकतंत्र मजबूत हो या नौकरशाही मजबूत हो। इसलिए इसका फैसला आप करवें वरना इस देश और प्रदेश की नौकरशाही प्रजातंत्र को आघात पहुंचायेगी और इससे आप भी नहीं बच पायेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग शांत रहें। गृह मन्त्री जो का जवाब सुनें वरना विचारों का रिपीटीशन ही होगा। इसलिए आप लोग बैठ जायें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

(व्यवधान)

मान्यवर, जैसा श्री राम शरण दास जी ने कहा है कि श्री हरीश जी के साथ जो कांड हुआ है वैसा यदि अन्य किसी के साथ होता तो अन्यथा लेते लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सदन में बैठकर कानून बनाते हैं और उनका पालन करने के लिए कार्यपालिका के अलग-अलग अधिकारी और विभाग हैं। यदि वह उनका पालन नहीं करते हैं तो समझा जायेगा कि चूंकि हम लोग कानून बनाते हैं इसलिए वह अधिकारी हीन भावना से ग्रस्त होकर हमसे द्वेष भाव रखते हैं, जिससे यह कांड हो रहे हैं। मान्यवर, मैं मिसाल के रूप में बताना चाहता हूं कि गृह राज्य मंत्री के जनपद का एक सी0 ओ0 रोज उनको गाली बकता है लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहे हैं। राज्य मंत्री जी ने उनका ट्रान्सफर करा दिया लेकिन माननीय गृह मंत्री ने उसको रोक दिया। तो यह बाकी लोगों के लिये क्या कर पायेंगे? हम लोग आचार संहिता में बंधे हैं, इसलिये हम लोग भी उन के जैसे आचरण नहीं कर पाते हैं। श्री हरीश जी और हम लोगों के आचरण में कोई अन्तर नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बैठे जायं। गृह मंत्री को कहने दें।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार—

उनको जो घोषणा करनी थी वह कर दिया। अब क्या कहेंगी? वह कहतीं तो पहले ही मामले को हल कर देतीं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी को कहने दें।

(व्यवधान)

कुमारी विमला जोहरी—

कोई नई बात हो तो मंत्री जी कहें, कोई नई घोषणा करें तब तो ठीक है, वरना बेकार है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

मान्यवर, इतने गम्भीर विषय पर अभी चर्चा हो रही थी, सभी ने अपने विचार व्यक्त किये, उसी बीच में....

(व्यवधान)

मुझे यह कहना है कि आज इसके अलावा अभी जो तुरन्त निर्णय सुना दिया इसलिये कि कोई विलम्ब न हो, बोर्ड आफ रेवेन्यू के द्वारा जांच तो करी ही जाएगी। हमारे सदस्य ने कुछ बात कही, हमें कमजोर और अबला कहा, यह उन्होंने हमारी सारी महिला वर्ग के साथ....

(व्यवधान)

आज हम इक्कीसवीं शताब्दी में जा रहे हैं....

(व्यवधान)

जब अमेरिका का सातवां बेड़ा भारत देश के खिलाफ चला था....

(और व्यवधान)

तो मान्यवर, महिला कमजोर और अबला नहीं होती है। यह इक्कीसवीं सदी को बात सोचकर चलें, महिला कमजोर नहीं है।

(कई विपक्ष सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो कर जोर-जोर से बोलने लगे जिसमें सदन में घोर व्यवधान हो गया।)

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि संसदीय मर्यादा और संसदीय परिपाटी को कायम रखने के लिये आपको यह सीट दी गयी है, आप उस पर न्याय के लिये बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम विधान सभा में इस बात के लिये चुनकर नहीं आये हैं कि कोई सिपाही सब-इंस्पेक्टर या एस० एस० पी० हमारे साथ मारपीट करे, हमें जूता लगाए, हम अपने क्षेत्र की जनसमस्याओं को विधान सभा में रखने के लिए आए हैं। इस सरकार का निरंकुश नौकरशाही पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है और इसम [×××] भी हमारा [×××] नहीं कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन....

(व्यवधान)

नोट :—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

तो मैं क्या कहूं आप इसमें बता दीजिए कि यह इस तरह से कब तक चलेगा।

(घोर व्यवधान)

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश जो आज की कार्यसूची में छपी है, ले रहा हूं।

विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 7 मार्च, 1989 की अपनी बैठक में सदन के वर्तमान सत्र के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

(1) दिनांक 9 मार्च, 1989 को वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक के अनुदानों पर विचार एवं मतदान के पश्चात् उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1989; जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं पारण सम्बन्धी प्रस्ताव लिये जायं। (आधा घंटा)

(2) दिनांक 10 मार्च, 1989 को वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक के अनुदानों पर विचार एवं मतदान के पश्चात् संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1988 के अनुसमर्थन से सम्बन्धित संकल्प का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर विचार हो (आधा घंटा)।

(3) रविवार दिनांक 19 मार्च, 1989 को सदन का उपवेशन न हो।

(4) दिनांक 28 मार्च, 1989 को वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक के अनुदानों पर विचार एवं मतदान के पश्चात् श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा के चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में नियम 103 के प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा हो।

(5) दिनांक 31 मार्च, 1989 को प्रश्नकाल न हो तथा नियम 56 एवं नियम 300 की सूचनाएं उस दिन न ली जायं और निम्नलिखित कार्य पूर्वाह्न 11.00 बजे से क्रमानुसार लिये जायं :—

(क) वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक के अनुदानों पर विचार एवं मतदान।

(ख) 3.30 बजे अपराह्न।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1989 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

(6) दिनांक 1 अप्रैल, से 6 अप्रैल, 1989 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय :

अप्रैल, 1989	
1 शनिवार 2 रविवार 3 सोमवार	बैठक नहीं होगी ।
	(1) अष्टम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के अष्टम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के सम्बन्ध में सदन द्वारा दिनांक 5 अक्तूबर, 1988 को स्वीकृत प्रस्ताव का कार्यान्वयन । (2) असरकारी कार्य । (3) सरकारी विधायी कार्य, यदि कोई हो ।
4 मंगलवार	(1) असरकारी कार्य । (2) राष्ट्रीय मार्गों की पार्श्व-भूमि के सम्बन्ध में, संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में संसद द्वारा विधान बनाये जाने हेतु केन्द्र सरकार को प्राविकृत करने विषयक संकल्प का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर विचार (आधा घंटा) ।
5 बुधवार	(1) असरकारी कार्य । (2) सरकारी विधायी कार्य, यदि कोई हो ।
6 गुरुवार	नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दी गयी सूचनाओं पर चर्चा की समस्त मदें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 7 मार्च, 1989 द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों, जिसका प्रस्ताव अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने किया है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री सूर्य प्रताप शाही, कुंवर मानवेन्द्र सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री हर्ष वर्धन आदि सदस्य सदन के फ्लोर पर आकार अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने लगे जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री उपाध्यक्ष—

सदन के इस तरह अव्यवस्थित होने के कारण, मैं इसे आधा घंटे के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 4 बजकर 15 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये स्थगित कर दी ।)

(इस समय 4 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।)

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री मुहम्मद आजम खां, श्री हर्ष देवल, श्री नारायण वर्मा, श्री हाजी मोहम्मद हयात एवं रविशंकर त्रिपाठी सदस्यों के आसन की ओर बढ़ने लगे जिससे सदन में पुनः व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्षता—

मैं सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये और स्थगित करता हूं।

(इस समय 4 बजकर 46 मिनट पर श्री अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये और स्थगित कर दी।)

(4 बजकर 56 मिनट पर सदन की कार्यवाही अध्यक्षता श्री खान गुफरान अहमद के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

(शोर व्यवधान)

श्री अध्यक्षता—

कार्य-स्थगन की सभी सूचनायें अस्वीकृत की गयी हैं।

वित्तीय वर्ष 1989-90 के व्यय-बजट में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (खानें और खनिज), अनुदान संख्या—7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या—8 उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) अनुदान संख्या—9 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन), अनुदान संख्या—5 (उद्योग विभाग खाद्य एवं लघु उद्योग), अनुदान संख्या—6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

*लघु एवं ग्रामीण उद्योग मन्त्री (श्रीमती बेनी बाई)—

माननीय, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि विधान सभा को आज दिनांक 3 मार्च, 1989 को कार्यसूची की मद संख्या 8 को उप-मदों :—

(1) अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,09,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

(2) अनुदान संख्या 7—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,14,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(3) अनुदान संख्या 8--उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,40,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

(4) अनुदान संख्या 9--उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,33,32,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

(5) अनुदान संख्या 5--उद्योग विभाग (श्रम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 32,55,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

(6) अनुदान संख्या 6--उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 36,72,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय आवश्यक धनराशियों की पूर्ति के लिये जो मांगें सदन के पटल पर रख दी गयी हैं, उनमें क्रमशः अंकित लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशियों के अतिरिक्त धनराशियां, जिनका कुल योग एक अरब, 18 करोड़, 25 लाख, 42 हजार रुपये हैं, से अनधिक धनराशियां स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि आज की कार्यसूची के मद संख्या 8 की उपमदों :—

(1) अनुदान संख्या 4--उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,09,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

(2) अनुदान संख्या 7--उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,14,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

(3) अनुदान संख्या 8--उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,40,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

(4) अनुदान संख्या 9--उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,33,32,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

(5) अनुदान संख्या 5--उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 32,55,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

(6) अनुदान संख्या 6--उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 36,72,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव किया है, उससे सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री मुहम्मद आजम खां, श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी, कुंवर मानवेन्द्र सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह आदि विपक्षी सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अधिष्ठाता--

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 58 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया) ।

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तरगढ़ ।
8 मार्च, 1989

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'क'

(देखिये अतारांकित प्र0 संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 10. पर)

एम0 एम0 वर्मा, विशेष सचिव

संख्या 742 ए क्यू/85-23 सिं0-6

सिंचाई अनुभाग-5

दिनांक : 28 अगस्त, 1985

प्रिय महोदय,

दिनांक 21 अगस्त, 1985 ब्रेकिंग के समय जब कि सिंचाई विभाग के कई मुख्य अभियंता भी उपस्थित थे सिंचाई मंत्री जी द्वारा बाढ़ योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं ।

2—नदियों की कटान से प्रत्येक वर्ष कई ग्राम एवं क्षेत्र प्रभावित होते हैं और समय समय पर उक्त कटान को रोकने तथा बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिये विभिन्न स्रोतों से अनुरोध प्राप्त होते हैं । व्यवहारिक रूप से किसी भी नदी की कटान को रोकने में काफी धन की आवश्यकता होती है तथा उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात भी प्रत्येक वर्ष उनके रख रखाव आदि पर भी काफी लागत आती है । फिर भी उद्देश्य का सही पूर्ती नहीं हो पाती है और क्योंकि न तो प्रभावित ग्रामों/क्षेत्र की सुरक्षा हो पाती है और उसमें धनराशि लगने के फलस्वरूप अन्य योजनाओं पर भी प्रभाव पड़ता है । इस बात को सिंचाई मंत्री जी द्वारा सदन में स्पष्ट कर दिया गया है कि बड़े शहरों को छोड़कर अन्य कटान रोकने का कार्य न करके यदि उनके ग्रामों को हो किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर बसाया जाता है तो यह ज्यादा लाभदायक होगा ।

3—उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझसे यह कहने को अपेक्षा की गयी है कि भविष्य के बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य की योजनायें बनाते समय इस बात को ध्यान में रखा जाय कि जो भी कार्य कराया जाय उससे अधिक लाभ सभी को मिले और जो भी योजनायें बनायी जायें उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुये ही बनायी जाय । कृपया उपरोक्त आदेशों से भी सम्बन्धित अधिकारियों को भी अवगत करावें ।

भवदीय,

ह0/- एम0 एम0 वर्मा]

श्री ज0 एम0 गुप्त
मुख्य अभियंता (बाढ़ एवं पूर्वी नहर)
सिंचाई विभाग, लखनऊ ।

नत्थी

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 88

वर्ष 1985-86 से 1987-88

वर्ष	नाम मण्डल	कुल लम्बाई	निर्माण वर्ष	
			लम्बाई किमी0	पूर्ण कार्य
1985-86	सिंचाई खंड, फैजाबाद	..	..	..
	सिंचाई खंड, टांडा	..	..	..
	फैजाबाद	628.20	45.333	20 पूर्ण तथा 1 प्रगति में
	योग ..	628.20	45.333	20 पूर्ण तथा 1 प्रगति
1986-87	सिंचाई खंड, फैजाबाद	224.979	223.075	19
	सिंचाई खण्ड, टांडा	185.467	182.272	..
	अ0 म0 570.43 कि0	570.68	23.078	31
	योग ..	981.126	428.425	50
1987-88	सिंचाई खंड, फैजाबाद	78.988	78.988	2
	सिंचाई खंड, टांडा	14.060	13.950	55
	अ0 म0 अ0.43 कि0	801.13	77.102	27 पूर्ण तथा 1 प्रगति में
	योग ..	894.198	170.040	84 पूर्ण तथा 1 प्रगति
	कुल योग ..	..	..	..

राम प्रकाश भटनागर,
अधीक्षण अभियन्ता ।

'ख'

का उत्तर पीछे पृष्ठ 73 पर)

सप्तम मण्डल सिंचाई योग फैजाबाद

नालों के निर्माण एवं व्यय से मण्डल वार 87 तथा अधिकरण

पुनरोद्धार कार्य		कार्य वर्ष	कुल व्यय	अनुमानित	टिप्पणी
लम्बाई किमी0	पूर्ण कार्य	लम्बाई किमी0		खामत	
..	..	..	..	..	
..	..	..	..	..	
32.95	..	245.70	19,55,157.83	7,764.00	
32.95	..	246.70	19,55,157.83	7,764.00	
1.004	..	..	13,44,814.00	4,616	
..	..	..	8,60,346.46	4,216	
78.955	2	102.775	47,11,971.28	9,511.00	
80 859	2	102.775	69,17,131.74	18,343.00	
..	..	..	5,05,390.00	1,904	
..	..	..	1,45,279.00	950	
62.585	2 अपूर्ण	159.600	50,16,945.90	10,475.00	
62.585	2 अपूर्ण	159.60	55,67,615.90	13,329.00	
176.394	4 अपूर्ण	569.075	1,45,39,905.47	30,436.00	

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 संख्या 111 का उत्तर पीछे पृष्ठ 80 पर)

संलग्न

क्रम सं0	ठेकेदार का नाम व पता	कार्य का विवरण	अनुबन्ध की अवधि	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य समाप्त करने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	मेसर्स ओम प्रकाश गुप्ता, 147, जसराना, पारवती कुटीर, मैनपुरी	रेलवे बेगन्स से कायला उतारने एवं शिकट करने का कार्य	एक वर्ष	30-12-87	30-12-88
2	मेसर्स सम्राट इंजीनियरिंग कम्पनी, ए-1 विक्रम कालोनी रामघाट रोड, अलीगढ़	रसिवन कोल क्रशर की ओवर हालिंग का कार्य	40 दिन	30-5-88	30-6-88
3	मेसर्स बी0 एस0 इन्जीनियरिंग वर्क्स, विलेज-सुल्तानपुर, पी0 आ0 पड़की, अलीगढ़	रां कोल बंकरस की मरम्मत का कार्य	10 दिन	23-6-88	23-8-88
4	मेसर्स देवी चन्द्र, जी-3, नई कालोनी, कासिमपुर	कोल क्रशर 1 ए में विभिन्न मरम्मत का कार्य	15 दिन	12-8-88	30-8-88
5	मेसर्स बी0 शाह एन्ड कम्पनी, 2460/14 हेमिलटन रोड, मोरी गेट, देहली	कन्वेयर्स ड्रमों पर रबर लेगिंग का कार्य -7 अदद	15 दिन प्रति ड्रम	16-8-88	कार्य चालू है
6	मेसर्स सम्राट इंजीनियरिंग कं0 ए-1 विक्रम कालोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़	होपरस/ट्रांसफर सूट्स का फेबकेशन तथा इरेक्शन का कार्य	1 वर्ष	17-8-88	तदैव
7	मेसर्स एलमोबाण्डर 54/1 डा. बकुल बगान रोड, कलकत्ता	क्रशर मोटर के मोटर की रिवाडिंग का कार्य	एक माह	21-9-88	21-10-88

उत्तर प्रदेश विधान सभा

8	मेसर्स चन्द्रा इन्जीनीयर्स एण्ड कान्ट्रेक्टरस, 3691/2 गुप्ता ट्रैक्टर मार्केट, मोरी गेट, देहली	एफ0 आई0 पम्पस की मरम्मत तथा कैलीब्रेशन का कार्य–4 अदद	15 दिन प्रति पम्प	13–4–88	13–7–88
9	मेसर्स ओम सन्स ट्रैक्टरस 4215, आर्य पुरा, देहली	डी0 155 डोजरस के इंजेक्ट्रस की मरम्मत तथा केलीब्रेशन कार्य–4 अदद	15 दिन प्रति इंजेक्टर	13–4–88	13–7–88
10	मेसर्स बी0 शाह एण्ड कं0 2760/14 हैमिलटन रोड, मोरी गेट देहली	डोजरस के इंजनस की ओवर हालिंग का कार्य	45 दिन	11–5–88	11–8–88
11	मेसर्स एलमोवांडर, 54/1 बकुल बगान रोड, कलकत्ता	क्रशर मोटर के रोटर तथा स्टेटर की रिवाइंडिंग का कार्य	7 माह	16–6–88	16–12–88
12	मेसर्स जे0 जे0 एण्ड कं0 डी0 95, इंडस्ट्रियल स्टेट, अलीगढ़	व्हाइट मेटल बियरिंग्स की रिवेवटिंग तथा मशीनिंग का कार्य–62 बियरिंग	एक वर्ष	23–7–88	23–12–88
13	मेसर्स विक्रम इंडस्ट्रीज 5/9 आई0 टी0 आई0 रोड, अलीगढ़	क्रशर मोटर के रोटर के जरनल पोरशन की स्प्रे रिमेंटलाइजिंग तथा मशीनिंग का कार्य	3 दिन	21–4–88	24–4–88
14	मेसर्स कलकत्ता मोटर रिवाइंडिंग वर्क्स, 23/4 हजारा पारा लेन, पो0 ओ0 बेली, हावड़ा	क्रशर मोटर के रोटर की रिवाइंडिंग का कार्य	4 माह	8–9–88	कार्य चालू है
15	मेसर्स शिवा इंजीनियर्स 2/60–ए नई विष्णुपुरी, अलीगढ़	क्रशर 1 बी की शाफ्ट की रिपेयर तथा मशीनिंग का कार्य	6 माह	26–9–88	26–12–88
16	मेसर्स [illegible] इंजीनियरिंग वर्क्स [illegible] रोड, अलीगढ़	के0 सी0 बेगनस के जिसे हुए एक्सल्स की रिमेंटलाइजिंग तथा मशीनिंग का कार्य	1 वर्ष	3–7–88	3–12–88

नोट :—कार्य अनुबन्धित से अवधि से देर में पूरा करने पर पेनाल्टी का प्राविधान है।

ह0/–
राजेन्द्र प्रसाद कक्कड़,
संयुक्त सचिव (कार्य)।

नत्थी 'ब'

(देखिये अता० प्र० सं० 120 का उत्तर पीछे पृष्ठ 83 पर।)

झांसी जिले में वर्ष 1987-88 में विद्युतीकरण हेतु चयनित ग्रामों की स्थिति

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	विद्युतीकरण का दिनांक
	विकास खण्ड—बड़ागांव	
1	पाउरी	31-3-88
2	हतनापुर	31-3-88
3	पाली (परसर)	31-3-88
	विकास खण्ड—बबीना	
4	अठौदना	31-3-88
5	बाजना	31-3-88
6	बल्लमपुरा	31-3-88
	विकास खण्ड—चिरगांव	
7	पिपरा	..
8	मियापुर	31-3-88
9	खिल्लांवारी	31-3-88
	विकास खण्ड—मोठ	
10	सेसा	..
11	जौरा	..
12	लौहागढ़	..
	विकास खण्ड—बंगरा	
13	अतपई	..
14	रमपुरा	
15	बोड़ा	..
	विकास खण्ड—गुरसराय	
16	अतनिया	31-3-88
17	मिपान	..
18	गुड़ झारखण्ड	..
	विकास खण्ड—मऊरानीपुर	
19	मैलोनी	31-3-88
20	चरारी	31-3-88
21	झांकरी	31-3-88
	विकास खण्ड—बामौर	
22	पूरेनिया	..
23	दुगरिया	

पी०एस०यू०पी०—13 वि० सभा—26-7-89—813 (पी०डी०)

उत्तर प्रदेश विधान सभा